

# मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग



## वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2019—20



रूपांकन  
श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर  
2020

भोपाल  
शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय, भोपाल  
2020

# मध्यप्रदेश शासन श्रम विभाग



## वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन 2019–20



श्रमायुक्त संगठन  
श्रम न्यायपालिका  
कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं  
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल  
मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल  
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल  
मध्यप्रदेश शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल



# वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2019–20

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| विभाग                               | . श्रम विभाग                         |
| मंत्री                              | . माननीय श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया |
| प्रमुख सचिव                         | . श्री अशोक शाह                      |
| श्रम आयुक्त                         | . श्री आशुतोष अवस्थी                 |
| अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय          | . न्यायमूर्ति श्री जी.एस. सोलंकी     |
| अपर सचिव                            | . श्री मालसिंह भयड़िया               |
| संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें | . डॉ. बी.एल. बंगोरिया                |

\*\*\*

# वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2019–20

## विषय सूची

| अध्याय | खंड   | शीर्षक                                                | पृष्ठ |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|-------|
|        | •     | वर्ष 2019–20 में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां  | 1-5   |
| 1      |       | श्रम विभाग की भूमिका                                  | 6-9   |
|        | 1.1   | प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या                           | 6     |
|        | 1.2   | संविधान के सुसंगत प्रावधान                            | 6-7   |
|        | 1.3   | महत्वपूर्ण श्रम कानून                                 | 7-8   |
|        | 1.4   | विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी                    | 9     |
|        | 1.5   | प्रदेश में पंजीकृत कारखानों एवं स्थापनाओं की जानकारी  | 9     |
| 2.     |       | विभागीय संरचना एवं बजट – एक विहंगावलोकन               | 10-15 |
|        | 2.1   | श्रमायुक्त संगठन                                      | 10-11 |
|        | 2.2   | औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा                        | 11    |
|        | 2.3   | कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) सेवार्य                | 11-12 |
|        | 2.4   | औद्योगिक न्यायालय                                     | 12    |
|        | 2.5   | संविधिक मण्डल                                         | 12    |
|        | 2.5.1 | मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल                          | 12    |
|        | 2.5.2 | मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण, मंडल          | 13    |
|        | 2.5.3 | मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | 13    |
|        | 2.5.4 | मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल  | 13    |
|        | 2.6   | ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य                         | 13    |
|        | 2.7   | कम्प्यूटरीकरण                                         | 14-15 |
|        | 2.8   | बजट प्रावधान                                          | 15    |

| अध्याय | खंड   | शीर्षक                                                                                                         | पृष्ठ |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3.     |       | औद्योगिक संबंध                                                                                                 | 16-20 |
|        | 3.1   | सामान्य                                                                                                        | 16    |
|        | 3.2   | औद्योगिक विवाद की स्थिति में सुलह कार्रवाई                                                                     | 16    |
|        | 3.3   | ले-आफ, छंटनी और बन्दीकरण हेतु अनुमति                                                                           | 17    |
|        | 3.4   | मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन                        | 17-18 |
|        | 3.5   | मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आझार्ये) अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन                                       | 18-19 |
|        | 3.6   | व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन                                                                    | 19-20 |
|        |       |                                                                                                                |       |
| 4.     |       | औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा                                                                                 | 21-29 |
|        | 4.1   | सामान्य                                                                                                        | 21    |
|        | 4.2   | कारखाना अधिनियम, 1948                                                                                          | 21-24 |
|        | 4.3   | कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 का कार्यान्वयन                                                               | 25    |
|        | 4.4   | “अति खतरनाक” स्थापनाओं संबंधी प्रावधान : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन | 25    |
|        | 4.4.1 | संक्षिप्त विवरण                                                                                                | 25-26 |
|        | 4.4.2 | “अति खतरनाक” श्रेणी के कारखाने                                                                                 | 26    |
|        | 4.4.3 | ऑन साईट आपात योजनाएं                                                                                           | 26    |
|        | 4.4.4 | ऑफ साईट आपात योजनाएं                                                                                           | 27    |
|        | 4.4.5 | सुरक्षा आडिट                                                                                                   | 27    |
|        | 4.5   | औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर                                                                  | 28-29 |
|        |       |                                                                                                                |       |
| 5.     |       | मजदूरी, उपादान और बोनस संबंधी अधिनियमों का कार्यान्वयन                                                         | 30-33 |
|        | 5.1   | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948                                                                                   | 30-31 |
|        | 5.2   | मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936                                                                                    | 32    |
|        | 5.3   | उपदान भुगतान अधिनियम, 1972                                                                                     | 32    |

| अध्याय | खंड | शीर्षक                                                                                    | पृष्ठ |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | 5.4 | बोनस भुगतान अधिनियम, 1965                                                                 | 33    |
|        |     |                                                                                           |       |
| 6.     |     | बाल श्रमिक                                                                                | 34-39 |
|        | 6.1 | बाल श्रमिक                                                                                | 34-36 |
|        | 6.2 | बाल श्रम संबंधी कानून का प्रवर्तन                                                         | 37-38 |
|        | 6.3 | राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना                                                               | 38-39 |
|        |     |                                                                                           |       |
| 7.     |     | बीड़ी श्रमिक                                                                              | 40-41 |
|        | 7.1 | प्रारंभिक                                                                                 | 40    |
|        | 7.2 | बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का कार्यान्वयन                   | 40    |
|        | 7.3 | बीड़ी श्रमिक कल्याण                                                                       | 40    |
|        | 7.4 | बीड़ी श्रमिकों के लिये आवास संबंधी योजना                                                  | 41    |
|        | 7.5 | घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिए जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा का निर्धारण | 41    |
|        | 7.6 | बीड़ी श्रमिकों को वेतन पच्ची                                                              | 41    |
|        |     |                                                                                           |       |
| 8.     |     | असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक                                                        | 42-45 |
|        | 8.1 | प्रारंभिक                                                                                 | 42    |
|        | 8.2 | असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यदल                                                | 42-43 |
|        | 8.3 | भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक                                         | 43-45 |
|        | 8.4 | मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल,                                      | 45    |
| 9.     |     | बंधक श्रमिक                                                                               | 46-49 |
|        | 9.1 | प्रारंभिक                                                                                 | 46    |
|        | 9.2 | बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से संवेदनशील जिले                                               | 46-47 |
|        | 9.3 | जिला एवं उपखंड-स्तरीय निगरानी समितियां                                                    | 47-48 |
|        | 9.4 | विमुक्त बंधक श्रमिकों का पुनर्वास                                                         | 48-49 |

| अध्याय | खंड   | शीर्षक                                                                                         | पृष्ठ |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10.    |       | कतिपय अन्य महत्वपूर्ण श्रम कानूनों का कार्यान्वयन                                              | 50-53 |
|        | 10.1  | मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961                                                              | 50    |
|        | 10.2  | श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 | 50    |
|        | 10.3  | मध्यप्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958                                                     | 50-52 |
|        | 10.4  | ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970                                                  | 52    |
|        | 10.5  | अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवाशर्तें) अधिनियम, 1979                   | 52-53 |
|        |       |                                                                                                |       |
| 11.    |       | कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें                                                                    | 54-59 |
|        | 11.1  | प्रारंभिक                                                                                      | 54    |
|        | 11.2  | कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले हितलाभ और योजना के कार्यान्वयन का पैटर्न           | 54-55 |
|        | 11.3  | कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रदेश में विस्तार एवं बीमित व्यक्तियों की संख्या                 | 55    |
|        | 11.4  | चिकित्सा हितलाभ                                                                                | 56    |
|        | 11.5  | परिवार कल्याण एवं अन्य सेवाएं                                                                  | 57    |
|        | 11.6  | श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार संबंधी कार्य-योजना              | 57    |
|        | 11.7  | एच.आई.वी./एड्स प्रकोष्ठ                                                                        | 58    |
|        | 11.8  | विभागीय अमले की स्थिति                                                                         | 58    |
|        | 11.9  | विभागीय पदोन्नतियों की स्थिति                                                                  | 58    |
|        | 11.10 | विभागीय जांच की स्थिति                                                                         | 58    |
|        | 11.11 | नियुक्तियों की स्थिति                                                                          | 59    |
|        | 11.12 | स्थानांतरण की स्थिति                                                                           | 59    |
|        | 11.13 | न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति                                                                  | 59    |
|        |       |                                                                                                |       |
| 12.    |       | श्रम न्यायपालिका                                                                               | 60-61 |
|        | 12.1  | संवैधानिक व्यवस्था                                                                             | 60    |

| अध्याय | खंड  | शीर्षक                                                 | पृष्ठ |
|--------|------|--------------------------------------------------------|-------|
|        | 12.2 | औद्योगिक न्यायालयों की खंडपीठ व प्रशासन                | 60-61 |
|        |      |                                                        |       |
| 13.    |      | राज्य-स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समितियां               | 62    |
|        | 13.1 | प्रारम्भिक                                             | 62    |
|        | 13.2 | राज्य श्रम सलाहकार परिषद                               | 62    |
|        | 13.3 | न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड                           | 62    |
|        | 13.4 | राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड                          | 62    |
|        | 13.5 | समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति       | 62    |
|        |      |                                                        |       |
| 14.    |      | सांविधिक मंडल                                          | 63-79 |
|        | 14.1 | मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल                           | 63-70 |
|        | 14.2 | मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल           | 71-73 |
|        | 14.3 | मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल | 73-78 |
|        | 14.4 | मध्यप्रदेश शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल   | 78-79 |
|        |      |                                                        |       |
| 15.    |      | महिला श्रमिक                                           | 80-83 |
|        | 15.1 | महिलाओं की संख्या और कार्यशील महिलाएं                  | 80-81 |
|        | 15.2 | महिलाओं के लिये विशेष अधिनियम                          | 81-83 |
|        | 15.3 | यौन उत्पीडन के लिये विशेष सुरक्षा                      | 83    |

\* \* \*

## परिशिष्ट

| <u>क्रमांक</u> | <u>शीर्षक</u>                                                                                                                                             | <u>पृष्ठ</u> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.1            | भारत के संविधान के भाग 3 ("मूल अधिकार") और भाग 4 ("राज्य की नीति के निदेशक तत्व") के "श्रम" संबंधी प्रावधान                                               | 84-85        |
| 1.2            | महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व                                                                                                         | 86           |
| 2.1            | प्रदेश में कार्यरत श्रम कार्यालय तथा उनसे संबद्ध जिले                                                                                                     | 87-88        |
| 2.2            | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधीन स्थापित कार्यालय एवं उनके कार्य क्षेत्र                                                                 | 89-90        |
| 2.3            | कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत संभाग एवं जिले-वार कार्यरत केन्द्र, उनसे संबद्ध बीमित व्यक्ति, और कार्यरत संस्थाएं                                       | 91-93        |
| 2.4            | श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले                                                                                             | 94           |
| 2.5            | गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय                                                                                                                    | 95-96        |
| 3.1            | म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 1(3) के अंतर्गत अनुसूचित उद्योग                                                                               | 97           |
| 3.2            | औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई                                                                                | 98           |
| 3.3            | औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अंतर्गत स्वीकृत अभियोजन                                                                                        | 98           |
| 3.4            | औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-सी(1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर जारी किए वसूली प्रमाण पत्र एवं उनमें निहित वसूली योग्य राशि              | 99           |
| 3.5            | औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एम, 25-एन तथा 25-ओ के अंतर्गत कमशः ले-ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई | 99           |
| 3.6            | म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई                                                                         | 100          |
| 3.7            | म.प्र. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज़ाए) अधिनियम, 1961 के अंतर्गत संपादित निरीक्षण/अभियोजन                                                                   | 100          |
| 3.8            | औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई                                            | 101          |
| 3.9            | व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत श्रम संगठनों के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन, उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्ती हेतु की गई कार्रवाई                    | 102          |
| 3.10           | म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयन हेतु प्राप्त ठहराव/समझौते                                                                           | 102          |
| 4.1            | कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों की संभाग एवं जिले-वार जानकारी                                                                          | 103-104      |
| 4.2            | कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 88 के अंतर्गत आने वाली दुर्घटनाओं की जानकारी                                                                                | 104          |
| 4.3            | मध्यप्रदेश में स्थित अति खतरनाक स्थापनाओं की संभाग एवं जिले-वार सूची                                                                                      | 105-107      |

|      |                                                                                                                                                |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4.4  | ऑफ साईट आपात योजना की तैयारी एवं पूर्वाभ्यास                                                                                                   | 108     |
| 4.5  | अति खतरनाक स्थापनाओं, जिनका सुरक्षा आडिट एम.एस.आई.एच.सी. नियम, 1989 के तहत अनिवार्य है, के सुरक्षा आडिट की स्थिति                              | 109     |
| 4.6  | औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण<br>भाग –एक: हानिकारक पदार्थों की जांच                               | 110     |
| 4.7  | स्थल पर उपकरणों की सहायता से की गई जांच एवं उनका परिणाम                                                                                        | 111     |
| 4.8  | औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इन्दौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण<br>भाग –दो: स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश व ध्वनि संबंधी जांच | 112     |
| 5.1  | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन                                                                                        | 113-114 |
| 5.2  | न्यूनतम मजदूरी की दरें                                                                                                                         | 115     |
| 7.1  | बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा श्रमिकों की संभाग एवं जिले-वार संख्या                                                     | 116     |
| 7.2  | बीड़ी श्रमिकों हेतु आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2006-07 से स्वीकृत आवास                                                                         | 117     |
| 7.3  | परिपत्र दिनांक 05.10.2002 के अनुसरण में घरखाता बीड़ी श्रमिकों के लिये कच्चे माल की जिले-वार निर्धारित वाजिब मात्रा                             | 118     |
| 8.1  | भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नि. एवं सेवाशर्तों का वि.) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं की कार्यालय-वार जानकारी                  | 119-120 |
| 9.1  | बंधक श्रमिकों का पुनर्वास                                                                                                                      | 121-122 |
| 10.1 | मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों की श्रम कार्यालय-वार जानकारी                                                     | 123-124 |
| 10.2 | नगर / कस्बे जहां म. प्र. दूकान एवं स्थापना अधिनियम प्रभावशील है                                                                                | 125-135 |
| 10.3 | दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की जिले-वार जानकारी                                                               | 135-136 |
| 10.4 | ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय-वार जानकारी                                        | 137-138 |
| 10.5 | अंतर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय-वार जानकारी         | 139-140 |
| 11.1 | कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों / औषधालयों में उपचारित मरीज                                                                                   | 141     |
| 11.2 | परिवार कल्याण कार्यक्रम                                                                                                                        | 141     |



|      |                                                                                                                      |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.3 | टीकाकरण                                                                                                              | 142 |
| 11.4 | कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में किये गये ऑपरेशनों का विवरण                                                      | 143 |
| 12.1 | वर्ष 2014 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण                                                           | 144 |
| 12.2 | विभिन्न श्रम न्यायालयों में वर्ष 2014 के आरंभ में लंबित, वर्ष में दायर तथा वर्ष में निराकृत सिविल तथा फौजदारी प्रकरण | 145 |

टीप : इस प्रतिवेदन में कतिपय श्रम कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं आदि के महत्वपूर्ण प्रावधानों एवं सांख्यिकी के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। परंतु विशिष्ट, पूर्ण और अद्यतन जानकारी के लिए मूल अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं एवं जानकारी आदि को ही देखा जाना चाहिए।

\*\*\*

## **वर्ष 2019-20 में श्रम विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों** **सुशासन की पहल**

1. पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति संबंधी विभागीय सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आवेदकों को विभागीय कार्यालयों में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। समस्त विभागीय सेवाओं, योजनाओं एवं समस्त पंजीयन/लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया।
2. म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन/नवीनीकरण एक कार्य दिवस में जारी किया जा रहा है। म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीयन के नवीनीकरण का प्रावधान म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 8.3.2019 के अनुसार समाप्त कर दिया गया है। वर्ष 2019 में 1,82,669 पंजीयन जारी किये गये।
3. म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन के पूर्व निरीक्षण/भौतिक सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त। मात्र खतरनाक प्रकृति के संस्थानों में पंजीयन प्रक्रिया पश्चात् (पूर्व सूचना के साथ) भौतिक सत्यापन की व्यवस्था।
4. श्रम कानूनों में संस्थानों के निरीक्षण पश्चात् 24 से 48 घंटे की समय सीमा में निरीक्षण टीप पोर्टल पर अपलोड। संस्थानों/कारखानों हेतु ऑनलाइन निरीक्षण टीप देखने एवं ऑनलाइन अनुपालन प्रस्तुत करने की व्यवस्था।
5. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय सेवाओं को लोक सेवाओं के रूप में भी सम्मिलित कर समय-सीमा में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया गया। कुल 32 सेवाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं।
6. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एम.एस.एम.ई.) इकाईयों की स्थापना के प्रथम वर्ष में विभिन्न श्रम कानूनों में कोई निरीक्षण सम्पादित नहीं किये जाने का निर्णय।
7. स्टार्ट-अप इकाईयों की स्थापना के प्रथम पांच वर्ष में विभिन्न श्रम कानूनों में कोई निरीक्षण सम्पादित नहीं किये जाने का निर्णय।
8. बंधक श्रमिकों को चिन्हांकित कर उनके उन्मूलन एवं पुनर्वास योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु राज्य के सभी बड़े जिलों में कार्य-शालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन/बंधक श्रमिकों की पहचान व विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु लिबर्टी पोर्टल का संचालन देश में अग्रणी स्थान पर।
9. बाल श्रम प्रथा की समाप्ति हेतु यूनिसेफ के साथ राज्य स्तरीय क्षमता वर्धन कार्यशाला। पेंसिल पोर्टल द्वारा बाल श्रमिकों व उनके पुनर्वास की ट्रेकिंग निरंतरित है।
10. अधिनियमों में सरलीकरण के दृष्टिगत सभी पंजीयनों एवं लाइसेंसों में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की संख्या में कमी की गयी। विशेषतः कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति में अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या 18 से कम कर 5 एवं अति-खतरनाक एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानों में यह संख्या 21 से कम कर 13 की गयी।

11. वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत कारखाना श्रमिकों एवं कारखाना के ठेका श्रमिकों को वेतन भुगतान चेक या बैंक द्वारा सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये गये।
12. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजनाओं में लाभ का वितरण इ.पी.ओ. द्वारा सीधे डी.बी.टी. के माध्यम से हितग्राही के खाते में किया जा रहा है। राज्य देश में दूसरे नम्बर पर अग्रणी है।
13. मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना नया सवेरा के अंतर्गत समस्त हितग्राही को योजनाओं के अंतर्गत इ.पी.ओ. द्वारा समस्त हितलाभ का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे हितग्राही के खाते में किया जाता है।

### सूचना प्रौद्योगिकी का सर्वव्यापीकरण

‘डिजिटल इंडिया’ मिशन के अंतर्गत किये गए कार्य :—

1. श्रम विभागीय सभी सेवाओं को केन्द्रीयकृत पोर्टल [www.labour.mp.gov.in](http://www.labour.mp.gov.in) / [www.shramsewa.mp.gov.in](http://www.shramsewa.mp.gov.in) के माध्यम से सभी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।
2. सभी श्रम कानूनों में पंजीयन एवं लाईसेंस जारी करने की प्रक्रिया ऑन-लाईन जैसे मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, कारखाना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, भवन संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम एवं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का पंजीयन लायसेंस के नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण को पूर्णतः ऑनलाइन की गयी है।
3. पोर्टल द्वारा जारी सभी प्रमाण पत्रों का पब्लिक डोमेन में सत्यापन की सुविधा।
4. प्रक्रियाओं एवं प्रपत्रों का सरलीकरण तथा डिजिटल/कम्प्यूटराईज्ड संधारण की अनुमति।
5. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन के साथ सक्षम व्यक्तियों का पंजीयन/संस्थानों एवं खतरनाक कारखानों हेतु ऑन-साइट इमरजेंसी प्लान्स को भी ऑन लाइन माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
6. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में उपकर जमा की सुविधा वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।

### निरीक्षणों का विनियमन एवं ऑन लाइन संचालन

1. रिस्क आधारित ऑन-लाईन निरीक्षण प्रणाली तथा शिकायत आधारित निरीक्षण की अनुमति ऑन-लाईन।
2. पारदर्शिता हेतु निरीक्षकों का चयन रैंडम आधारित प्रणाली से करने की व्यवस्था की गई।
3. शिकायत / अनुमति आधारित निरीक्षणों को ऑन लाइन जारी किया जा रहा है।
4. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत स्थापना में जहां 10 से कम श्रमिक हो वहां किसी भी श्रम अधिनियम में निरीक्षण श्रम आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जा रहा है।

5. कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सभी निरीक्षणों को अनिवार्यतः संयुक्त रूप से (औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक/श्रम अधिकारी द्वारा) संचालित करने के निर्देश हैं।

#### आम-जन तक सेवाओं की उपलब्धता

1. ऑनलाइन सेवाओं की श्रम विभागीय पोर्टल के माध्यम से तथा राज्य के लगभग 23 हजार MP-Online किओस्क तथा लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से भी उपलब्धता है।

#### ऑनलाइन सेवाओं का सफलतम एकीकरण (Integration)

1. प्रथम चरण के अंतर्गत, भारत सरकार के श्रम सुविधा पोर्टल से दिसम्बर 2017 से इंटीग्रेशन किया गया एवं राज्य के सभी कार्यशील कारखानों को लेबर आईडेंटिफिकेशन नंबर (LIN) जारी किए गए।
2. श्रम विभाग को मध्यप्रदेश शासन के इन्वेस्ट पोर्टल से जोड़ कर श्रम सेवा पोर्टल की 7 मुख्य सेवाओं को जोड़ा गया।

#### नवाचार की पहल

1. मध्यप्रदेश "लिबर्टी पोर्टल" आरंभ कर बंधुआ मजदूरों की विमुक्ति एवं पुनर्वास की ऑनलाइन ट्रेकिंग शुरू करने वाला मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य बना।

#### विभिन्न मंडलों की पहल

1. श्रमोदय विद्यालयों के अंतर्गत भर्ती किये जाने वाले विद्यार्थी को संपूर्ण एडमिशन प्रक्रिया ऑनलाइन।
2. प्रदेश में दिसंबर 2019 तक लगभग 12 लाख 81 हजार नवीन निर्माण श्रमिकों को पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत किया गया।
3. मध्यप्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री जन कल्याण (नया सवेरा) योजना के अंतर्गत पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के सत्यापन के लिये माह जुलाई, 2019 से चलाया गया विशेष अभियान अत्यंत सफल रहा है। इस अभियान के दौरान प्रदेश में 1 करोड़ 54 लाख श्रमिक पात्र पाये गये जबकि 77.89 लाख अपात्र पाये गये।

#### बंधक एवं बाल श्रम पुनर्वास

1. बंधक श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रदेश के 51 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया गया।
2. राज्य के 51 जिलों में बंधक श्रम पुनर्वास निधि समिति का (कारपसफण्ड) गठन किया गया है। 51 जिलों को रुपये 284.00 लाख की राशि आवंटित की गयी है।
3. बंधक एवं बाल श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास के संबंध में किये गये प्रयास तथा विमुक्ति की कार्यवाही में मानक प्रचलन प्रक्रिया (SOP) का समावेश करते हुए बुकलेट्स जारी की गयी।

4. बंधक श्रम विषय पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन एवं लिबर्टी पोर्टल प्रारंभ किया गया तथा बाल श्रम विषय पर यूनिसेफ के साथ इन्दौर में राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन।
5. बंधक श्रम एवं बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाया गया।
6. राज्य शासन से समन्वय स्थापित कर नयी बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016 के क्रियान्वयन हेतु 2 करोड़ 84 लाख का बजट उपलब्ध करवाया गया।
7. बंधक श्रम पर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल द्वारा चयनित जिलों में मूल्यांकन अध्ययन का कार्य किया जा रहा है।
8. बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रत्येक जिले के एक श्रम निरीक्षक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

### औद्योगिक संबंध

1. राज्य में औद्योगिक संबंधों की स्थिति सौहार्दपूर्ण। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत 8 औद्योगिक इकाइयों में उत्पन्न श्रमिक विवाद एवं गतिरोध की स्थिति त्वरित विभागीय हस्तक्षेप से समाप्त कराई गई।
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अंतर्गत श्रम न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड का परिपालन न होने के कारण श्रमिक हित में 76 प्रकरणों में अभियोजन दायर करने की स्वीकृति दी गई एवं 100 प्रकरणों में श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का परिपालन करवाया गया।
3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी-1 के अंतर्गत 48 प्रकरणों में श्रमिकों के हित में रु. 45 करोड़ 50 लाख के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये।

### प्रवर्तन

1. राज्य में विभिन्न श्रम कानूनों में श्रमिक हितैषी प्रावधानों का परिपालन सुनिश्चित कराया गया।
2. निरीक्षण कार्य पूर्णतः अनुमति आधारित ऑन लाइन किया जाकर पारदर्शिता लायी गयी। अनावश्यक निरीक्षणों पर रोक।
3. वर्ष 2019-20 में विभिन्न श्रम कानूनों में 15065 निरीक्षण किये गये तथा उल्लंघन पाये जाने पर 1640 अभियोजन तथा कम भुगतान के प्रकरणों में 583 दावे सक्षम न्यायालयों में दायर।
4. वर्ष 2019-20 में कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से 1299 निरीक्षण किये गये तथा उल्लंघन पाये जाने पर 111 अभियोजन सक्षम न्यायालयों में दायर।

### कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, मध्य प्रदेश

1. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के 1013 आपरेशन किये गये हैं ।
2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिये जुलाई 2001 से स्थापित रिवाल्विंग कॉरपस फण्ड व्यवस्था कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिनोंक 31.3.2015 से समाप्त करते हुए, एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 द्वारा भुगतान रहित व्यवस्था दिनोंक 1.4.2015 से प्रारम्भ की गई है । जिसके अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अनुबंधित चिकित्सालयों में हितग्राहियों के सैकेण्डरी केयर उपचार अन्तर्गत 6,850 प्रकरणों में रुपये 8,54,11,675/- के भुगतान की स्वीकृति जारी की गई ।
3. सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 0-18 वर्ष आयु के बच्चों का विभागीय औषधालय एवं चिकित्सालय के माध्यम से 524 शिविर आयोजित कर 36,441 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है ।
4. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के हितग्राहियों को सुपरस्पेशलिटी उपचार हेतु निगम द्वारा सीलिंग से बाहर व्यय के अन्तर्गत केश लेस सुविधा दिनोंक 1.9.2015 से पुनः उपलब्ध कराना प्रारंभ किया गया है, जो निरन्तर है ।
5. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा 9,199 मरीजों को अंतरंग एवं 15,18,793 मरीजों को बाह्य उपचार उपलब्ध कराया गया ।
6. हिपेटाइटिस "बी" से बचाव के लिये बीमितों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये हिपेटाइटिस-बी का विशेष सत्र औद्योगिक इकाईयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 408 हितग्राहियों को टीके लगाये गये हैं ।
7. परिवार कल्याण व टीकाकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 1047 नसबन्दी शल्य किये सम्पन्न की गई व 11059 लाभार्थियों को विभिन्न रोगों के रोग निरोधक टीके लगाये गये ।
8. बीमित हितग्राहियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम विभाग के आदेश दिनोंक 1/10/2019 द्वारा माननीय श्रम मंत्रीजी के संरक्षण व मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में म0प्र0 कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन किया गया है, जो एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में कार्य करेगी एवं जिसे व्यय की उच्चतम सीमा के अधीन शतप्रतिशत राशि निगम द्वारा प्रथम दो वर्षों तक प्रदान की जाएगी । आगामी वित्तीय वर्ष में विद्यमान बीमितों की संख्या के मान से सोसायटी को रुपये 285 करोड़ की प्राप्ति निगम से संभव है ।
9. पीथमपुर जिला-धार औद्योगिक क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में श्रम विभाग के पत्र दिनोंक 1.10.2019 द्वारा केन्द्रीय चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली को वॉछित प्रपत्र में स्वीकृति प्रेषित की गई है ।
10. भोपाल, ग्वालियर व क्षय चिकित्सालय तथा ग्वालियर के एक व इन्दौर के 3 औषधालयों में विशेष मरम्मत एवं रंग-रोगन के कार्य पूर्ण हो गये हैं ।

\* \* \*

## अध्याय—1

### श्रम विभाग की भूमिका

#### 1.1. प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में मुख्य कार्यशील जनसंख्या, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक तथा कुल श्रमिकों में उनका प्रतिशत, आदि आंकड़े इस प्रकार हैं।

तालिका 1.1

म.प्र. की मुख्य कार्यशील जनसंख्या एवं श्रमिकों में वर्ग विशेष का प्रतिशत आदि  
(लाखों में)

| श्रमिकों में वर्ग      | नियोजित व्यक्तियों की संख्या | कुल जनसंख्या में प्रतिशत | कुल श्रमिकों में वर्ग विशेष का प्रतिशत |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| कुल जनसंख्या           | 726.27                       | 100.00                   | 230.02                                 |
| कुल कर्मी              | 315.74                       | 43.47                    | 100.00                                 |
| दीर्घकालिक कर्मी       | 227.02                       | 31.26                    | 71.90                                  |
| काश्तकार               | 82.15                        | 11.31                    | 26.02                                  |
| खेतीहर मजदूर           | 66.31                        | 9.13                     | 21.00                                  |
| पारिवारिक उद्योग कर्मी | 6.48                         | 0.89                     | 2.05                                   |
| अन्य कर्मी             | 72.09                        | 9.93                     | 22.83                                  |
| अल्पकालिक कर्मी        | 88.72                        | 12.22                    | 28.10                                  |
| काश्तकार               | 16.29                        | 2.24                     | 5.16                                   |
| खेतीहर मजदूर           | 55.61                        | 7.66                     | 17.61                                  |
| पारिवारिक उद्योग कर्मी | 3.12                         | 0.43                     | 0.99                                   |
| अन्य कर्मी             | 13.69                        | 1.88                     | 4.34                                   |
| गैर कर्मी              | 410.53                       | 56.53                    | 130.02                                 |

#### 1.2. संविधान के सुसंगत प्रावधान

भारत के संविधान के “मूल अधिकार” और “राज्य की नीति के निदेशक तत्व” संबंधी अध्यायों में वे सिद्धांत विहित हैं, जिन पर राज्य की श्रम नीति आधारित होगी। तत्संबंधी उद्धरण परिशिष्ट—1.1 पर संलग्न है, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :—

- संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें निर्बाध परंतु शांतिपूर्ण ढंग से सामूहिक सौदेबाजी (**collective bargaining**) की स्वतंत्रता शामिल है
- बलात् श्रम का और कारखानों, खदानों तथा जोखिम-युक्त नियोजनों में बाल श्रम का निषेध,

- पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन,
- कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की तथा बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा,
- काम की न्याय-संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता हेतु उपबंध,
- सभी कामगारों के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर, आदि सुनिश्चित किया जाना, और
- उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी।

“श्रम” संबंधी अधिकांश महत्वपूर्ण विषय संविधान की समवर्ती सूची में हैं, जिसकी सुसंगत प्रविष्टियों का उद्धरण निम्नानुसार है :—

22. व्यापार संघ; औद्योगिक और श्रम विवाद
23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी
24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशायें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं।

समवर्ती सूची के उक्त विषयों पर कानून बनाने के लिये संसद और राज्य के विधान-मंडल दोनों सक्षम हैं।

### 1.3. महत्वपूर्ण श्रम कानून

संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के लिये प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की एक सूची निम्नानुसार है (इस सूची में उल्लिखित जिन कानूनों के नाम “मध्य प्रदेश” से आरंभ होते हैं, वे राज्य अधिनियम हैं, तथा शेष केंद्रीय अधिनियम हैं) :—

1. औद्योगिक संबंध विषयक कानून
  1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
  2. मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960
  3. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926
  4. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
  5. मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961
2. मजदूरी (पारिश्रमिक) संबंधी कानून
  6. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
  7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
  8. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
3. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सामान्य कानून
  9. कारखाना अधिनियम, 1948
  10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986—विशेषतः उसके अंतर्गत बनाये गये निम्नलिखित नियम :
    - (क) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989
    - (ख) रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996
  11. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983
4. कतिपय विशिष्ट प्रकार के नियोजनों में कार्यदशाओं के विनियमन संबंधी कानून
  12. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958
  13. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें ) अधिनियम, 1966



14. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
15. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961
16. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
17. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979
18. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1976
19. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955
20. सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981
5. महिला समानता एवं सशक्तिकरण संबंधी कानून
  22. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
  23. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
6. श्रमिकों के कमजोर वर्गों से संबंधित कानून
  24. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
  25. बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन ) अधिनियम, 1986
  26. बाल (श्रम—गिरवीकरण) अधिनियम, 1933
  27. मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003
7. सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून
  28. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
  29. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
  30. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
  31. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
8. श्रम कल्याण निधियों संबंधी कानून
  32. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
  33. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976
  34. लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976
  35. चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972
  36. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982
  37. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982
9. विविध
  38. श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988

उपर्युक्त में से कुछ अधिनियमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह केन्द्र सरकार की और कुछ की पूरी तरह राज्य सरकार की है, जबकि कतिपय अधिनियमों के क्रियान्वयन में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका है। इस संबंध में अधिनियम—वार जानकारी परिशिष्ट—1.2 में दी गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों को समेकित कर चार लेबर कोड निर्मित करने की प्रक्रिया जारी है।

#### 1.4. विभागीय संरचना तथा सामान्य जानकारी :-

राज्य के श्रम विभाग का मुख्य दायित्व विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के शारीरिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना है। इसके आधार पर प्रदेश को एक सक्षम श्रम शक्ति प्राप्त होती है जो कि औद्योगिक विकास में अपना प्रभावी योगदान देती है।

विभाग श्रमायुक्त संगठन के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा-शर्तों का विनियमन करता है जिससे श्रमिकों के वेतन एवं कार्यदशाएं समुचित रहती हैं तथा औद्योगिक विवाद का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करता है। इसके साथ ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है जिससे आकस्मिक रूप से श्रमिक दुर्घटना के शिकार न हों, एवं उन्हें समुचित कार्यदशा कार्य करने के लिये उपलब्ध हो सके।

श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिये विभाग कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के माध्यम से श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराता है। असंतोष एवं अनिर्णय की स्थिति में अध्यक्ष, औद्योगिक न्यायालय के अंतर्गत श्रम न्यायपालिका के माध्यम से श्रमिकों को सुलभ न्याय प्राप्त होता है।

#### 1.5. प्रदेश में पंजीकृत कारखानों एवं स्थापनाओं की जानकारी

प्रदेश में कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत एवं अन्य अधिनियमों पंजीकृत कारखानों तथा श्रमिकों की नियोजन क्षमता की जानकारी की जानकारी 31.12.2019 की स्थिति में निम्नानुसार है:-

**तालिका 1.2**

| क्र. | अधिनियम का नाम                                                                | पंजीकृत संस्थानों की संख्या | ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या | श्रमिकों / कर्मचारियों की संख्या, जो अनुज्ञप्ति / पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लिखित है |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | कारखाना अधिनियम, 1948                                                         | 7698                        | —                                                                   | 642643                                                                               |
| 2.   | म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958                                        | 706784                      | —                                                                   | 1420322                                                                              |
| 3.   | ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन अधिनियम, 1970)                                  | 7150                        | 6158                                                                | 528623                                                                               |
| 4.   | मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961                                             | 2267                        | —                                                                   | 17250                                                                                |
| 5.   | बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, 1966                                         | 254                         | —                                                                   | 197063                                                                               |
| 6.   | भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों विनियमन) अधिनियम, 1996 | 2390                        | —                                                                   | 210000                                                                               |
| 7.   | अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों), 1979                  | 181                         | 102                                                                 | 12120                                                                                |

(उपर्युक्त आंकड़ों का संभाग एवं जिले-वार विवरण परिशिष्ट- 4.1, 7.1, 8.1, 10.1, 10.3 एवं 10.4, 10.5 में देखा जा सकता है।)

\* \* \*

## अध्याय-2

### विभागीय संरचना एवं बजट – एक विहंगावलोकन

श्रम विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार तीन विभागाध्यक्ष संगठन और पांच संविधिक मंडल कार्यरत हैं :-

#### विभागाध्यक्ष

1. श्रमायुक्त (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सहित)
  2. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें
  3. पंजीयक, औद्योगिक न्यायालय
- उपर्युक्त तीनों विभागाध्यक्षों का मुख्यालय, इंदौर में है।

#### संविधिक मंडल

1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल, भोपाल
  2. मध्य प्रदेश स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर
  3. मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
  4. म.प्र.शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल
  5. म.प्र.ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल
- उक्त विभागाध्यक्ष संगठनों और संविधिक मंडलों के बारे में संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है।

#### 2.1 श्रमायुक्त संगठन

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 3 और 6 में प्रावधान है कि राज्य शासन प्रदेश के लिये एक श्रमायुक्त नियुक्त करेगा तथा उनकी सहायता के लिये आवश्यक संख्या में उपश्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी आदि नियुक्त करेगा। तदनुसार प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन कार्यरत है। राज्य शासन ने श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत “मुख्य संराधक” भी नियुक्त किया है। श्रमायुक्त संगठन, जिसका मुख्यालय इन्दौर में है, के अधीन मुख्य रूप से दो शाखायें कार्यरत हैं एक शाखा श्रम कानूनों का प्रवर्तन, श्रमिक हित संरक्षण एवं औद्योगिक संबंध विषयक कार्य करती है, तथा दूसरी शाखा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्य संपादित करती है।

मुख्यालय में उक्त प्रथम शाखा के अंतर्गत वर्तमान में एक अपर श्रमायुक्त, दो उप श्रमायुक्त, एक सहायक श्रमायुक्त, पांच श्रम पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी पदस्थ हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये अपर श्रमायुक्त का एक पद श्रम विभागीय आदेश दिनांक 15.6.2011 द्वारा सृजित किया गया है, जो वर्तमान में रिक्त है।

प्रदेश के (नवगठित निवाडी जिले को छोड़कर) अन्य सभी जिलों में श्रम कार्यालय स्थापित हैं। सभी कार्यालयों में श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त की पदस्थापना होने तक इन जिलों का प्रभार समीपस्थ जिले अथवा सहायक श्रम पदाधिकारी स्तर के पदस्थ अधिकारी द्वारा देखा जाता है। दो जिलों (धार एवं भिण्ड) में दो-दो कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें एक-एक जिला मुख्यालय पर तथा दूसरा प्रमुख औद्योगिक केन्द्र (क्रमशः पीथमपुर एवं मालनपुर) पर स्थित है।

प्रदेश के 52 जिलों में से 10 संभागीय कार्यालयों (इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, नर्मदापुरम संभाग—होशंगाबाद, शहडोल एवं चंबल संभाग—मुरैना) एवं 01 जिला सिंगरौली में सहायक श्रमायुक्त स्तर के तथा शेष 42 कार्यालय श्रम पदाधिकारी स्तर के हैं। वर्तमान में संभागीय व्यवस्था पुनर्जीवित होने से संभाग स्तर पर पदस्थ सहायक श्रमायुक्त संभागीय स्तर का कार्य भी देख रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के श्रम कार्यालयों की जानकारी परिशिष्ट 2.1 में देखी जा सकती है।

## 2.2 औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा शाखा संचालक के प्रभार में है। उनके अधीन मुख्यालय में एक संयुक्त संचालक, एक उप संचालक तथा सहायक संचालक के दो पद स्वीकृत हैं। ये सभी तकनीकी पद हैं। इंदौर में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारी अभियांत्रिकी स्नातक होते हैं। इनके निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं:—

|              |    |                   |    |
|--------------|----|-------------------|----|
| 1. संचालक    | 01 | 2. संयुक्त संचालक | 03 |
| 3. उप संचालक | 12 | 4. सहायक संचालक   | 25 |

(टिप्पणी:— वर्तमान में 10 सहा.संचालक कार्यरत हैं।)

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्य के लिए तीन झोनल संयुक्त संचालक (1. भोपाल, 2 इंदौर तथा मुख्यालय इंदौर में) तथा ग्यारह (स्वतंत्र) संभागीय उपसंचालक के कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित हैं —

1. इंदौर, 2. उज्जैन, 3. देवास, 4. खण्डवा, 5. भोपाल, 6. जबलपुर, 7. सतना, 8. ग्वालियर, 9. मुख्यालय, इंदौर 10. बीना (जिला सागर), 11. सिंगरौली।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक स्वास्थ्य एवं विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में स्थित है, जिसके प्रभारी उप संचालक है। मन्दसौर में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित है, जिसके प्रभारी सहायक संचालक हैं। विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 2.2 में देखी जा सकती है।

## 2.3 कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) सेवायें

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें संचालित हैं, जिसका संचालनालय इन्दौर में है तथा संचालक इसके विभागाध्यक्ष है। मुख्यालय में उनके अधीन दो उप संचालक तथा एक सहायक संचालक के पद स्वीकृत हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्तमान में प्रदेश के 20 केन्द्रों पर संचालित है, जो पॉच क्षेत्रीय उप संचालकों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। प्रदेश के 20 जिलों में 20 केन्द्रों पर 42 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, 3 पैनल क्लिनिक, 5 सामान्य चिकित्सालय (उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल देवास एवं नागदा) 1 क्षय चिकित्सालय (इन्दौर) तथा 1 एनेक्सी वार्ड (मन्दसौर) स्थापित है। कार्यरत क.रा.बी.संस्थाओं की संभाग, जिले एवं केन्द्र-वार सूची परिशिष्ट— 2.3 में दी गई है। प्रदेश में जिन केन्द्रों पर विभाग के चिकित्सालय कार्यरत नहीं हैं वहाँ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 16 चिकित्सालयों में 96 सामान्य तथा 46 क्षय, शैय्याओं का आरक्षण कर अंतरंग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 का पालन करते हुए भुगतान रहित द्वितीयक व सुपरस्पेशलिटी चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत हितग्राहियों के द्वितीयक उपचार एवं जॉच हेतु संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ द्वारा निजी क्षेत्र के 20 निजी संस्थानों को अनुबंधित

किया गया है। सुपरस्पेशलिटी उपचार व जॉच हेतु अनुबंध की कार्रवाई वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम म0प्र0 द्वारा की गई है।

## 2.4. औद्योगिक न्यायालय

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय स्थापित है। इसका मुख्यालय इन्दौर में है तथा 4 खंडपीठें क्रमशः जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा में स्थापित हैं। औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2 मुख्यालय इन्दौर में, एवं 4 खंडपीठों के लिए हैं। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-क के अंतर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त हैं।

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8, सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अंतर्गत प्रदेश में 25 श्रम न्यायालय गठित हैं इनके नाम और कार्यक्षेत्र परिशिष्ट 2.4 में देखे जा सकते हैं जिनमें से 23 श्रम न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं। जिन श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां का प्रभार अन्य निकटस्थ श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है। मुख्यालय पर प्रशासकीय व कार्यपालक कार्य के लिए एक पंजीयक है, जो न्यायिक कार्य के लिए कराधान अधिकारी भी है। खंडपीठों में संयुक्त पंजीयक, प्रशासकीय अधिकारी हैं।

## 2.5. सांविधिक मण्डल

श्रम विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में निम्नलिखित पांच सांविधिक मण्डल कार्यरत हैं :-

1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल
2. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर
3. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल
4. म.प्र. शहरी असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल
5. म.प्र. ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

### 2.5.1. मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982, के अंतर्गत गठित है। म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के प्रावधान उन्ही स्थापनाओं पर लागू है जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। माइक्रो इंडस्ट्रीज को उक्त अधिनियम से छूट प्राप्त है। म.प्र. श्रम कल्याण का मंडल का मुख्य उद्देश्य कारखानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों तथा उनके परिजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनाएँ/गतिविधियाँ संचालित करना है। इसके लिये अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत निधि की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उक्त निधि में एकत्र राशि से मंडल विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करता है। मंडल के संचालक मंडल में धारा 4 तथा नियम 5 के अनुसार नियोजकों के 6 प्रतिनिधि, श्रमिकों के 6 प्रतिनिधि तथा 7 स्वतंत्र सदस्य जिनमें कम से कम 1 महिला सदस्य रखे जाने का प्रावधान है। सदस्यों का कार्यकाल धारा 4 की उपधारा 4 के अनुसार 3 वर्ष होगा। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया मंडल के अध्यक्ष हैं। मंडल के कल्याण आयुक्त उप श्रम आयुक्त हैं।

### 2.5.2. मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल

मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत मंदसौर जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिये एक निधि की स्थापना की गई है। इसके संचालन के लिये एक मंडल गठित है, जिसका कार्यकाल तीन वर्ष होता है। मंडल में अध्यक्ष तथा सचिव के अलावा नियोजकों एवं कर्मकारों के तीन-तीन प्रतिनिधि तथा तीन स्वतंत्र सदस्य होते हैं। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया मंडल के अध्यक्ष हैं। मंडल के सचिव सहायक श्रम आयुक्त हैं।

### 2.5.3. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 18 सहपठित म0प्र0 नियम 2002 के नियम 251 के अंतर्गत मण्डल का गठन प्रथम बार राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 10.04.2003 द्वारा किया गया था। तदुपरांत मण्डल का कार्यकाल (3 वर्ष) पूर्ण होने पर अधिसूचना द्वारा समय समय पर पुनर्गठन किया गया है। मण्डल में प्रमुख सचिव, श्रम कल्याण आयुक्त, (भारत सरकार) जबलपुर तथा मुख्य निरीक्षक एवं श्रमायुक्त पदेन सदस्य के अलावा मण्डल में राज्य शासन के विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार सदस्य, भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य तथा भवन कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। वर्तमान में माननीय श्रम मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया मंडल के अध्यक्ष हैं। मंडल के सचिव उप श्रम आयुक्त हैं।

### 2.5.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों (शहरी/ग्रामीण) के कल्याण हेतु मण्डल का गठन म. प्र. राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2008 द्वारा किया गया। राज्य शासन द्वारा दिनांक 25.01.2016 को अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। दिनांक 20 जनवरी 2018 को पुनः कार्यकाल 2 वर्षों के लिये बढ़ाया गया।

असंगठित श्रमिकों के लिए बजटीय प्रावधान मंडल को न किया जाकर श्रम विभाग को किया गया है। मंडल द्वारा विभिन्न विभागों, जिनके द्वारा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है से समन्वय स्थापित कर तथा डाटा कलेक्ट कर श्रमायुक्त म.प्र. शासन को उपलब्ध कराया जाता है। मंडल के सचिव उप श्रमायुक्त हैं।

## 2.6. ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य

2.6.1 ग्राम-स्तर पर श्रम विभाग से संबंधित कार्य ग्राम सभा की "ग्राम विकास समिति" नामक स्थायी समिति को सौंपे गए हैं। ये कार्य मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,
2. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम,
4. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, और इस संबंध में अधिक विवरण अध्याय 5, 6 एवं 8 में दिया गया है।

## 2.7 कम्प्यूटरीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग के साथ प्रक्रियाओं एवं प्रपत्रों का सरलीकरण करते हुए समस्त पंजीयन, अनुज्ञप्ति, निरीक्षण प्रक्रिया, बंधक मजदूरी पर नियंत्रण एवं उनके उन्मूलन



संबंधित सभी सेवाओं को ऑन-लाइन कर दिया गया है। विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा निरंतर प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु अग्रसर है। इस संबंध में किये गए उत्कृष्ट प्रयासों एवं कार्यों की प्रशंसा भारत सरकार स्तर पर भी की जा रही है।

### “ईज-ऑफ-डूईंग-बिजनेस” की उपलब्धियां :

1. ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत श्रम विभागीय पोर्टल-“श्रम-सेवा” [www.labour.mp.gov.in](http://www.labour.mp.gov.in) / [www.shramsewa.mp.gov.in](http://www.shramsewa.mp.gov.in) पर सिंगल विन्डो के माध्यम से सभी सेवाओं एवं हित लाभ वितरण की व्यवस्था।
2. कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन कारखानों के निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष को अधिकृत किया गया है।
3. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीयन, नवीनीकरण एक कार्य दिवस में जारी किया जा रहा है।

### जनसामान्य तक सेवाओं की उपलब्धता

1. सभी कार्यालयों को सरकारी डोमेन ([mp.gov.in](http://mp.gov.in)) पर ई-मेल की उपलब्धता।
2. पोर्टल द्वारा “आप पर लागू श्रम कानूनों” को जानने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी ताकि सभी कानूनों/अधिनियमों के अंतर्गत अनुपालन किया जा सके।

### नवाचार की पहल

नवाचार के दृष्टिगत निम्नलिखित अधिनियमों में प्राप्त आवेदनों को 7 कार्य दिवस में निपटारा किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी।

- ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।
- ठेका श्रम (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन/संशोधन।
- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत स्थापनाओं का पंजीयन/संशोधन।
- मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश नियम, 1963 के अंतर्गत प्रतिष्ठानों का पंजीयन/नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।
- अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण/संशोधन/संशोधन सहित नवीनीकरण।
- अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन/संशोधन।

### श्रम विभागीय सेवाओं के मोबाइल एप

शासन द्वारा विभिन्न श्रम विभागीय सेवाओं को “डिजिटल इंडिया” कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल एप के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। श्रम विभागीय सेवाओं के मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। वर्तमान में “एम-श्रम सेवा एप” के माध्यम से श्रम-विभाग की महत्वपूर्ण सेवाएँ नागरिकों हेतु उपलब्ध रहेगी

### ई-गवर्नेन्स एवं प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के प्रयासों को सराहना एवं पुरस्कार

विभाग के ई-गवर्नेन्स एवं प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के प्रयासों को विभिन्न स्तरों से सराहना एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनकी संक्षेप में जानकारी निम्नवत है :-

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (जी.पी.आर.) में उत्कृष्टता हेतु प्रथम पुरस्कार।
2. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017-18 में मध्यप्रदेश राज्य 97.30 प्रतिशत अंकों के साथ अग्रणी 7 राज्यों में शामिल। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार द्वारा श्रम विभाग के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुपालनों को 100 प्रतिशत स्वीकृत किया गया।
3. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (जी.पी.आर.) में उत्कृष्टता हेतु रजत पुरस्कार।
4. स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स सिटीजन्स सर्विस डिलीवरी पोर्टल 2015
5. स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट फॉर लेबर रिफॉर्म्स 2015
6. सीएसआइ-निहिलेंट ई-गवर्नेन्स अवार्ड फॉर श्रम सेवा पोर्टल 2014-15
7. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु विश्व बैंक द्वारा भी श्रम विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा की गई पहल को सराहा गया है।
8. मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (जी.पी.आर.) में उत्कृष्टता हेतु प्रथम पुरस्कार।
9. मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु एक्सिलेंस इन ई-गवर्नेन्स इनिशिएटिवज फॉर श्रम सेवा पोर्टल

श्रम विभाग की समस्त गतिविधियों से संबंधित जानकारी विभागीय वेब पोर्टल [www.labour.mp.gov.in/www.shramsewa.mp.gov.in](http://www.labour.mp.gov.in/www.shramsewa.mp.gov.in) पर नियमित रूप से अपलोड की जाती है।

## 2.8 बजट प्रावधान

श्रम आयुक्त संगठन, श्रम न्याय पालिका एवं कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ के लिए विगत तीन वर्षों के बजट प्रावधान तथा उनके विरुद्ध व्यय की जानकारी परिशिष्ट-2.5 में दर्शायी गयी है।

\* \* \*



## अध्याय—3

### औद्योगिक संबंध

#### 3.1. सामान्य

प्रदेश में औद्योगिक संबंधों के नियमन के लिये दो प्रमुख श्रम कानून लागू हैं— मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 प्रदेश की ऐसी समस्त अनुसूचित औद्योगिक इकाइयों पर लागू है, जहां विगत एक वर्ष में 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची परिशिष्ट—3.1 में दी गई है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, जो केंद्रीय अधिनियम है, प्रदेश की शेष ऐसी इकाइयों पर लागू है, जो मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित उद्योगों की सूची में नहीं हैं अथवा जहां 100 से कम संख्या में श्रमिक नियोजित हैं।

जब कभी किसी उद्योग में हड़ताल, तालाबंदी आदि की संभावना होती है या उसकी स्थिति उत्पन्न होती है तो श्रम विभाग के अधिकारी श्रमिक और नियोक्ता पक्षों से लगातार चर्चा कर समस्या का सौहार्द्रपूर्ण विधि अनुकूल हल निकालने और औद्योगिक शांति बनाए रखने का प्रयास करते हैं।

#### 3.2. औद्योगिक विवाद की स्थिति में सुलह कार्यवाही

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में उद्योग में किसी एक बहुसंख्य श्रमिक सदस्यता वाले श्रमिक संघ को, शासन द्वारा नियुक्त पंजीयक, प्रतिनिधि संघ, के द्वारा मान्यता दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के कारण उद्योगों में विभिन्न पंजीकृत श्रमिक संघों में प्रजातांत्रिक प्रतियोगिता रहती है। उक्त अधिनियम में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में, वरीयता क्रम में मान्यता प्राप्त यूनियन, पंजीयत यूनियन और इन दोनों की अनुपस्थिति में श्रम पदाधिकारी को श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने, “परिवर्तन” की सूचना देने तथा विवाद की सूचना देने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में सुलह कार्यवाही को अनिवार्य बनाया गया है ताकि यथासंभव हड़ताल या आंदोलन की स्थिति निर्मित न हो।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, में सभी श्रमिक संघों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होता है। वे अपने सदस्य श्रमिकों के लिये मांगें प्रस्तुत करते हैं, जिन पर श्रम विभाग द्वारा मध्यस्थता कर सुलह के प्रयास किये जाते हैं।

श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों में त्वरित हस्तक्षेप कर जहां औद्योगिक अशांति का वातावरण दूर कर उत्पादन वृद्धि में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर श्रमिक प्रतिनिधियों तथा प्रबंधन के मध्य समझौतों के माध्यम से श्रमिकों के कल्याण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर सहमति कराकर उसका क्रियान्वयन कराया जाता है।

उक्त दोनों अधिनियमों में विवादों के निराकरण की सिलसिले—वार ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें समझौता न हो सकने की स्थिति में भी हड़ताल टाली जा सके और औद्योगिक विवाद पर श्रम/औद्योगिक न्यायालय का अधिनिर्णय प्राप्त किया जा सके।

### 3.3. ले-ऑफ, छंटनी और बंदीकरण हेतु अनुमति

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, का अध्याय 5-ख विशेष रूप से ले-ऑफ, छंटनी और बंदीकरण के बारे में उन संस्थानों के लिये प्रावधान करता है जहां विगत एक वर्ष में प्रति कार्य दिवस, औसतन, 300 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। इस अध्याय के अंतर्गत नियोक्ता को ले-ऑफ, छंटनी अथवा बंदीकरण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी को अनुमति हेतु आवेदन देना आवश्यक है। अनुमति के बिना ले-ऑफ, छंटनी अथवा बंदीकरण नहीं किया जा सकता। राज्य शासन ने ले-ऑफ एवं छंटनी के संबंध में अनुमति देने के अधिकार श्रमायुक्त को प्रत्यायोजित किये हैं, जबकि बंदीकरण हेतु अनुमति देने का अधिकार स्वयं शासन में वेष्टित है। बंदीकरण, छंटनी एवं ले-ऑफ की अनुमति के आवेदनों का निराकरण संबंधित पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोषों पर किया जाता है। अध्याय 5-ख के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के किया गया ले-ऑफ, छंटनी एवं बंदीकरण दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये अभियोजन की स्वीकृति दी जा सकती है।

### 3.4 मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का कार्यान्वयन

औद्योगिक विवाद उद्भूत होने की दशा में सुलह अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद हस्तगत कर सुलह की कार्रवाई करते हैं। इसके असफल होने पर विवाद को श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। प्रदेश में विगत वर्षों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई की जानकारी परिशिष्ट-3.2 में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान सक्षम न्यायालय द्वारा समुचित शासन द्वारा प्रस्तुत शिकायत अथवा प्राधिकृत शिकायत पर ही लिया जा सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत स्वीकृत अभियोजन की जानकारी परिशिष्ट 3.3 में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 सी(1) के अंतर्गत जहाँ किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन या (अध्याय 5 क या अध्याय 5 ख) के उपबंधों के अधीन किसी कर्मकार को नियोजक से कोई धन शोध्य हो, वहाँ स्वयं वह कर्मकार या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या कर्मकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसका कोई वारिस, उस धन की वसूली के लिये सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। यदि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो वह उस रकम की भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूली के लिये कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र जारी करता है। उक्त धारा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर जारी वसूली प्रमाण पत्र तथा उनमें निहित वसूली योग्य राशि की जानकारी परिशिष्ट 3.4 में दी गई है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एम, 25 एन तथा 25 ओ के अंतर्गत क्रमशः ले-ऑफ, छंटनी तथा बंदीकरण की अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी परिशिष्ट 3.5 में दी गई है।

मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 31 के अंतर्गत कोई भी नियोजक, अथवा कर्मचारियों का कोई भी प्रतिनिधि किसी औद्योगिक विषय में परिवर्तन के संबंध में कोई सूचना/विवाद सुलह अधिकारी को दे सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्रीय सुलह अधिकारी विवाद को हस्तगत कर सुलह की कार्यवाही सम्पादित करता है।

सुलह न होने की स्थिति में विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 43 (5) में असफल घोषित कर विवाद को सम्बन्धित श्रम न्यायालय को संदर्भित करने हेतु मुख्य सलहाकार को प्रेषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 51 में श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय या बोर्ड को संदर्भित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है। मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत विवादों पर की गई कार्रवाई की जानकारी परिशिष्ट—3.6 में दर्शाई गयी है।

श्रम विभाग प्रयास करता है कि औद्योगिक स्थापनाओं में हड़तालें तथा उनके कारण होने वाली मानव दिवसों की हानि कम से कम हों। प्रदेश में औद्योगिक स्थापनाओं में विगत वर्षों में हड़ताल के परिणाम के फलस्वरूप मानव दिनों की हानि संबंधी जानकारी तालिका क्रमांक 3.1 में दर्शाई गई है:—

तालिका 3.1

| वर्ष                       | हड़तालों संख्या | मानव दिनों की हानि |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| 2015—16 मार्च              | 14              | 53351              |
| अप्रैल 2016 से मार्च 17 तक | 13              | 171430             |
| अप्रैल 2017 से मार्च 18 तक | 10              | 34976              |
| अप्रैल 2018 से मार्च 19 तक | 08              | 124273             |
| अप्रैल 2019 से दिसंबर 19   | 07              | 39297              |

### 3.5. मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961 का कार्यान्वयन

यह अधिनियम पूर्व में ऐसे औद्योगिक संस्थानों तथा उपक्रमों पर लागू होता था जहां 20 से अधिक श्रमिक नियोजित हों। मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन(स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, 2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2014) के अन्तर्गत श्रमिक संख्या "20 से अधिक" के स्थान पर "50 से अधिक" संशोधित कर दी गयी है तथा सूक्ष्म उद्योगों को इस अधिनियम से मुक्त किया गया है। इस अधिनियम के तहत बने नियमों में "मानक स्थाई आज्ञाओं" का प्रावधान किया गया है। इनमें श्रमिकों का नियुक्ति पत्र, सेवा शर्तें, चयन की प्रक्रिया, कार्य के घन्टे, वर्गीकरण (जैसे स्थाई, अस्थायी, बदली, सीजनल) इत्यादि के बारे में प्रावधान किये गये हैं। इसके अलावा स्थाई आज्ञाओं के अन्तर्गत श्रमिक को टिकिट, जिसमें उसकी पाली का प्रारंभ होना तथा व्यक्तिगत विवरण अंकित रहता है, प्रदत्त किये जाने तथा अस्थायी श्रमिक को स्थाई होने की पात्रता तथा श्रमिक/कर्मचारी द्वारा अनुशासनहीनता किये जाने पर आरोप पत्र देने, विभागीय जांच करने तथा दण्ड दिये जाने संबंधी प्रावधान भी हैं।

अध्यादेश 2014 में यह भी प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि सरकार मानक स्थाई आदेशों में कोई संशोधन करती है तो वह किसी पंचाट, करार या समझौते में और किसी उपक्रम में लागू स्थाई आदेशों के प्रमाणित संशोधनों में सम्मिलित समझा जायेगा एवं उल्लंघनों के प्रशमन का प्रावधान किया गया है। इसके परिणामस्वरूप श्रमविभागीय अधिसूचना दिनांक 28.6.2014 द्वारा मानक स्थाई आज्ञाओं में सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष किये जाने बाबद संशोधन सभी पर लागू होगा। इसके अंतर्गत निरीक्षण के अधिकार सहायक श्रम पदाधिकारी तथा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही दिये गये हैं, निरीक्षकों को नहीं। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में संपादित निरीक्षण/अभियोजन की जानकारी परिशिष्ट—3.7 में दर्शाई गई है।

अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई उद्योग-विशेष, मानक स्थायी आज़ाओं में कुछ संशोधन करना चाहता है तो वह अपना आवेदन प्रमाणीकरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्रमाणीकरण अधिकारी, श्रम संगठन एवं नियोजक की सुनवाई करके, अधिनियम की परिधि में, संशोधन किये जाने के आदेश प्रसारित करता है। आदेश से व्यथित पक्ष औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। औद्योगिक स्थापनाओं से स्थाई आदेशों और उनमें संशोधनों के प्रमाणीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर की गई कार्रवाई की जानकारी परिशिष्ट-3.8 में दर्शाई गई है।

### 3.6 व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 का कार्यान्वयन

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 मुख्यतः श्रमिक संगठनों के पंजीयन के लिये निर्मित केन्द्रीय अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार किसी संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत न्यूनतम 07 श्रमिक अपना संगठन पंजीकृत कराने की पात्रता रखते थे, परन्तु केन्द्र सरकार की अधिसूचना दिनांक 09 जनवरी, 2002 द्वारा उक्त अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार किसी संघ के पंजीयन के लिए आवेदन के दिनांक को, ऐसे संघ की सदस्यता, उस संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत कुल श्रमिकों के 10 प्रतिशत अथवा 100 श्रमिक, जो भी कम हो होना अनिवार्य है, किन्तु 70 अथवा इससे कम नियोजन पर न्यूनतम सदस्यता 07 आवश्यक है। पंजीयन का कार्य पंजीयक, व्यावसायिक संघ द्वारा किया जाता है। इसके लिये संगठन को अपने नियम (विधान), रसीद बुक, चंदे की दर तथा अपने प्रतिनिधित्व को स्पष्ट करना आवश्यक होता है। पंजीयक गुण-दोष के आधार पर संगठन का पंजीयन करते हैं अथवा आवेदन निरस्त करते हैं। आवेदन निरस्त करने पर व्यथित श्रमिक संघ, औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। पंजीयक व्यावसायिक संघ को व्यावसायिक संघ अधिनियम द्वारा पंजीयक के रूप में कार्य करने तथा जांच करने के लिये प्रथम श्रेणी न्यायाधीश के अधिकार प्रदत्त हैं। यह अधिनियम संगठन के अधिकारों के अलावा उसके दायित्वों को भी निर्धारित करता है। यथा अपना लेखा-जोखा तथा वार्षिक विवरण नियमित रूप से पंजीयक से अनुमोदित कराना इत्यादि। इसका पालन न करने की दशा में संगठन को कारण बताओ सूचना दी जाती है, और समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में पंजीयन निरस्त किया जा सकता है।

2— ऐसे श्रम संगठनों जिनके द्वारा निर्वाचन एवं वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये जाते उन्हें सुनवाई का अवसर देकर उनके पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाती है। इसके फलस्वरूप ऐसे त्रुटिकर्ता श्रम संगठनों की संख्या अब कम होती जा रही है। 31 दिसम्बर, 2018 की स्थिति में प्रदेश में 3074 पंजीकृत श्रम संगठन हैं। विगत दो वर्ष में पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन, उनका निराकरण तथा पंजीयन निरस्तीकरण की जानकारी परिशिष्ट-“अ” में प्रदर्शित है। अनेक पंजीकृत श्रम संगठन इण्टक, भारतीय मजदूर संघ, हिन्द मजदूर सभा, एटक, सीटू, एच.एम.के.पी. तथा यू.टी.यू.सी. जैसे केन्द्रीय श्रम संगठनों से संबद्ध हैं, परन्तु लगभग 60 प्रतिशत श्रमिक संगठन किसी भी केन्द्रीय श्रम संगठन से संबद्ध नहीं हैं।

3— व्यावसायिक संघ अधिनियम, 1926 (यथा मध्यप्रदेश के लिये संशोधित) के अध्याय तीन-क में 15 प्रतिशत से अधिक सदस्यता वाले संघ को “अनुमोदित संघ” घोषित करने का अधिकार पंजीयक को है। अनुमोदित संघ, परिसर में चंदा एकत्रित करने, संगठन का नोटिस बोर्ड लगाने एवं कारखाना परिसर में चर्चा करने के लिये अधिकृत रहता है। अनुमोदित श्रम संगठनों की प्रदेश में संख्या 23 है।

4— व्यावसायिक संघ अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अलावा मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पंजीयक, प्रतिनिधि संघ किसी भी उद्योग में 25 प्रतिशत से

अधिक सदस्यता वाले संघ को' मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि संघ' घोषित कर सकता है। यदि दो या इससे अधिक श्रम संगठनों की 25 प्रतिशत से अधिक सदस्य संख्या हो, तो अधिकतम सदस्य संख्या के आधार पर प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता दी जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 14.08.2007 द्वारा टेक्सटाइल, आयरन एण्ड स्टील, विद्युत सामग्री, शुगर, सीमेन्ट, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, लोक मोटर परिवहन, इंजीनियरिंग उद्योग, पाटरीज, रसायन तथा चमड़ा उद्योग सम्मिलित हैं, को मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 1(3) के अन्तर्गत सूची से पृथक किया गया था। फलस्वरूप प्रदेश में पूर्व के 62 प्रतिनिधि संघों के स्थान प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त 17 व्यावसायिक संघ शेष रह गये थे। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 14.9.2019 द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 14.8.2007 को निरस्त किया गया है। फलस्वरूप वर्तमान में पुनः प्रदेश में प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्राप्त 62 व्यावसायिक संघ हैं। मान्यता प्राप्त संघ, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, के अन्तर्गत नियोजक से औद्योगिक विवाद पर परिवर्तन सूचना तथा विवाद प्रतिवेदन प्रस्तुत कर वार्ता के माध्यम से समझौता करने हेतु एकमात्र अधिकृत संघ होता है। इससे बहुसंख्यक श्रम संगठनों की परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण औद्योगिक विवाद की स्थिति निर्मित नहीं होती है तथा स्थाई औद्योगिक शान्ति को बढ़ावा मिलता है।

पंजीयक, प्रतिनिधि संघ, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत पक्षों के बीच द्विपक्षीय ठहराव एवं त्रिपक्षीय समझौतों का विधि अनुसार परीक्षण कर पंजीयन भी करता है। पंजीयक द्वारा पंजीयन न करने के आदेश दिये जाने पर व्यथित पक्ष औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। विगत दो वर्षों में पंजीकृत ठहराव एवं समझौतों की जानकारी तालिका—“परिशिष्ट-3.9” में प्रदर्शित है।

\*\*\*

## अध्याय-4

### औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 2017-18

#### 4.1 सामान्य

कारखाना अधिनियम, प्रथमतः वर्ष 1881 में प्रभावशील हुआ था। इसके पूर्व सामाजिक कार्यकर्तागण कारखानों का भ्रमण करते थे और मानवीय दृष्टि से कारखाना प्रबंधन को सलाह दिया करते थे। अधिनियम को प्रभावशील करने का उद्देश्य कारखानों में स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण संबंधी व्यवस्था को सृदृढ़ बनाना था। इस अधिनियम के अंतर्गत पूर्व में अत्यंत सीमित अधिकारों के साथ निरीक्षण किये जाते थे। समय के साथ-साथ अधिनियम में संशोधन होते गये और अधिक विस्तृत और सुस्पष्ट प्रावधान किये गये। निरीक्षक को भी अधिक अधिकार संपन्न बनाया गया। वर्तमान में कारखाना अधिनियम, 1948, लागू है, जो 1.4.49 से प्रभावशील हुआ। दिसम्बर, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पश्चात इसमें व्यापक संशोधन किये गये।

श्रमायुक्त के अंतर्गत कार्यरत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948, के अतिरिक्त कारखानों में कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961, परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989, तथा रासायनिक दुर्घटनायें (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996, के अंतर्गत निर्धारित उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई मुख्यतः आयुक्त, कर्मकार क्षतिपूर्ति, अर्थात् श्रम न्यायालय द्वारा की जाती है। संचालनालय के अधिकारी, सलाहकार के रूप में उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं।

#### 4.2. कारखाना अधिनियम, 1948

कारखाना अधिनियम, 1948 निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर लागू होता है:-

(1) जिसमें दस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता से कोई निर्माण (उत्पादन) प्रक्रिया चलाई जा रही हो, या साधारणतः चलाई जाती हो

अथवा

(2) जिसमें बीस या अधिक श्रमिक कार्यरत हों, या पूर्ववर्ती बारह माह के किसी भी दिन कार्यरत रहे हों और जिसके किसी भाग में शक्ति की सहायता के बिना कोई निर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही हो या साधारणतः चलाई जाती हो।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत राज्य शासन ने निम्नलिखित प्रकार के परिसरों पर भी यह अधिनियम प्रभावशील किया है, जहां श्रमिकों के दुर्घटनाग्रस्त होने या व्यवसायजन्य बीमारी से पीड़ित होने की संभावना रहती है-

- (1) आरा मशीन
- (2) चावल मिल
- (3) तेल मिल
- (4) स्लेट पेन्सिल उद्योग
- (5) दाल मिल



- (6) रासायनिक प्रक्रिया के ऐसे कारखाने जहाँ खतरनाक रसायन, अति ज्वलनशील, विस्फोटक या विषैले पदार्थ उपयोग में लाये जाते हों अथवा उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित होते हों
- (7) एस्बेस्टास उपयोग करने वाले कारखाने
- (8) चूना भट्टे
- (9) स्टोन कशर एवं पल्वराइजर

कारखाना अधिनियम, 1948, के स्वास्थ्य, सुरक्षा व कल्याण से संबंधित प्रावधान उपर्युक्त परिसरों में लागू होते हैं। वर्ष 1987 के पूर्व, खतरनाक प्रक्रिया चलाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम की धारा-87 के अंतर्गत नियम-107 में भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के लिये विशेष प्रावधान थे, जो वर्तमान में भी हैं। वर्ष 1987 के पश्चात् अधिनियम में धारा-2 (सी.बी.) जोड़कर अनुसूची-1 का प्रावधान किया गया, जो खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित है। इन प्रक्रियाओं को चलाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम में एक नया अध्याय "चार-ए" जोड़ा गया, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से विशेष प्रावधान किये गये। इसमें जहां एक ओर श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान हैं, वहीं दूसरी ओर ऑन साइट आपात योजना बनाये जाने का प्रावधान भी किया गया है। दंडात्मक प्रावधानों को भी अधिक कठोर बनाया गया है। अधिनियम की धारा 92, 94, 95, 96-ए, 98, एवं 99 में विभिन्न अपराधों के लिये दंडात्मक प्रावधान किये गये हैं।

**4.2.2** कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 112 के साथ पठित धारा 41-ख के अन्तर्गत सितम्बर-2000, में मध्य प्रदेश कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट हेजार्ड नियम (CIMAH) अधिसूचित किये गये। ये नियम "परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989" के समरूप है जो केन्द्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अन्तर्गत बनाये हैं। (देखे आगे पद 4.4.1)

**4.2.3** वर्ष 2005-06 में कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत नवीन अनुज्ञप्ति जारी करने के अधिकार मुख्य कारखाना निरीक्षक को थे तथा 100 श्रमिकों तक के कारखानों के लायसेन्स का नवीनीकरण के अधिकार उप मुख्य कारखाना निरीक्षक को प्रदत्त थे। शासन द्वारा लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर लायसेन्स नवीनीकरण कार्य झोनल/ संभागीय/ उप संभागीय स्तर के कार्यालयों को प्रदत्त किया गया है। इसके अन्तर्गत निम्नानुसार अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर नवीनीकरण कार्य के अधिकार प्रत्यायोजित किये गए हैं :-

1. संचालक — धारा-2 एम के अंतर्गत 250 श्रमिकों से अधिक नियोजन वाले एवं अतिखतरनाक कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार
2. संयुक्त संचालक — धारा 2 एम के अन्तर्गत 101 श्रमिकों से 250 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार
3. उप संचालक — धारा 2 एम के अन्तर्गत 100 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार
4. सहायक संचालक — धारा 85 के अन्तर्गत संगठित होने वाले 9 श्रमिकों तक नियोजन वाले कारखानों के लायसेन्स नवीनीकरण के अधिकार।
5. जहाँ पर सहायक संचालक पदस्थ नहीं है, वहां धारा-85 के अन्तर्गत लायसेंस नवीनीकरण उप संचालक भी जारी कर सकते हैं।

6. नवीन पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का कार्य दिनांक 23.07.15 से ऑन लाइन प्रारंभ कर दिया गया है।

7. कारखाना लायसेंस नवीनीकरण का कार्य दिनांक 22.10.15 से ऑन लाइन प्रारंभ कर दिया गया है।

इस प्रकार लगभग 95 प्रतिशत लायसेन्स प्रकरणों से संबंधित कार्य झोनल/संभागीय कार्यालयों द्वारा किया जाने लगा है जिससे कि कारखाना प्रबन्धन को अपने घर/कार्यालय या एम.पी. आन लाइन कियोस्को से ही आवेदन करना होगा वही दूसरी और नवीनीकरण कार्य विभिन्न कार्यालयों द्वारा एवं आन लाइन किये जाने से प्रकरणों का निराकरण भी त्वरित गति से होने लगा है।

8. सक्षम व्यक्तियों को सक्षमता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने एवं उक्त के नवीनीकरण की प्रक्रिया दिनांक— 1.5.2017 से पूर्णतः आन लाईन कर दी गई है ।

9. खतरनाक श्रेणी के कारखानों के ऑन साइट इमरजेन्सी प्लान को नोटिफाई करने की प्रक्रिया दिनांक— 20. 11. 2017 से पूर्णतः आन लाईन कर दी गई है ।

4.2.4 प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लागू "एकल एजेंसी प्रणाली" की अवधारणा के तहत, श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.1.2001 द्वारा उद्योग विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को कारखाना अधिनियम की धारा 6 (1) (aa) के तहत कारखानों के स्थल अनुमोदन की शक्तियां प्रदान की गई हैं :-

1. औद्योगिक केंद्र विकास निगमों के प्रबंध संचालक
2. जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक

4.2.5 प्रदेश में गत चार वर्षों में नवीन पंजीकृत कारखानों की जानकारी निम्नानुसार है :-

| वर्ष                  | नवीन पंजीकृत कारखाने | नियोजन क्षमता |
|-----------------------|----------------------|---------------|
| 2015—16               | 451                  | 19873         |
| 2016—17               | 261                  | 16784         |
| 2017—18               | 234                  | 11016         |
| 2018—19               | 343                  | 15369         |
| 2019—20 (31.12.19 तक) | 264                  | 18417         |

प्रदेश में दिनांक 01.01.2020 की स्थिति में 6798 पंजीकृत कार्यरत कारखाने थे, जिनकी नियोजन क्षमता 642643 थी। इन पंजीकृत कार्यरत कारखानों में 1440 कारखाने "खतरनाक"/"अतिखतरनाक" श्रेणी के हैं। प्रदेश में पंजीकृत कार्यरत कारखानों की जिलेवार जानकारी (परिशिष्ट—4.1 ) में दी गई है।

कुल पंजीकृत कार्यरत कारखानों की नियोजन क्षमता के आधार पर विभाजन की जानकारी निम्नानुसार है:-



| संदर्भ तिथि | पंजीकृत कार्यरत कारखानों का नियोजन क्षमता के आधार पर विभाजन |              |              |               |                |                    |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|------|
|             | 10 से कम श्रमिक (धारा 85)                                   | 10-20 श्रमिक | 21-50 श्रमिक | 51-100 श्रमिक | 101-250 श्रमिक | 250 से अधिक श्रमिक | योग  |
| 1.1.2020    | 2105                                                        | 2022         | 1424         | 498           | 380            | 369                | 6798 |

कारखाना अधिनियम के प्रवर्तन की दृष्टि से कारखानों के निरीक्षण नियमित रूप से किये जाते हैं। त्रुटिकर्ता कारखाना प्रबंधन के विरुद्ध अभियोजन की कारवाई भी की जाती है। निरीक्षणों और, अभियोजनों का विवरण निम्नानुसार है:-

| विवरण                             | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19  | 19-20<br>(31 दिसंबर 2019 तक) |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|------------------------------|
| 1. निरीक्षण                       | 2066  | 1609  | 843   | 861    | 1299                         |
| 2. दायर अभियोजन                   | 153   | 103   | 140   | 140    | 111                          |
| 3. निर्णीत अभियोजन                | 41    | 24    | 27    | 25     | 09                           |
| 4. आरोपित अर्थदंड (लाख रुपये में) | 22.22 | 5.465 | 2.77  | 14.456 | 7.65                         |

कारखाना अधिनियम की धारा 88 (नियम 108) के अंतर्गत कारखाना प्रबंधक को प्राणांतक या ऐसी दुर्घटना जिसके फलस्वरूप श्रमिक 48 घन्टे से अधिक कार्य से अनुपस्थित रहे या अग्नि दुर्घटना घटित हो, की सूचना मुख्य कारखाना निरीक्षक/निरीक्षक को दी जाना आवश्यक है। ऐसी दुर्घटनाओं की जानकारी परिशिष्ट-4.2 में दर्शायी गई है।

मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के अन्तर्गत कारखानों के पंजीयन एवं लाइसेंस के नवीनीकरण से प्राप्त राजस्व के आंकड़े निम्नानुसार है :-

| वर्ष                      | आय (करोड़ रु. में) |
|---------------------------|--------------------|
| 2014-15                   | 6.10               |
| 2015-16                   | 6.402              |
| 2016-17                   | 10.149             |
| 2017-2018                 | 9.08               |
| 2018-2019                 | 9.139              |
| 2019-2020 (31 दिसम्बर तक) | 12.112             |

4.3 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम,1923 का कार्यान्वयन

इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य रूप से आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति की हैसियत से श्रम न्यायालय कार्यवाही करते हैं। संचालनालय के अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या उनके आश्रितों के सलाहकार के रूप में भूमिका निभाते हैं। प्रभावित व्यक्ति या उसके आश्रित अधिवक्ता के माध्यम से आयुक्त के समक्ष दावा पेश करते हैं और आयुक्त द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। जिन कारखानों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम प्रभावशील है, वहाँ क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा भुगतान की जाती है।

राज्य शासन की अधिसूचना कमांक एफ 4(ई)4-2000-ए-सोलह, दिनांक 7.10.2004 द्वारा प्रदेश के समस्त उपश्रमायुक्त और अपर श्रमायुक्त को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर आयुक्त कर्मकार प्रतिकर के रूप में नियुक्त किया गया है।

#### 4.4 "अति खतरनाक " स्थापनाओं संबंधी प्रावधान : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अंतर्गत बने नियमों का कार्यान्वयन

##### 4.4.1 संक्षिप्त विवरण

वर्ष 1987 के पूर्व खतरनाक संक्रियाएं (**Dangerous Operations**) संचालित करने वाले कारखानों में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 87 तथा मध्य प्रदेश कारखाना नियम, 1962, के नियम 107 में विशेष प्रावधान किये गये थे। वर्ष 1987 में कारखाना अधिनियम में धारा-2 (सी बी) जोड़कर परिसंकटमय प्रक्रिया (**Hazardous process**) को परिभाषित करते हुये तत्संबंधी अनुसूची-एक भी जोड़ी गई और ऐसी प्रक्रियाएं अपनाने वाले कारखानों के लिये अधिनियम में नवीन अध्याय 4-ए जोड़कर विशेष प्रावधान किये गये।

वर्ष 1989 तथा 1996 में भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अंतर्गत क्रमशः निम्नलिखित दो नियम अधिसूचित किये:-

क. परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989

ख. रासायनिक दुर्घटनायें (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया ) नियम, 1996

उक्त दोनों नियमों में "अति खतरनाक स्थापनाओं" अर्थात् — "**Major Accident Hazard (M.A.H.) Installations**" को परिभाषित किया गया है।

उक्त नियमों में विषैले, ज्वलनशील, विस्फोटक और अति क्रियाशील रसायनों को "परिसंकटमय रसायन" के रूप में परिभाषित करते हुए उनमें से प्रत्येक की एक सीमांत मात्रा (**Threshold Quantity**) निर्धारित की गई है। यदि किसी स्थापना में किसी परिसंकटमय रसायन को उक्त सीमांत मात्रा से अधिक मात्रा में भंडारित या प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थापनाओं को "अति खतरनाक स्थापना" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर (क) में उल्लिखित नियमों में ऐसी स्थापनाओं के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं:-

1. उनके लिये ऑन साइट और ऑफ साइट आपात योजनायें क्रमशः धारक एवं कलेक्टर द्वारा बनाई जायेंगी, इन्हें अद्यतन रखा जाएगा, और कम से कम क्रमशः प्रति छः माह एवं एक वर्ष में उनका पूर्वाभ्यास किया जायेगा।

2. विशिष्ट श्रेणियों की अति खतरनाक स्थापनाओं द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक को सुरक्षा रिपोर्ट भेजी जावेगी, जिसमें कारखाने के बारे में “जोखिम एवं परिणाम संबंधी विश्लेषण” भी शामिल है। इसके अलावा वर्ष में एक बार स्वतंत्र एजेन्सी से सुरक्षा आडिट करा कर तत्संबंधी आडिट रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।

किसी दुर्घटना होने की स्थिति में उक्त नियमों के तहत निर्धारित अनुसूची 6 में दुर्घटना की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

3. स्थापना के आसपास रहने वाले लोगों को उससे जुड़े खतरों के बारे में जानकारी दी जायेगी।

ऊपर (ख) में उल्लिखित नियमों में अति खतरनाक स्थापनाओं में संभावित रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिये “संकट स्थिति समूह” गठित करने का प्रावधान किया गया है और इन समूहों के कृत्य परिभाषित किये गये हैं :-

(1) स्थानीय संकट स्थिति समूह, जो औद्योगिक केंद्र के स्तर पर अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होता है, के मुख्य कृत्य स्थानीय आपात योजना बनाना, सुरक्षा के बारे में स्थानीय लोगों को शिक्षित और कर्मियों को प्रशिक्षित करना, प्रति माह बैठक करना, कम से कम 6 माह में एक बार एक रासायनिक दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना, और दुर्घटना घटित होने की स्थिति में उसके आघात को न्यूनतम करने के लिये समस्त आवश्यक कदम उठाना है।

(2) जिला संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद् दुर्घटनाओं के प्रबंध के लिये समस्त आवश्यक मार्गदर्शन देना, ऑन साइट आपात योजनाओं की समीक्षा करना, ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी में सहायता करना, हर डेढ़ माह में बैठक करना, और वर्ष में कम से कम एक बार दुर्घटना का पूर्वाभ्यास करना है।

(3) राज्य संकट स्थिति समूह, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, के मुख्य कृत्य वृहद् दुर्घटनाओं के प्रबंध में विशेषज्ञ मार्गदर्शन देना, जिला ऑफ साइट आपात योजनाओं की तथा जिला समूहों के कार्य की समीक्षा करना, हर तीन माह में बैठक करना आदि हैं।

#### 4.4.2 “अति खतरनाक” श्रेणी के कारखाने

दिनांक 01.01.20 की स्थिति में अतिखतरनाक कारखानों की संख्या 90 तथा संबंधित जिलों की संख्या 27 है।

#### 4.4.3 ऑन साइट आपात योजनाएं

उक्त सभी 90 अति खतरनाक कारखानों के लिए ऑन-साइट आपात योजनाएं तैयार कराई गई हैं, जिनमें से 82 योजनाओं को अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है। दो अतिखतरनाक कारखाने वर्तमान में बन्द हैं। 06 कारखानों की योजनायें प्रक्रियाधीन हैं।

अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों के नाम तथा ऑन साइट आपात योजनाओं की तैयारी की स्थिति परिशिष्ट-4.3 में दर्शायी गई है।

#### 4.4.4 ऑफ साइट आपात योजनाएं

केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने वर्ष 1997 में ऑफ साइट आपात योजना तैयार करने के संबंध में मार्गदर्शिका प्रसारित की थी। प्रदेश के 20 जिलों की ऑफ साइट आपात योजनाओं का उक्त मार्गदर्शिका के अनुरूप तैयार की गई है। 02 जिले में स्थापित एकमात्र

अतिखतरनाक कारखाने वर्तमान में बन्द होने से उक्त जिले की आफ साइट आपात योजना बनाई नहीं गई तथा शेष 05 जिलों में आफ साइट आपात योजना तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अतिखतरनाक श्रेणी के कारखानों वाले जिलों के लिए ऑफ साइट आपात योजनाओं की तैयारी एवं उनके पूर्वाभ्यास की स्थिति परिशिष्ट-4.4 में दर्शायी गई है।

#### 4.4.5 सुरक्षा आडिट

“परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण एवं आयात नियम, 1989” के अनुरूप 26 अति खतरनाक श्रेणी के कारखानों का सुरक्षा आडिट कराया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है। कारखानों के नाम तथा सुरक्षा आडिट कराने का विवरण परिशिष्ट-4.5 में दिया गया है।

अति खतरनाक कारखानों की संख्या, उनके लिए ऑन साइट एवं ऑफ साइट आपात योजनाओं की तैयारी एवं सुरक्षा आडिट संबंधी स्थिति निम्नानुसार है:-

| क्र. | विवरण                                                 | संख्या |
|------|-------------------------------------------------------|--------|
| 1.   | अति खतरनाक कारखानों की संख्या                         | 90     |
| 2.   | जिलों की संख्या जहां उक्त कारखाने स्थित हैं           | 27     |
| 3.   | कारखानों की संख्या जिनके लिये                         |        |
|      | (1) ऑन साइट आपात योजनाएं तैयार की गई                  | 90     |
|      | (2) ऑन साइट आपात योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया        | 82     |
| 4.   | जिलों की संख्या जिनके लिये ऑफ साइट आपात योजना बनाई गई | 20     |
| 5.   | कारखानों की संख्या जिनका सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य है     | 29     |

संकट स्थिति समूहों के गठन की स्थिति इस प्रकार है:-

| क्र. | विवरण                                                        | संख्या                         |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.   | गठित स्थानीय संकट स्थिति समूहों की संख्या                    | 03 (मालनपुर, मंडीदीप, पीथमपुर) |
| 2.   | जिलों की संख्या, जहां जिला संकट स्थिति समूह का गठन आवश्यक है | 27                             |
| 3.   | जिलों की संख्या, जहां गठन किया जा चुका है                    | 23                             |

नोट – 3 जिलों में नये एम.ए.एच. कारखाने की पहचान किये जाने के कारण जिला संकट स्थिति समूह के गठन की कार्यवाही की जा रही है तथा 1 जिले में स्थापित एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बंद होने से जिला संकट स्थिति समूह का गठन नहीं हुआ है।

#### 4.5 औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर

4.5.1 कारखानों के कार्य वातावरण में हानिकारक रसायनों (यथा गैस, वाष्प आदि), शोर और प्रकाश का स्तर उचित सीमा में बनाए रखना आवश्यक है, ताकि उनमें कार्य करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इनके स्तर को विनियमित करने के लिये मध्य प्रदेश कारखाना नियम, 1962, में किये प्रावधान निम्नानुसार है :—

| क. | पदार्थ आदि जिनकी कार्य वातावरण में मात्रा, नियमों में निर्धारित की गई है। | मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962, के सुसंगत प्रावधान का विवरण |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1  | रासायनिक पदार्थ<br>(मुख्यतः गैसों एवं वाष्प)                              | नियम 124—बी एवं उसके अन्तर्गत बनी अनुसूची                  |
| 2  | शोर                                                                       | नियम 107 के अन्तर्गत बनी अनुसूची पच्चीस                    |
| 3  | प्रकाश                                                                    | नियम 36 व 37                                               |
| 4  | विस्फोटक तथा अत्याधिक ज्वलनशील धूल या गैस                                 | धारा 37 व नियम 107 के अन्तर्गत बनी अनुसूची XVIII           |

4.5.2 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, श्रम विभाग के अंतर्गत वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) की सहायता से एक औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला इंदौर में स्थापित की गई थी। वर्ष 1988 में इसके लिये केंद्र सरकार के तहत कार्यरत महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा एवं केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई, के माध्यम से भी उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रयोगशाला का मुख्य कार्य कारखानों के कार्य वातावरण में उक्त हानिकारक पदार्थों आदि का स्तर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करना है।

वर्तमान में उक्त प्रयोगशाला, उपलब्ध उपकरणों से, कार्य वातावरण में मौजूद निम्नलिखित हानिकारक पदार्थों आदि के स्तर की जांच करती है :—

|    |                              |                                                                                                                   |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | विषाक्त गैसों व रसायन        | क्लोरीन, अमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड व हाइड्रोजन क्लोराइड (वाष्प)                                                  |
| 2. | अति ज्वलनशील गैसों एवं वाष्प |                                                                                                                   |
| 3. | विभिन्न प्रकार के धूलि कण    | जैसे कोयला, सिमेंट, सिलिका आदि                                                                                    |
| 4. | एसबेस्टस                     |                                                                                                                   |
| 5. | ध्वनि प्रदूषण                |                                                                                                                   |
| 6. | प्रकाश                       |                                                                                                                   |
| 7. | दृष्टि दोष                   | क्रेन ऑपरेटर व अन्य श्रमिकों उनके नियोजनों के प्रकार के आधार पर, आंखों तथा रंग-अन्धत्व (Colour Blindness) की जांच |

कार्य वातावरण में हानिकारक अवयव निर्धारित सीमा से अधिक पाये जाने की दशा में प्रबंधन को उपकरणों/ व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु निर्देश देकर सुधार करवाया जाता है।

**4.5.3** प्रयोगशाला द्वारा विगत वर्षों में हानिकारक पदार्थों की जाँच की जानकारी परिशिष्ट-4.6, स्थल पर उपकरणों की सहायता से जाँच एवं उनके परिणामों की जानकारी परिशिष्ट 4.7, तथा स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश एवं ध्वनि की जाँच की जानकारी परिशिष्ट-4.8 में दी गई है।

**4.5.4** जांच – पड़ताल (**Testing**) की जो सुविधाएं अभी केवल इंदौर स्थित प्रयोगशाला में केंद्रित हैं, उन्हें विकेंद्रीकृत रूप से संभागीय कार्यालयों में भी निर्मित करने की एक योजना, दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07, में आरंभ की गई तथा सभी संभागीय कार्यालयों को निरीक्षण कीट उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2011-12 में औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला का उन्नयन कर इसके अंतर्गत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना माह जून 2011 में की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013-14, 14-15 तथा 15-16 में भी उपकरण कय किये जाकर उन्नयन की कार्यवाही निरन्तर जारी है। श्रमिकों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

\* \* \*

## अध्याय-5 मजदूरी, उपादान और बोनस संबंधी अधिनियमों का कार्यान्वयन

### 5.1 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा संगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिकों के हित संरक्षण हेतु बनाया गया है, जिनकी सामूहिक सौदेबाजी (**collective bargaining**) की क्षमता अल्प है तथा वे नियोजक से जीवन निर्वाह के लिये आवश्यक न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने की सामर्थ्य भी साधारणतः नहीं रखते।

इसके अंतर्गत प्रदेश में 72 "अनुसूचित नियोजन" हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-5.1 में दी गई है। इसके क्रमांक 1 से 64 में उल्लेखित अनुसूचित नियोजनों एवं क्रमांक 65 में उल्लेखित नियोजन तथा भाग दो कृषि नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की दरें पुनरीक्षित कर निर्धारित की गई हैं, और उन पर देय जीवन निर्वाह भत्ता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध कर नियमित रूप से घोषित किया जाता है।

उक्त नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की मूल दरें राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित की गई हैं :-

#### परिशिष्ट 5.1 में अंकित नियोजन न्यूनतम मजदूरी की मूल दर निर्धारण संबंधी अधिसूचना का दिनांक

|                                      |                 |            |
|--------------------------------------|-----------------|------------|
| क्रमांक 1-64                         | नियोजन          | 10.10.2014 |
| क्रमांक 65                           | (बीड़ी निर्माण) | 12.12.2014 |
| क्रमांक 1 (भाग-दो) (कृषि में नियोजन) |                 | 10.10.2014 |

इन नियोजनों में प्रभावशील मूल न्यूनतम मजदूरी की दरें परिशिष्ट-5.2 में दर्शाई गई हैं।

मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 16.12.12 में को लिए गये निर्णयानुसार तीन नवीन नियोजनों 1-पुरातत्व कार्य में नियोजन 2-साफ-सफाई कार्य में नियोजन तथा 3-सूचना प्राद्योगिकी के कार्य में नियोजन को अनुसूची के भाग एक में अधिसूचना क्रमांक 1493/4सी-1/2013/अ-16 दिनांक 22 सितंबर, 2014 जो कि राजपत्र में दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित है, के द्वारा जोड़ा गया है।

राज्य शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4(सी)5-98-ए-सोलह, 2 मार्च, 2006 के द्वारा अधिसूचित अनुसूची के भाग-1 में प्रविष्टि क्रमांक 68 में दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन को जोड़ा गया है उक्त सहित चारों नियोजनों में वेतन दरें राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 में प्रकाशित की गई हैं।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अंतर्गत निर्धारित दर से कम दर पर भुगतान के प्रकरणों में कम दी गई राशि का भुगतान कराया जाता है, तथा नियोजकों के विरुद्ध दावा प्रकरण भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं। कृषि में नियोजित श्रमिकों की संख्या एवं प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र को दृष्टिगत

रखते हुए शासन के कतिपय अन्य विभागों के निम्नलिखित कार्यपालक अधिकारियों को भी, अधिसूचना दिनांक 16.06.86 द्वारा, कृषि में नियोजन के संबंध में अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र में "निरीक्षक" नियुक्त किया गया है:-

1. विकास खण्ड अधिकारी
2. सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख
3. नायब तहसीलदार
4. पंचायत निरीक्षक
5. मंडल संयोजक, आ.जा. एवं अनु. जाति कल्याण

इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को भी कतिपय नियोजनों के लिये "निरीक्षक" की शक्तियों से निम्नानुसार वेष्टित किया गया है :-

तालिका 5.1

| श्रम विभाग की अधिसूचना का दिनांक | पंचायती राज संस्था कानाम ,जिसे उसके कार्यक्षेत्र के लिए,"निरीक्षक" की शक्तियों से वेष्टित किया गया | नियोजन जिनके लिए वेष्टित किया गया                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.6.76                          | समस्त ग्राम पंचायतें                                                                               | 1. कृषि में नियोजन                                                                                                                                                                               |
| 17.4.96                          | समस्त ग्राम पंचायतें                                                                               | 2. तंबाकू कारखाने/बीड़ी निर्माण में नियोजन<br>3. सड़क/भवन निर्माण और रख-रखाव<br>4. ईंट भट्टों में नियोजन<br>5. सिमेंट टाइल्स के अलावा अन्य टाइल्सनिर्माण<br>6. पत्थर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन |
| 19.7.2001                        | समस्त ग्राम सभाएं                                                                                  | उपर्युक्त सभी 6 नियोजनों के लिए                                                                                                                                                                  |

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 नवंबर, 1976, द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, की धारा-20 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले दावों की सुनवाई हेतु "प्राधिकारी" नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 06 नवंबर 2000 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, की धारा-20 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य के समस्त सहायक श्रम आयुक्तों को, अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, कृषि में नियोजन के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उद्भूत होने वाले दावों की सुनवाई हेतु "प्राधिकार" प्राप्त हुआ है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रवर्तन एवं उससे लाभांवित श्रमिकों की जानकारी नीचे दर्शाई गई है :-



तालिका- 5.2

| वर्ष                           | निरीक्षण संख्या | अभियोजन | सक्षम न्यायालय में दायर दावों की जानकारी |                         |                 | न्यायालय से बाहर कम भुगतान हुई राशि जो श्रमिक को विभागीय प्रयासों से भुगतान कराई गई |                           |                  |
|--------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
|                                |                 |         | दावा प्रकरण संख्या                       | दावा राशि (लाख रु. में) | प्रभावित श्रमिक | प्रकरण संख्या                                                                       | भुगतान राशि (लाख रु. में) | लाभान्वित श्रमिक |
| 2017-18                        | 1514            | 349     | 234                                      | 492.14                  | 1196            | 401                                                                                 | 191.89                    | 161              |
| 2018-19                        | 855             | 145     | 218                                      | 348.57                  | 894             | 413                                                                                 | 126.21                    | 1506             |
| 2019-20<br>(माह दिसम्बर 19 तक) | 3542            | 434     | 150                                      | 352.17                  | 622             | 322                                                                                 | 107.78                    | 886              |

### 5.2. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

विभिन्न संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु इस अधिनियम में प्रावधान है। अधिनियम की धारा 1 (6) के अनुसार यह वर्तमान में अधिकतम रुपये 24,000/- प्रतिमाह तक मजदूरी पाने वालों के लिए लागू है।

### 5.3 उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

यह अधिनियम ऐसे सभी संस्थानों पर लागू होता है, जहां दस या दस से अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। ऐसे संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को पाँच वर्ष की या इससे अधिक सेवा के उपरांत, सेवानिवृत्ति अथवा कार्य छोड़ने की स्थिति में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिवस के वेतन के बराबर राशि उपादान के रूप में देय होती है। नियोजक द्वारा उपादान का भुगतान न किये जाने अथवा गणना संबंधी विवाद उत्पन्न होने की दशा में व्यथित श्रमिक, इस अधिनियम के अंतर्गत "नियंत्रण प्राधिकारी" के समक्ष दावा प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम पदाधिकारियों को अधिसूचित किया गया है। नियंत्रण प्राधिकारी के आदेश से असंतुष्ट श्रमिक/नियोजक "अपीलीय प्राधिकारी" के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रदेश में उप श्रमायुक्तों को अपीलीय प्राधिकारी घोषित किया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2017 में संस्थित एवं निराकृत प्रकरणों का विवरण नीचे दर्शाया गया है :-

तालिका-5.3

| प्रकरण का प्रकार | वर्ष के | वर्ष के दौरान | वर्ष के अंत में शेष |
|------------------|---------|---------------|---------------------|
|------------------|---------|---------------|---------------------|

|                             | आरम्भ में<br>लंबित<br>प्रकरण | संस्थित | निराकृत | प्रकरण दिसम्बर<br>2018 तक |
|-----------------------------|------------------------------|---------|---------|---------------------------|
| 1                           | 2                            | 3       | 4       | 5                         |
| 2-ग्रेच्युटी अपील<br>प्रकरण | 142                          | 191     | 170     | 163                       |

#### 5.4. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

यह अधिनियम उन सभी कारखानों पर प्रभावशील है जो कारखाना अधिनियम, 1948, के अनुसार "कारखाना" की श्रेणी में आते हैं। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम ऐसी अन्य स्थापनाओं पर भी प्रभावशील है, जिनमें बीस या इससे अधिक कर्मकार कार्यरत हैं। बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 01 जनवरी 2016 द्वारा संशोधन करते हुए वेतन सीमा में वृद्धि कर रु0 21000/- एवं बोनस गणना हेतु वेतन सीमा में वृद्धि कर रु0 7000/- कर दिया गया है। इस संशोधन को दिनांक 01.04.2014 से लागु किया गया है। अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी जानकारी नीचे दी गई है:-

तालिका-5.4

| क्र. | विवरण    | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20<br>(दिसम्बर 19 तक) |
|------|----------|---------|---------|----------------------------|
| 1.   | निरीक्षण | 743     | 528     | 1241                       |
| 2.   | अभियोजन  | 155     | 66      | 112                        |

\* \* \*

## अध्याय—6 बाल श्रमिक

### 6.1. बाल श्रमिक

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधन किया जाकर अधिनियम के नये प्रावधान 2 जून 2017 से लागू किये गये हैं। यह कानून अब बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2017 के नाम से जाना जायेगा। कारखाना अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, खान अधिनियम तथा मध्य प्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत बाल श्रमिकों का नियोजन पूर्व से निषिद्ध है।

संशोधित प्रावधान अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का किसी प्रकार के कार्य में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। 14 से 18 वर्ष तक की आयु के कुमार बालकों का खतरनाक नियोजन में कार्य करने को प्रतिबंधित किया गया है। वह कुटूंब के उपक्रम में भी विद्यालय समय एवं रात 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक कोई कार्य नहीं करेगा।

वर्ष 1991, 2001 एवं 2011 की जनगणना में प्रदेश के 5 से 14 वर्ष आयु समूह के कामकाजी बच्चों, जिनमें मुख्य एवं सीमांत कामकाजी बच्चे सम्मिलित हैं, के आंकड़े निम्नानुसार हैं:—

तालिका 6.1

|    |                                                 | 1991      | 2001       | 2011       |
|----|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 1. | कामकाजी बच्चे                                   | 13.52 लाख | 10.65 लाख  | 7.02 लाख   |
| 2. | ग्रामीण क्षेत्र                                 | —         | 10.00 लाख  | 6.08 लाख   |
| 3. | शहरी क्षेत्र                                    | —         | 0.65 लाख   | 0.92 लाख   |
| 4. | कामकाजी बच्चों का प्रतिशत (5—14 आयु वर्षों में) | —         | 10 प्रतिशत | 07 प्रतिशत |

जनगणना 2011 में प्रदेश के निम्नलिखित दस जिलों में 5—14 आयु वर्ग के बच्चों में कामकाजी बच्चों का प्रतिशत निम्न पाया गया :—

तालिका 6.2

| क्र. | जिला      | 5 से 14 वर्ष आयु समूह की कुल जनसंख्या में कार्यशील (मुख्य एवं सीमांत) संख्या का प्रतिशत |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | अलीराजपुर | 12.7                                                                                    |
| 2.   | झाबुआ     | 11.8                                                                                    |
| 3.   | बडवानी    | 8.0                                                                                     |
| 4.   | डिंडोरी   | 7.9                                                                                     |
| 5.   | बैतुल     | 7.3                                                                                     |
| 6.   | देवास     | 6.8                                                                                     |

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| 7.  | रतलाम | 6.5 |
| 8.  | धार   | 6.3 |
| 9.  | मंडला | 5.7 |
| 10. | खरगोन | 5.7 |

उपर्युक्त आंकड़ों में सभी प्रकार के कार्यशील बच्चे शामिल हैं, अर्थात् वे भी, जो पारिवारिक कार्य जैसे कृषि में हाथ बंटाते हैं अथवा बूट पॉलिश, कचरा बीनने आदि कार्यों में स्व-नियोजित हैं।

बाल श्रम प्रथा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने विविध याचिका (सिविल क्रमांक 465/1986) में दिनांक 10.12.96 को आदेश पारित कर निम्नलिखित निर्देश दिए थे:-

- बाल श्रमिकों की पहचान के लिए सर्वेक्षण किया जाए।
- जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्य कर रहे बालकों को वहां से हटा कर उपयुक्त संस्थाओं में उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
- बाल श्रम के दोषी नियोजकों से 20,000/- रुपये प्रति बालक के हिसाब से अंशदान लिया जाए और उस रकम को इस प्रयोजन के लिए स्थापित कल्याण निधि में जमा किया जाए।

मध्य प्रदेश में अप्रैल, 1997 में सर्वेक्षण कराया गया था। यह सर्वेक्षण नगरीय क्षेत्रों में खतरनाक तथा गैर-खतरनाक दोनों प्रकार के नियोजनों में और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल खतरनाक नियोजनों में बाल श्रमिकों को चिन्हित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कुल 13,291 बाल श्रमिक चिन्हित किये गए थे जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

**तालिका 6.3**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| खतरनाक उद्योगों में     | 10,246        |
| गैर-खतरनाक उद्योगों में | 3,045         |
| <b>योग</b>              | <b>13,291</b> |

उक्त सर्वेक्षण के पश्चात्, विभिन्न जिलों में सर्वेक्षण के आंकड़ों का परीक्षण कर आवश्यक परिमार्जन किया गया। इस परीक्षण में अनेक बाल श्रमिकों की उम्र 14 वर्ष से अधिक पाई गई, उनके एवं नियोजक के मध्य पिता-पुत्र के संबंध पाए गए, उनके नामों में पुनरावृत्ति पाई गई या फिर नियोजक का नाम गलत पाया गया। उपर्युक्तानुसार संशोधन एवं त्रुटि निवारण के पश्चात् उक्त सर्वे के दौरान पाए गए बाल श्रमिकों के आंकड़े नीचे दर्शाये गए हैं :-

**तालिका 6.4**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| खतरनाक उद्योगों में     | 8,826         |
| गैर-खतरनाक उद्योगों में | 2,994         |
| <b>योग</b>              | <b>11,820</b> |

निम्नलिखित छः जिलों में पांच सौ से अधिक बाल श्रमिक चिन्हित हुए थे :—

तालिका 6.5

| जिला                                     | चिन्हित बाल श्रमिक  |                         | योग  |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------|
|                                          | खतरनाक नियोजनों में | गैर-खतरनाक नियोजनों में |      |
| 1. दमोह                                  | 4079                | 122                     | 4201 |
| 2. रायसेन                                | 1000                | 43                      | 1043 |
| 3. सागर                                  | 890                 | 61                      | 951  |
| 4. टीकमगढ़                               | 719                 | 7                       | 726  |
| 5. जबलपुर (1998 में गठित कटनी जिले सहित) | 378                 | 240                     | 618  |
| 6. भोपाल                                 | 36                  | 573                     | 609  |

उक्त सर्वेक्षण में खतरनाक नियोजनों में नियोजित पाए गए समस्त बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया, दोषी 3630 नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन प्रकरण दायर किये गए तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उनके विरुद्ध राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र भी जारी किये गए। अभी तक 13 जिलों में 23 बाल श्रमिकों के संबंध में कुल रुपया 4.95 लाख की क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जा चुकी है। इनमें से 19 बाल श्रमिकों के संबंध में पूर्ण तथा चार के संबंध में आंशिक राशि नियोजकों द्वारा जमा कराई गई है। नियोजकों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर 76 याचिकाओं में कुल 4222 बाल श्रमिकों के संबंध में जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्रों पर स्थगन प्राप्त किया गया है। अन्य याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त को पक्षों की सुनवाई कर युक्तियुक्त आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरणों में अनुवर्ती कार्रवाई प्रचलित है।

प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत " निरीक्षक" की शक्तियों से निम्नानुसार वेष्टित किया गया है:—

1. जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों को अधिसूचना दिनांक 13.10.97 द्वारा
2. ग्राम सभाओं को अधिसूचना दिनांक 19.07.01 द्वारा

## 6.2 श्रम कानूनों का प्रवर्तन —

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रवर्तन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :—

तालिका 6.6

| वर्ष                       | निरीक्षण | विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या | अभियोजन | दण्ड       |
|----------------------------|----------|--------------------------------|---------|------------|
| 2017—18                    | 999      | 95                             | 65      | 975000 / — |
| 2018—19                    | 739      | 24                             | 36      | 37500 / —  |
| 2019—20<br>(दिसम्बर 19 तक) | 2393     | 501                            | 118     | 51000 / —  |

संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश में निम्नानुसार कार्यवाही की गई है:—

- (1) सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन एवं बैठकों का आयोजन
- (2) प्रत्येक जिले में एक श्रम निरीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया
- (3) जिलों में जन जागरण अभियान का संचालन जन जागरण हेतु राशि रुपये 1 लाख बजट प्रत्येक जिले को प्रदान किया गया
- (4) बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु निधी का गठन किये जाने हेतु राशि रुपये 1 लाख बजट प्रत्येक जिले को प्रदान किया गया

### राज्य स्तरीय कार्यशाला

1. दिनांक 03 एवं 04.01.2018 को बाल श्रम पर यूनिसेफ के सहयोग से इंदौर में राज्य स्तरीय क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को पेंसिल पोर्टल, बाल श्रम संबंधी कानूनों तथा हाल ही में किये गये संशोधनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु अभ्युदय पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी तथा बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त नोडल अधिकारी (श्रम निरीक्षक) तथा परियोजना निदेशक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना उपस्थित रहें।
2. दिनांक 25.11.2019 को राज्य स्तरीय परामर्श बैठक/कार्यशाला का आयोजन आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, भोपाल में माननीय श्रम मंत्री म.प्र. शासन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि, पुलिस विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल कल्याण समिति, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, एन.जी.ओ. एवं श्रम विभाग के अधिकारी सम्मिलित हुवे।

### बाल श्रम कुप्रथा की समाप्ति हेतु कार्ययोजना

श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम कुप्रथा को समाप्त करने के लिये कार्ययोजना 2019 बनाई गई है। कार्ययोजना के अन्तर्गत 5000 बाल श्रमिकों को कार्य से विमुक्त कराया जाकर पुनर्वास किया जाना है।

इस हेतु संभाग स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन निम्नानुसार किया गया :-

| क्रमांक | संभाग का नाम | कार्यशाला दिनांक |
|---------|--------------|------------------|
| 01      | इन्दौर       | 26.08.2019       |
| 02      | उज्जैन       | 29.08.2019       |
| 03      | जबलपुर       | 05.09.2019       |
| 04      | रीवा         | 06.09.2019       |
| 05      | शहडोल        | 06.09.2019       |

जिलों में जनजागरण अभियान निरन्तर चलाये जा रहे हैं।

जिलों में टास्कफोर्स समिति की बैठकों का आयोजन निरन्तर किया जा रहा है। कार्यालयीन पत्र क्रमांक 55805-57, दिनांक 28.11.2019 द्वारा टास्कफोर्स समिति में लीड बैंक अधिकारी को सम्मिलित करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

इस संबंध में दिनांक 25.11.2019 को राज्य स्तरीय परामर्श बैठक/कार्यशाला का आयोजन आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, भोपाल में माननीय श्रम मंत्री म.प्र. शासन की अध्यक्षता में किया गया।

### 6.3. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

#### राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की प्रगति

राज्य के चुनिंदा जिलों में बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिये भारत सरकार "राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना" क्रियान्वित कर रही है। इस परियोजना के अंतर्गत चुने गए जिलों में बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कर उन्हें खतरनाक किस्म के व्यवसायों/प्रक्रियाओं से विमुक्त कराकर विशेष विद्यालयों में भर्ती किया जाता है। इन विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण की भी व्यवस्था अपेक्षित है, तथा दर्ज बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तकें, गणवेश तथा मध्याह्न भोजन दिए जाने के अतिरिक्त नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का प्रावधान है। योजनान्तर्गत श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सीधे बाल श्रम परियोजना समिति को बजट प्रदान किया जाता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक जी-20013/1/2012- सीएल , दिनांक 31.10.2017 द्वारा संशोधित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना लागू की गई है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के क्रियान्वयन के लिये जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति का पंजीकरण किया जाता है। परियोजना के लिये भारत सरकार इस समिति को सीधे अनुदान देती है। इस समिति में संबंधित शासकीय विभागों के अधिकारी, स्वैच्छिक संगठन, पंचायत राज संस्थाओं के

पदाधिकारी तथा समाजसेवी सदस्य के रूप में होते हैं। परियोजना के संचालन एवं नियंत्रण के लिये परियोजना निदेशक, प्रोग्राम मैनेजर, व्यवसाय प्रशिक्षक तथा अन्य स्टाफ की मानसेवी आधार पर सेवाएँ दी जाती हैं।

### एनसीएलपी

जिन जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित है, वहां जिला स्तरीय विजिलेंस एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

दिनांक 20.06.2019 को परियोजना निदेशक राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना की समीक्षा बैठक का आयोजन श्रमायुक्त कार्यालय में किया गया।

वर्तमान में राज्य में 09 जिलों में परियोजना संचालित की जा रही है:—

- (1) ग्वालियर (2) रीवा (3) बडवानी (4) दमोह (5) जबलपुर (6) मन्दसौर (7) शाजापुर (8) राजगढ़ (9) कटनी की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :—

### राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना – प्रगति प्रतिवेदन

| क्रमांक | जिला       | प्रारंभ वर्ष   | विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या | अध्ययनरत बच्चों की संख्या | परियोजना के माध्यम से मेनस्ट्रीम बच्चे |
|---------|------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 01      | मन्दसौर    | 1988           | 07                                  | 390                       | 4059                                   |
| 02      | शाजापुर    | 2006           | 14                                  | 249                       | 8554                                   |
| 03      | ग्वालियर   | 2000—01        | 22                                  | 537                       | 8544                                   |
| 04      | बडवानी     | 2006—07        | 30                                  | 850                       | 9037                                   |
| 05      | दमोह       | 01 / 04 / 2009 | 15                                  | 2447                      | 3056                                   |
| 06      | रीवा       | 2005—06        | 39                                  | 2965                      | 4458                                   |
| 07      | जबलपुर     | 2008           | 09                                  | 1053                      | 3859                                   |
| 08      | कटनी       | 2010           | 36                                  | 1750                      | 5512                                   |
| 09      | राजगढ़     | 2005           | 18                                  | 632                       | 5568                                   |
|         | <b>योग</b> |                | <b>190</b>                          | <b>10873</b>              | <b>52647</b>                           |

\*\*\*



## अध्याय—7 बीड़ी श्रमिक

### 7.1. प्रारम्भिक

मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग का प्रमुख स्थान है। तेंदू पत्ते की प्रचुर उपलब्धता के कारण प्रदेश में वर्ष 1904 में बीड़ी निर्माण प्रारंभ हुआ। कालांतर में दक्षिण के राज्यों में भी बीड़ी का निर्माण प्रारंभ हुआ। प्रदेश के असंगठित उद्योगों में बीड़ी उद्योग का भी प्रमुख स्थान है।

### 7.2. बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 का कार्यान्वयन

बीड़ी उद्योग में नियोजित श्रमिकों की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर उनके हित संरक्षण हेतु बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 बनाया गया है। अधिकांश बीड़ी श्रमिक सट्टेदार के माध्यम से प्रमुख नियोजक के लिए बीड़ी बनाते हैं जिससे अन्य उद्योगों की अपेक्षा उनके नियोजन की परिस्थितियां भिन्न हो जाती हैं।

बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन शर्तें) अधिनियम, 1966, के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या की जानकारी परिशिष्ट-7.1 में दी गई है।

उक्त अधिनियम में औद्योगिक परिसर में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये कल्याणकारी प्रावधान किये गये हैं ताकि उन्हें कार्य करने के लिये स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पेयजल इत्यादि की व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

### 7.3. बीड़ी श्रमिक कल्याण

बीड़ी श्रमिकों के कल्याण हेतु निम्नलिखित दो केंद्रीय अधिनियम प्रभावशील हैं जिनका क्रियान्वयन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार द्वारा किया जाता है।

1. बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976
2. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि का संचालन पूरी तरह भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के तहत गठित श्रम कल्याण महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में कल्याण एवं उपकर आयुक्त का कार्यालय जबलपुर में स्थापित है तथा उसका एक उप कार्यालय इंदौर में कार्यरत है। उक्त निधि से श्रम कल्याण महानिदेशालय चार प्रकार की कल्याण गतिविधियां (स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा मनोरंजन संबंधी) संचालित करता है।

उक्त दो स्रोतों के अनुसार बीड़ी श्रमिकों की संख्या का संभाग एवं जिले-वार विवरण परिशिष्ट-7.1 में दिया गया है।

#### 7.4. बीड़ी श्रमिकों के लिये आवास संबंधी योजना

बीड़ी श्रमिकों के आवास निर्माण हेतु केन्द्र सरकार की बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से 01.04.2007 से रुपये 1,50,000/- अनुदान/आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास योजना के कार्यान्वयन की स्थिति परिशिष्ट-7.2 में दर्शायी गई है।

#### 7.5 घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिए जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा का निर्धारण

बीड़ी श्रमिकों की कार्यदशा एवं बीड़ी उद्योग की दशा का अध्ययन करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की एक अनुशांसा घरखाता श्रमिकों को बीड़ी निर्माण हेतु दिये जाने वाले कच्चे माल की वाजिब मात्रा के निर्धारण के बारे में थी। इसके अनुसरण में बीड़ी उत्पादक जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र दिनांक 5.10.02 तथा 18.07.2008 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। तदनुसार कच्चे माल की जिले-वार निर्धारित मात्राओं की जानकारी परिशिष्ट-7.3 पर देखी जा सकती है।

#### 7.6 बीड़ी श्रमिकों के परिचय पत्र

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से संचालित कार्यक्रमों के अंतर्गत वही बीड़ी श्रमिक लाभान्वित होते हैं जिनके पास तत्संबंधी परिचय पत्र हों। बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत बने बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि नियम, 1978, के नियम 41 के अनुसार बीड़ी श्रमिक को परिचय पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व उस मालिक या सट्टेदार का है जिसके लिए बीड़ी श्रमिक कार्य करता हो। परंतु मालिकों/सट्टेदारों द्वारा इस कार्य में यथेष्ट रुचि प्रदर्शित न करने के कारण भारत सरकार के कल्याण आयुक्त संगठन के अंतर्गत कार्यरत औषधालयों के अधिकारियों द्वारा परिचय पत्र जारी किये जाते हैं। प्रदेश में कुल 440612 परिचय पत्र धारी बीड़ी श्रमिक हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12011/02/2017-डब्ल्यूव्ही, दिनांक 19.01.2018 द्वारा नये परिचय पत्र बनाने के लिये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स में केन्द्रीय श्रम कल्याण संगठन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बीड़ी निर्माण संस्थान के प्रतिनिधि तथा जिले के सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी/कार्यालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित रहेंगे।

\* \* \*

## अध्याय—8

### असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक

#### 8.1. प्रारंभिक

देश के श्रमिक वर्ग के 90 प्रतिशत से अधिक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि संगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत 10 प्रतिशत से भी कम है। परंतु, अधिकांश श्रम कानूनों का लाभ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलता है और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इनका लाभ उठाने से वंचित रहते हैं।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विशिष्ट समस्याएं इस प्रकार हैं :—

- \* अस्थायी, अनियमित एवं परिवर्तनशील रोजगार
- \* शिक्षा एवं जागरूकता की कमी
- \* नियोजक स्थापनाओं का लघु आकार एवं भौगोलिक रूप से छितरा हुआ होना
- \* उत्पादकता तथा आय के निम्न स्तर
- \* सामाजिक सुरक्षा का अभाव
- \* असंतोषजनक व असुरक्षित कार्य दशाएं
- \* साख, विपणन और सूचना सुविधाओं का अभाव
- \* संगठित होने में कठिनाई तथा संगठन क्षमता का अभाव
- \* उपर्युक्त के परिणामस्वरूप वर्ग हितों की प्राप्ति हेतु सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता का अभाव।

राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक प्रमुख रूप से कृषि, वानिकी, खदान, बीड़ी, हम्माल, परिवहन, निर्माण कार्य, होटलों/ढाबों तथा ईट भट्टों जैसे कार्यों में नियोजित हैं।

#### 8.2. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये कार्यदल

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की विशिष्ट एवं गंभीर समस्याओं को देखते हुये राज्य शासन ने इस क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश के श्रमिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाने के बारे में विचार कर अनुशंसाएं देने के लिये जुलाई, 2001 में एक कार्यदल गठित किया गया था।

कार्यदल ने अपना कार्य सितम्बर, 2002 में पूर्ण किया एवं अपनी रिपोर्ट का मुख्यमंत्रीजी तथा श्रम राज्य मंत्रीजी के समक्ष औपचारिक प्रस्तुतीकरण 27 दिसम्बर, 2002 को किया। कार्यदल ने वर्ष 2001 में प्रदेश में असंगठित श्रमिकों की संख्या करीब 2.01 करोड़ आकलित की है, जिसका नियोजन-वार विवरण निम्नानुसार है:—

तालिका 8.1

| क. | नियोजन                       | असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या (लाखों में) | कुल असंगठित श्रमिकों की संख्या का प्रतिशत |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. | सीमांत / लघु कृषक            | 69.60                                                      | 34.6                                      |
| 2. | भूमिहीन कृषि श्रमिक          | 73.57                                                      | 36.6                                      |
| 3. | खनि एवं खनिकर्म              | 0.64                                                       | 0.3                                       |
| 4. | विनिर्माण (Manufacturing)    | 14.95                                                      | 7.4                                       |
| 5. | संनिर्माण (Construction)     | 8.97                                                       | 4.5                                       |
| 6. | व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट | 17.47                                                      | 8.7                                       |
| 7. | परिवहन                       | 3.95                                                       | 2.0                                       |
| 8. | अन्य                         | 11.78                                                      | 5.9                                       |
|    | योग                          | 200.93                                                     | 100                                       |

कार्यदल द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाओं में से श्रम विभाग से संबंधित अनुशंसाओं को मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार पंषद को परामर्श हेतु तथा अन्य अनुशंसाओं को संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु संदर्भित किया गया है। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी असंगठित श्रमिकों के लिए व्यापक कानून (Umbrella Legislation) सुझाया है, और अन्य सिफारिशें भी की हैं, जिन पर भारत सरकार कार्रवाई कर रही है। राज्य शासन उक्त कार्यदल की अनुशंसाओं पर, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए, कार्रवाई कर रहा है। असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य एवं केन्द्र दोनों ने ही कानून बनाये हैं।

### 8.3 भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिक

भवन निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु वर्ष 1996 में निम्नलिखित दो केंद्रीय अधिनियम पारित किये गये हैं :-

1. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा
2. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

#### भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

यह अधिनियम उन नियोजकों/ठेकेदार के संस्थानों पर लागू होता है जो अस्थायी प्रकृति के कार्यों को संपन्न कराने की प्रक्रिया का संपादन करते हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुबंधित कार्य के संपादन में किसी भी दिन दस या उससे अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित होने की दशा में, नियोजक/ठेकेदार द्वारा स्थापनाओं के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण कराना, आवश्यक है।

प्रदेश में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996, के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या तथा श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय-वार जानकारी परिशिष्ट-8.1 में दी गई है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 8.2

| क्र. | विवरण    | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20<br>(दिसंबर 2019 तक) |
|------|----------|---------|---------|-----------------------------|
| 1.   | निरीक्षण | 202     | 136     | 352                         |
| 2.   | अभियोजन  | 61      | 14      | 26                          |

उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रदेश में फरवरी, 2001 में विभिन्न प्रकार के अधिकारी निम्नानुसार अधिसूचित किये गए हैं:-

क. प्रथम अधिनियम के अंतर्गत-

तालिका 8.3

| अधिनियम के तहत प्राधिकारी   | खाना-1 में उल्लेखित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी                                                       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. मुख्य निरीक्षक -         | श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश                                                                                                |
| 2. निरीक्षक -               | समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक/ उप श्रम निरीक्षक, कारखाना निरीक्षक |
| 3. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी - | समस्त सहायक श्रमायुक्त और श्रम पदाधिकारी                                                                               |
| 4. अपील अधिकारी -           | अपर एवं उप श्रमायुक्त                                                                                                  |

ख. द्वितीय अधिनियम के अंतर्गत-

तालिका 8.4

| अधिनियम के तहत प्राधिकारी | खाना-1 में उल्लेखित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. उपकर निर्धारण अधिकारी- | समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, समस्त अपर श्रमायुक्त/उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी |
| 2. अपील प्राधिकारी-       | मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कलेक्टर, आयुक्त, नगर पालिक निगम, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त, श्रमायुक्त                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | उपकर संग्राहक— | समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, समस्त आयुक्त, नगर पालिक निगम द्वारा नामांकित उपायुक्त (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी अनुविभागीय अधिकारी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो) समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (जो वेतनमान में राज्य के द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी के समकक्ष हो), समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/ जिला पंचायत, समस्त श्रम विभागीय अधिकारी, |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

उक्त प्रथम अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार ने “मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2002” बनाकर राजपत्र (असाधारण) में 1 जनवरी, 2003, को अधिसूचित किए हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन दिनांक 9 अप्रैल, 2003 को किया जाकर सामान्य तौर पर 3 वर्ष उपरांत नियमानुसार पुनर्गठन होने तक पूर्व सदस्यगण यथावत कार्यरत रहते हैं।

#### 8.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं उनके कल्याण को सुनिश्चित कराये जाने को ध्यान में रखकर म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल का गठन वर्ष 2008 में हुआ। राज्य शासन द्वारा दिनांक 25.01.2016 को मण्डल के प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति की गई तथा मण्डल के सचिव कार्यभार उप श्रमायुक्त भोपाल को अतिरिक्त रूप से दिया गया है। वर्तमान में माननीय श्रममंत्री मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष हैं।

राज्य में पूर्व में सबल योजना के अंतर्गत 2.03 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत किया गया था। अपात्र व्यक्तियों के पंजीयन के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के संबंध में भौतिक सत्यापन किये जाने का निर्णय लिया गया। सत्यापन उपरांत 77.89 लाख श्रमिक अपात्र पाये गये। शासन ने अपात्र श्रमिकों को योजना से विलोपित कर सूची से हटाने का निर्णय दिनांक 2 जनवरी 2020 को लिया गया।

वर्ष 2019 में श्रम विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 84745 हितग्राहियों को रुपये 695.60 करोड़ के हितलाभ वितरित किये गये। योजना में अबतक कुल 1,24,283 हितग्राहियों को योजनाओं में रुपये 1313.26 करोड़ की राशि हितलाभ के रूप में वितरित की गई है।

योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 359.27 करोड़ रुपये व्यय हुये हैं। शेष हितलाभ वितरण हेतु रुपये 154.01 करोड़ की राशि दिनांक 2 जनवरी 2020 को प्राप्त हुई है।

असंगठित श्रमिकों के लिये संचालित योजनाओं हेतु बजटीय प्रावधान श्रम विभाग को किया जा रहा है।

\* \* \*

## अध्याय—9 बंधक श्रमिक

### 9.1 प्रारंभिक

संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसरण में बंधक श्रम पद्धति को समाप्त करने के लिये वर्ष 1976 से बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 लागू है। बंधक श्रम पद्धति से आशय ऐसा बलात् श्रम या अशतः बलात् श्रम लेने की पद्धति से है जो साधारणतः स्वयं श्रमिक या उसके पूर्वजों को दिये गये ऋण की वसूली के रूप में या रूढ़िगत अथवा सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में लिया जाता है।

बंधक श्रम प्रथा का विषय जुलाई, 1999 तक राज्य शासन के राजस्व विभाग को आबंटित था। राज्य शासन के कार्य आबंटन नियमों में 01.08.1999 से हुए संशोधन द्वारा यह विषय श्रम विभाग को आबंटित किया गया। इस संशोधन के पालन में यह कार्य वास्तव में फरवरी, 2000 में श्रम विभाग को हस्तांतरित हुआ।

उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसार बंधक श्रम प्रथा के अस्तित्व के बारे में छानबीन, बंधक श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं कल्याण की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है।

अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य शासन ने समस्त जिला एवं उपखण्डीय मजिस्ट्रेटों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत घटित अपराधों के ट्रायल के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, की शक्तियों से वेष्टित किया है।

### 9.2 बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से संवेदनशील जिले

योजना आयोग द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना, 2002-07 के संदर्भ में “श्रमिकों के कमजोर वर्गों” के लिये गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के बीस जिलों की बंधक श्रम पद्धति की दृष्टि से संवेदनशील जिलों के रूप में पहचान की है। इनके अलावा, गत वर्षों में प्रदेश के छः अन्य जिलों में भी बंधक श्रमिक पाये गये हैं। कुल 24 जिलों की संभाग-वार सूची निम्नानुसार है —

| <u>क्रमांक</u> | <u>संभाग</u> | <u>जिले</u>  |
|----------------|--------------|--------------|
| 1              | ग्वालियर     | —            |
|                |              | 1— ग्वालियर  |
|                |              | 2— शिवपुरी   |
|                |              | 3— गुना      |
| 2              | चंबल         | —            |
|                |              | 4— भिण्ड     |
|                |              | 5— मुरैना    |
| 3              | इन्दौर       | —            |
|                |              | 6— अलीराजपुर |
|                |              | 7— झाबुआ     |
|                |              | 8— धार       |
|                |              | 9—बुरहानपुर  |
| 4              | उज्जैन       | —            |
|                |              | 10—शाजापुर   |
|                |              | 11— मंदसौर   |
|                |              | 11— रतलाम    |
| 5              | भोपाल        | —            |
|                |              | 12— रायसेन   |
| 6              | होशंगाबाद    | —            |
|                |              | 13— बैतूल    |
|                |              | 14—हरदा      |

|   |        |   |              |
|---|--------|---|--------------|
|   | जबलपुर |   | 15—नरसिंहपुर |
|   |        |   | 16— मंडला    |
| 7 | सागर   | — | 17— सागर     |
|   |        |   | 18— छतरपुर   |
|   |        |   | 19— टीकमगढ़  |
|   |        |   | 20— पन्ना    |
| 8 | रीवा   | — | 21— रीवा     |
|   |        |   | 22— सतना     |
|   |        |   | 23— सीधी     |
|   |        |   | 24— शहडोल    |

### 9.3 जिला एवं उपखंड—स्तरीय निगरानी समितियों

अधिनियम की धारा 13 में जिला एवं उपखंड स्तर पर निगरानी समितियों गठित करने का प्रावधान है।

#### जिला—स्तरीय निगरानी समिति :—

यह समिति जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। इसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य, दो सामाजिक कार्यकर्ता तथा किसी वित्तीय संस्था का एक व्यक्ति सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबद्ध तीन व्यक्ति सदस्य होते हैं। भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के पत्र दिनांक 29.5.06 द्वारा इन समितियों में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

#### उपखंड—स्तरीय निगरानी समिति :—

यह समिति उपखंडीय मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित होती है। इसमें उनके द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के तीन सदस्य, दो सामाजिक कार्यकर्ता एवं वित्तीय संस्था के एक प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। इनके अलावा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित ग्रामीण विकास से संबद्ध तीन व्यक्ति भी सदस्य होते हैं।

इन समितियों के मुख्य कार्य अधिनियम के प्रावधानों के परिपालन में जिला/उपखंडीय मजिस्ट्रेट को परामर्श देना, बंधक श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक पुनर्वास में सहायता करना, ग्रामीण एवं सहकारी वित्तीय संस्थाओं से उन्हें वित्तीय मदद उपलब्ध कराना तथा बंधक श्रमिकों को उनके ऋणों से मुक्ति दिलाना है। जिला एवं उप खण्ड स्तरीय सतर्कता समिति द्वारा बंधक श्रमिक नियोजित करने वाले संभावित स्थलों जैसे—ईट भट्टा, कशर, निर्माण कार्य, कृषि, बोरवेल, चूना भट्टा, होटल एवं ढाबा आदि का भ्रमण किया जाकर स्थल निरीक्षण किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं। तदनुसार समिति द्वारा स्थल निरीक्षण भी किये जा रहे हैं।

प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि वे उक्त निगरानी समितियों को पुनर्गठित कर सक्रिय बनाएं और हर तिमाही में उनकी कम से कम एक बैठक का आयोजन सुनिश्चित करें। अद्यतन स्थिति अनुसार प्रदेश के जिन जिलों में समितियों का दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है अथवा समाप्त हो रहा है, उन जिला कलेक्टरों को समितियों के पुनर्गठन किये जाने हेतु सूचित किया जाता है। सभी 52 जिलों की समिति गठित है।



## राज्य स्तरीय बंधक श्रम समीक्षा एवं समन्वय समिति—

मान. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 6190/2007 जे. प्रसाद विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से सुनवाई की गई। मा. उच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन के प्रतिवेदन को संतोषजनक मानते हुए समिति की बैठक पाक्षिक के स्थान पर प्रति दो माह में करने की अनुमति प्रदान की गई। उक्त याचिका में पारित निर्देशों के अनुपालन में अपर मुख्य सचिव, गृह की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय बंधक श्रम समीक्षा एवं समन्वय समिति द्वारा राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति एवं पुनर्वास की समीक्षा की जाती है। उक्त याचिका का निराकरण दिनांक 06.08.2018 को हो गया है। राज्य में बंधक श्रमिकों के चिन्हांकन, विमुक्ति एवं पुनर्वास की निगरानी की जा रही है।

### 9.4 विमुक्त बंधक श्रमिकों का पुनर्वास

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन “बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016” दिनांक 18.05.2016 से लागू की गई है।

नई पुनर्वास नीति में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राशि पुरुष वयस्क हितग्राहियों हेतु रु.1.00 लाख, बालक एवं महिला हितग्राहियों के लिए रु. 2.00 लाख तथा गंभीर शोषण के प्रकरणों में महिला एवं बालकों के लिए रु. 3.00 लाख प्रावधानित है। इसके अतिरिक्त बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु रु. 4.50 लाख प्रति जिला राज्य स्तरीय जन जागरण हेतु रु.10.00 लाख तथा मूल्यांकन अध्ययन हेतु रु. 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले में जिला दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में बंधक श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जावेगा जिसमें रु. 10 लाख की स्थायी निधि रहेगी जो विमुक्त बंधक श्रमिकों को तत्कालिक सहायता राशि रु. 20 हजार प्रदान करने हेतु प्रयुक्त होगी। शेष राशि हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जावेगे तथा शेष राशि बंधक श्रमिक के नियोजक के अधिनियम के अंतर्गत दोष सिद्धि उपरांत केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त कर बंधक श्रमिक को भुगतान की जावेगी। निधि में बंधक श्रमिक के नियोजक से प्राप्त होने वाली दण्ड की राशि जमा की जावेगी। प्रदेश के सभी 52 जिलों में बंधक श्रम पुनर्वास निधि का गठन (CARPUS FUND) किया जाकर समिति का बैंक खाता खोला गया है। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक जिले को राशि आबंटित की गई।

विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों को विभिन्न प्रचलित शासन की हितग्राहीमूलक कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवश्यकतानुसार निम्नलिखित लाभ दिलाकर पुनर्वासित कराया जाना अपेक्षित है :-

1. आवासहीनों को आवास हेतु भूखंड तथा आवास निर्माण हेतु सहायता।
2. भूमिहीनों को यथासंभव कृषि भूमि का आबंटन, और कृषि संसाधन के लिये सहायता या विकल्प में अन्य उत्पादक आस्तियों (यथा दुधारू पशु) के लिये सहायता अथवा रोजगार—मूलक कार्यक्रम के तहत रोजगार,
3. बी.पी.एल. राशन कार्ड का प्रदाय एवं शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में पात्रतानुसार लाभान्वित करना।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित विमुक्त बंधक श्रमिकों को अनुसूचित जाति /जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक सहायता एवं अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ प्रदान करना।
5. बंधक श्रमिकों के नियोजकों के विरुद्ध बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं अन्य श्रम अधिनियमों जैसे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम में अभियोजन/दावा कार्यवाही करना।

विमुक्त होकर राज्य में निवासरत बंधक श्रमिकों के लिये कल्याण शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में आनेवाले श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा उन्हें शासन की कल्याणकारी, हितग्राहीमूलक एवं रोजगारमूलक, योजनाओं से अतगत कराया जाकर, लाभांवित किया गया।

### राज्य स्तरीय कार्यशाला

- दिनांक 24.10.2017 को बंधक श्रमिकों की विमुक्ति, पहचान एवं पुनर्वास विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- राज्य में बाल एवं बंधक श्रम कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। दिनांक 25.11.2019 राज्य स्तरीय परामर्श बैठक/कार्यशाला का आयोजन आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासकीय अकादमी, भोपाल में माननीय श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में जिला-कलेक्टर के प्रतिनिधी, पुलिस विभाग, विधिक सेवा प्राधिकरण, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, बाल कल्याण समिति, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, एन.जी.ओ. एवं श्रम विभाग के अधिकारी सम्मिलित हुए।

### केन्द्र सरकार से प्रतिपूर्ति राशि की प्राप्ति हेतु कार्यवाही

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नई बंधक श्रम पुनर्वास नीति 2016 के प्रावधान अनुसार राज्य शासन द्वारा व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी तदनुसार नई योजना प्रारंभ दिनांक से दिसंबर 2019 तक विमुक्त बंधक श्रमिकों को प्रदत्त सहायता राशि की प्रतिपूर्ति राशि रु. 24,88,000/- की मांग केन्द्र सरकार से की गई है।
- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल द्वारा बंधक श्रमिक पाए जाने वाले चयनित जिलों सागर, छतरपुर, बुरहानपुर, मुरैना, गुना एवं मंडला में मूल्यांकन अध्ययन कार्य किया गया है। मूल्यांकन अध्ययन कार्य में व्यय राशि रु. 4,24,350/- की मांग भी केन्द्र सरकार से की गई है।

बंधक श्रमिकों की विमुक्ति एवं पुनर्वास की वर्षवार जानकारी परिशिष्ट 9.1 में अवलोकनीय है।

\* \* \*

अध्याय—10  
कतिपय अन्य महत्वपूर्ण श्रम कानूनों का कार्यान्वयन

**10.1. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961**

यह अधिनियम मोटर परिवहन व्यवसाय में संलग्न उन नियोक्ताओं पर लागू होता है जो दो या दो से अधिक कर्मकार नियोजित करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत वाहन पर नियुक्त कर्मकारों की सेवाशर्तें (मुख्यतः काम के घंटे, अवकाश, ओवर टाइम, गणवेश आदि) का नियमन किया जाता है। नियोक्ता के लिये यह अनिवार्य है कि वह श्रम कार्यालय से उपक्रम का पंजीयन कराये एवं अधिनियम में दिए गए प्रावधानों का पालन करे। अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने की स्थिति में अधिनियम में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

प्रदेश में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों की संख्या तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय— वार जानकारी परिशिष्ट—10.1 में दी गई है।

अधिनियम के अंतर्गत संपन्न निरीक्षणों की जानकारी निम्नानुसार है:—

तालिका 10.1

| क्र. | विवरण    | 2017—18 | 2018—19 | 2019—20<br>(दिसंबर 2019 तक) |
|------|----------|---------|---------|-----------------------------|
| 1.   | निरीक्षण | 43      | 16      | 06                          |
| 2.   | अभियोजन  | 00      | 00      | 00                          |

**10.2. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955**

भारत सरकार ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रसारित अधिसूचना दिनांक 11 नवंबर 2011 द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों एवं गैर पत्रकारों के संबंध में मजीठिया वेतन मण्डल की अनुशंसायें प्रभावशील की हैं।

प्रदेश के समाचार पत्र संस्थाओं तथा प्रेस संस्थानों में मजीठिया वेतन मंडल की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु श्रमायुक्त संगठन के मैदानी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

**10.3. मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958**

यह अधिनियम, 1 जनवरी, 1959, से प्रभावशील है। इसका उद्देश्य दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित कर्मियों की कार्यदशाओं को विनियमित करता है।

यह अधिनियम 01.01.03 तक प्रदेश के 144 नगरों कस्बों में लागू था। दिनांक 15.7. 2011 से इसे 47 जिलों के 219 और कस्बों में प्रभावशील किया गया है। इस प्रकार अब यह प्रदेश के कुल 363 नगरों/कस्बों में लागू है, जिनकी जिले—वार सूची परिशिष्ट—10.2 में दी गई है।

प्रदेश में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या, तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/ कर्मचारियों की पंजीकृत संख्या की जिले-वार जानकारी परिशिष्ट-10.3 में दी गई है।

इस अधिनियम, की धारा 6 (2) एवं 6(5) के अंतर्गत दुकानों/स्थापनाओं के पंजीयन एवं नवीनीकरण का कार्य पुनः जुलाई 2009 से श्रम विभाग को सौंपा गया है।

इस अधिनियम की धारा 9 में दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापना खुलने एवं बंद किये जाने का समय विनियमित किए जाने का और धारा 13 में ऐसी स्थापनाओं में एक साप्ताहिक अवकाश दिये जाने का प्रावधान है। कतिपय विशिष्ट स्वरूप की स्थापनाओं को उक्त अधिनियम की धारा 9 तथा धारा 13 के प्रावधानों से, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान की गई है। उदाहरणार्थ, अधिसूचना दिनांक 23.3.2000 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी स्थापनाओं को, कतिपय शर्तों के तहत, धारा 9(1) एवं धारा 13(1) के प्रावधानों से छूट दी गई है, अर्थात् इस प्रकार की स्थापनाएं प्रदेश में सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे कार्य कर सकती हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के खुलने एवं बंद होने के समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जाता है। धारा-9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 14.01.2011 द्वारा इनके बंद होने का समय रात्रि 10.00 बजे निर्धारित है।

श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 20 मई 2013 द्वारा सूचना प्रौद्योगिक इकाईयों में रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक महिलाओं को कार्य करने की छूट उनकी सुविधा एवं सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्थाओं की शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 तथा म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत प्रक्रियाओं को सरलीकृत करते हुए दिनांक 15 जनवरी, 2014 से समस्त अभिलेख इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म में संधारित करने की अनुमति जारी की गई है तथा पंजीयन एवं नवीनीकरण की सुविधा ऑनलाईन की गई है। यह सेवा लोक सेवा के रूप में भी सम्मिलित है।

म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीयन के नवीनीकरण का प्रावधान म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 8.3.2019 के अनुसार समाप्त कर दिया गया है।

म.प्र. दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 में संशोधन करते हुए, म.प्र. दुकान तथा स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 लाया गया है, जिसके अंतर्गत निम्न प्रमुख प्रावधान किए गए हैं:-

1. विहित कालावधि में निरीक्षक द्वारा विपरीत आदेश न होने पर पंजीयन स्वतः कर दिया गया, समझा जाएगा।
2. प्रत्येक स्थापना में आग से बचाव व कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के उपाय विहित किए जाएंगे।
3. 10 से कम श्रमिकों की स्थापना में निरीक्षण श्रम आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से ही किया जा सकेगा।
4. सभी उल्लंघनों हेतु प्रशमन के प्रावधान किए गए हैं।

5. पंजियों एवं अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत या डिजिटल फॉर्मेट में रखा जा सकेगा।

अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 10.2

| क्र. | विवरण    | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20<br>(दिसंबर 2019 तक) |
|------|----------|---------|---------|-----------------------------|
| 1.   | निरीक्षण | 588     | 231     | 2093                        |
| 2.   | अभियोजन  | 215     | 67      | 233                         |

#### 10.4. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

यह अधिनियम उन प्रमुख नियोजकों एवं ठेकेदार के संस्थानों पर लागू होता है जो अस्थायी प्रकृति के कार्यों को संपन्न कराने की प्रक्रिया का संपादन करते हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधानानुसार अनुबंधित कार्य के संपादन में किसी भी दिन बीस या उससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित होने की दशा में, प्रमुख नियोजक स्थापनाओं के लिए अपना रजिस्ट्रीकरण कराना, और संबंधित ठेकेदार को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन ने रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी और अनुज्ञापन अधिकारी निम्नानुसार नियुक्त किए हैं :-

तालिका 10.3

| अधिनियम के तहत प्राधिकारी | किसे नियुक्त किया गया           |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी |
| 2. अनुज्ञापन अधिकारी      | सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी |

प्रदेश में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों की संख्या, अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या तथा श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या की श्रम कार्यालय-वार जानकारी परिशिष्ट-10.4 में दी गई है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 10.4

| क्र. | विवरण    | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20<br>(दिसंबर 2019 तक) |
|------|----------|---------|---------|-----------------------------|
| 1.   | निरीक्षण | 442     | 891     | 1796                        |
| 2.   | अभियोजन  | 56      | 225     | 126                         |

#### 10.5. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

यह अधिनियम उन स्थापनाओं (एवं ठेकेदारों) पर लागू होता है जो न्यूनतम पांच या अधिक ऐसे श्रमिकों से काम लेते हैं, जो किसी अन्य राज्य से ठेकेदार, सरदार अथवा एजेंट के माध्यम से आये हों। स्थापना को ऐसे श्रमिकों से कार्य लेने के पूर्व अपना पंजीयन कराना होता है, तथा संबंधित ठेकेदार /सरदार/ एजेंट को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होती है।

इस अधिनियम के अंतर्गत भी राज्य शासन ने उन्हीं अधिकारियों को क्रमशः रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी और अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किया है, जिन्हें ठेका श्रम अधिनियम के तहत ऊपर पद 10.4 में इस हैसियत से नियुक्त दर्शाया गया है।

अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों में राज्य से बाहर जाने वाले एवं अन्य राज्यों से आने वाले, दोनों प्रकार के श्रमिक सम्मिलित होते हैं। राज्य के सीमावर्ती जिलों में प्रायः श्रमिकों का अंतर्राज्यीय प्रवास प्रचलित है। भारी इंजीनियरिंग, लोहा एवं इस्पात, तथा ईट भट्टे आदि कार्यों में बिहार तथा उत्तरप्रदेश राज्यों के श्रमिक प्रायः कार्यरत पाये जाते हैं। अधिकांश श्रमिक स्वयं ही प्रवास करते हैं और किसी सरदार/ठेकेदार/एजेंट के माध्यम से प्रवास न करने के कारण ये अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं।

किसी ग्राम से अन्य राज्य को जाने वाले श्रमिकों की पंजी संधारित करने का दायित्व गत जनवरी, 2001, से ग्राम सभाओं को सौंपा गया है।

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2002 द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, की धारा 20 की उपधारा (1) के अन्तर्गत राज्य की नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को, एवं नगर पालिकाओं तथा नगर निगमों में कार्यरत राजस्व निरीक्षकों को, संबंधित नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम के अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के अन्तर्गत "निरीक्षक" नियुक्त किया गया है। अधिनियम के प्रवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:—

**तालिका 10.5**

| क. | विवरण    | 2017—18 | 2018—19 | 2019—20<br>(दिसंबर 2019 तक) |
|----|----------|---------|---------|-----------------------------|
| 1. | निरीक्षण | 72      | 01      | 30                          |
| 2. | अभियोजन  | 00      | 00      | 00                          |

\*\*\*

## अध्याय—11

### कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ

#### 11.1 प्रारम्भिक

भारत सरकार द्वारा संगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रवर्तित की गई है। योजना अन्तर्गत देय विभिन्न हितलाभों में से एक हितलाभ योजना के हितग्राही सदस्यों व उनके परिजनों को संपूर्ण चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने का दायित्व राज्य शासन को सौंपा गया है, जिसके लिये म0प्र0 शासन, श्रम विभाग अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ विभाग की स्थापना की गई है। शेष हितलाभ भारत शासन अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, के अंतर्गत संचालित कर्मचारी राज्य बीमा योजना, अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित ऐसे सभी कारखानों, व अन्य स्थापनाओं पर लागू होती है, जहां कार्यरत व्यक्तियों की संख्या ऊर्जा-चालित स्थापनाओं तथा गैर-ऊर्जा चालित स्थापनाओं में दस या दस से अधिक हों। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा दिनोंक 31.3.2019 की स्थिति में दी गई जानकारी अनुसार प्रदेश में 10,47,260 बीमित व्याप्ति में है। निगम द्वारा दिनोंक 1.10.2016 से रूपये 21,000/- तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मचारों को व्याप्ति में लेने का निर्णय लिया गया है। योजना में व्याप्त कर्मचारों व उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा एवं अन्य विभिन्न हितलाभ प्राप्त होते हैं जिनका विवरण आगे पद 11.2 में दिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) योजना के तहत नियोजक स्थापनाओं और उनमें कार्यरत श्रमिकों का पंजीयन तथा उनसे अभिदाय की प्राप्ति/वसूली का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम (जो एक केंद्रीय उपक्रम है) करता है। श्रमिक को उसकी कुल परिलब्धियों के 0.75% के बराबर अभिदाय देना होता है और नियोजक 3.25% अभिदाय देता है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर में है तथा उसके अंतर्गत 27 स्थानीय कार्यालय हैं।

#### 11.2. कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले हितलाभ और योजना के कार्यान्वयन का पेटर्न

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बीमित श्रमिक को निम्नलिखित हितलाभ प्राप्त होते हैं :-

1- चिकित्सा हितलाभ— श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों को पूर्ण चिकित्सा सुविधा।

2- बीमारी हितलाभ— दीर्घकालिक रोगों से ग्रस्त बीमाकृत व्यक्ति 91 दिन की बीमारी हितलाभ अवधि की समाप्ति पर बड़ी कठिनाई अनुभव कर रहे थे। प्रायः कार्य के लिए स्वस्थ न होने पर भी वे अंतिम प्रमाण-पत्र के लिए जोर देते थे। अब 3 वर्ष की वि.बी.हित. अवधि में 2 वर्ष तक की विस्तारित अवधि (विस्तारित बीमारी हितलाभ) हेतु बीमारी हितलाभ का भुगतान करने का प्रावधान कर दिया गया है।



3— मातृत्व हितलाभ — महिला श्रमिकों को 26 Weeks के वेतन के बराबर राशि प्रसूति की दशा में देय है।

4— अपंगता हितलाभ — कार्य संबंधित दुर्घटना से उत्पन्न अपंगता की स्थिति में बीमित व्यक्तियों को मुआवजा देय है जिसकी दर श्रमिक की आयु व वेतन पर निर्भर है। स्थायी अपंगता के लिए मासिक पेंशन देय है।

5— पुनर्वास हितलाभ — अपंग हुए हितग्राहियों को कृत्रिम अंग लगवाने तथा दुरस्त कराने के लिए, एवं कृत्रिम अंग केंद्र तक आने-जाने के व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शारीरिक पुनर्वास भत्ते के रूप में वहन किया जाता है। इसके अलावा, शारीरिक अपंगता की स्थिति में व्यावसायिक पुनर्वास/पुनर्प्रशिक्षण हेतु सहायता, व्यावसायिक पुनर्वास भत्ते के रूप में दी जाती है।

6— आश्रित हितलाभ— कार्य संबंधित दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को मासिक पेंशन की पात्रता होती है।

7— अंत्येष्टि हेतु सहायता— बीमित श्रमिक की मृत्यु होने पर परिवार को अधिकतम रुपये 15,000/— अंतिम संस्कार के लिए दिए जाते हैं।

उपर्युक्त में से प्रथम हितलाभ (अर्थात् चिकित्सा हितलाभ) का प्रशासन पूरी तरह राज्य शासन की जिम्मेदारी है। शेष हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नगद रूप में दिये जाते हैं, परंतु उनके लिए आवश्यकतानुसार प्रमाणीकरण क.रा.बी. सेवाओं में कार्यरत चिकित्सकों द्वारा किया जाता है।

राज्य शासन के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं दिए जाने हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 1.4.2016 से रुपये 3,000/— प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष का मापदंड निर्धारित किया गया था। इस सीमा तक होने वाले व्यय को निगम एवं राज्य शासन 7:1 के अनुपात में वहन करते हैं। इससे अधिक होने वाला व्यय पूर्णतः राज्य शासन को वहन करना होता है। निगम ने रुपये 3,000/— प्रति बीमित व्यक्ति प्रति वर्ष की उक्त दर को निम्न मदों में विभक्त किया है :-

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. प्रशासनिक मद | रुपये 1,250 /— |
| 2. अन्य मद      | रुपये 1,750 /— |
| योग             | रुपये 3,000 /— |

### 11.3. कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रदेश में विस्तार एवं बीमित व्यक्तियों की संख्या

प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रथमतः जनवरी, 1955, में मध्य भारत क्षेत्र के चार मुख्य औद्योगिक केन्द्रों— इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, तथा रतलाम—के लगभग 55,000 श्रमिकों के लिये प्रारंभ की गयी थी। शनैः—शनैः प्रदेश में औद्योगिक केन्द्रों के विस्तार के साथ-साथ कर्मचारी राज्य बीमा योजना का भी विस्तार होता गया। दिनांक 31.3.2019 की स्थिति में प्रदेश के 17 जिलों में 20 केन्द्रों पर 10,47,260 बीमित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों को इस योजना के तहत चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। तथा प्रत्येक केंद्र पर कार्यरत चिकित्सालयों और औषधालयों की सूची परिशिष्ट-2.3 में दी गयी है।



#### 11.4. चिकित्सा हितलाभ

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत देय पूर्ण चिकित्सा सेवा (**Full medical care**) के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों व उनके परिवार के सदस्यों को बाह्य रोगी चिकित्सा, अन्तः चिकित्सालयीन सुविधा व विशेष जांच व उपचार की सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती है।

अन्तः चिकित्सालयीन सुविधा प्रदेश के मुख्य नगरों में 6 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों एवं एक एनेक्सी वार्ड के माध्यम से दी जाती है। जिनमें कुल 456 शैयाएँ उपलब्ध है। इन्दौर क्षय चिकित्सालय में 75, उज्जैन चिकित्सालय में 50, ग्वालियर चिकित्सालय में 100, भोपाल चिकित्सालय में 100, देवास चिकित्सालय में 50, नागदा चिकित्सालय में 50 एवं एनेक्सी वार्ड मंदसौर में 25, मिल क्षेत्र औषधाल में पीपी0युनिट में 6 शैयाओं की व्यवस्था है। अन्य स्थानों पर बीमित व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों के लिये 16 स्थानीय जिला/ सिविल चिकित्सालयों में 96 सामान्य व 46 क्षय शैयाओं का आरक्षण किया गया है तथा द्वितीयक उपचार एवं जाँच की केश रहित सुविधा हेतु प्रदेश के 20 निजी चिकित्सा संस्थानों को अनुबंधित किया गया है।

वर्तमान में 3 रोगी वाहन विभिन्न चिकित्सालयों एवं औषधालयों में कार्यरत है।

गंभीर बीमारियों व जटिल सर्जरी, विशेष जाँचें आदि के मामलों में, जो सुविधा कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं है उन्हें राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम म0प्र0 द्वारा विभिन्न अतिविशिष्ट चिकित्सालयों को अनुबंधित कर, केशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जरूरत पड़ने पर बीमित व्यक्तियों को ऐनक, कृत्रिम अंग, हियरिंग एड आदि भी निःशुल्क दिए जाते हैं।

बीमित व्यक्तियों को, उनके द्वारा चिकित्सा पर किए गए व्यय के शीघ्र पुनर्भुगतान के उद्देश्य से जुलाई 2001 से स्थापित रिवाल्विंग फंड दिनांक 31.3.2015 से समाप्त करते हुये एसिक ऑपरेशन मेन्युअल 2015 के अनुसार हितग्राहियों को भुगतान रहित उपचार सुविधा दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.12.2019 तक का विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका 11.4

| क्र. | उपचार                          | प्रकरणों की संख्या (अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2019 तक) | चिकित्सालयों को भुगतान करने हेतु स्वीकृत राशि |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1    | द्वितीयक उपचार एवं जाँच सुविधा | 6,850                                               | 8,54,11,675/-                                 |

क.रा.बी. संस्थाओं में उपचारित मरीजों का विवरण परिशिष्ट-11.1 में दिया गया है।

### 11.5. परिवार कल्याण एवं अन्य सेवाएँ

उपर्युक्त चिकित्सा सेवाओं के अलावा संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ, कतिपय अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम और गतिविधियाँ भी संचालित करता है। श्रमिक एवं परिवार कल्याण शिक्षक द्वारा श्रमिक बस्तियों व औद्योगिक इकाइयों में श्रमिक बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। टेलिविजन, विडियो, प्रोजेक्टर, बेनर, पोस्टर आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार का कार्य किया जाता है।

श्रमिक बस्तियों में टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, क्षयरोग, नेत्र रोग एवं अस्थिरोग निदान शिविर, स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता एवं परिवार नियोजन आपरेशन शिविर आयोजित किए जाते हैं। इनमें बीमारियों के प्रतिरोधक टीके, हेल्थ स्कैनिंग व स्वास्थ्य सुविधा दी जाती है।

परिवार कल्याण आदि कार्यक्रमों के तहत विगत तीन वर्षों में किए गए कार्य का विवरण परिशिष्ट-11.2 में दिया गया है। इसी प्रकार विगत तीन वर्षों में टीकाकरण संबंधी जानकारी परिशिष्ट- 11.3 में दर्शाई गई है।

चिकित्सालय द्वारा किये गये आप्रेशन का विवरण परिशिष्ट-11.4 में दिया गया है।

हिपेटाइटिस “बी” से बचाव के लिये बीमितों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिये हिपेटाइटिस-बी का विशेष सत्र औद्योगिक इकाइयों में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत 408 हितग्राहियों को टीके लगाये गये हैं।

प्रदेश के कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ को परिवार कल्याण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता रहा है। दिनांक 31.10.06 को नई दिल्ली में चिकित्सा हितलाभ परिषद की आयोजित 76 वीं बैठक में वर्ष 2004-05 में प्रथम पुरस्कार के साथ रुपये 10,000/- नगद, टीकाकरण के क्षेत्र में प्रावीण्यता प्रमाण-पत्र तथा वर्ष 2005-06 में द्वितीय पुरस्कार के साथ रुपये 5,000/- नगद प्रदान किये गये हैं। वर्ष 2008-09 में परिवार कल्याण की उपलब्धियों के लिये महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार घोषित किया गया है, इसमें रुपये 3,000/- का नगद व प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। वर्ष 2011-12 व 2012-13 तथा 2013-14 के पुरस्कारों के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में रुपये 10,000/- का नगद प्रथम पुरस्कार एवं प्राविण्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।

### 11.6 श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार संबंधी कार्ययोजना

पूर्व में राज्य योजना मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय “श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार” में श्रम विभाग को संगठित / असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 0 से 18 वर्ष आयु के 1,00,000 बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण करने का दायित्व सौंपा गया था।

इस संबंध में कर्मचारी राज्य सेवायें म.प्र. द्वारा निर्धारित अधिनस्थ 10 केन्द्रों एवं चिकित्सालय के माध्यम से वर्ष 2004-2005 से सतत शिविरों का आयोजन कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में (दिसम्बर 2019 तक) सभी केन्द्रों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से 524 शिविर आयोजित कर 36,441 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।

### 11.7 एच. आय. वी./एड्स प्रकोष्ठ

एड्स के प्रसार को रोकने एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा नीति निर्देश तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क.रा.बी. सेवाओं के लिये कार्यक्रम निर्धारण व धनराशि आवंटन क.रा.बी.निगम के माध्यम से किया जाता है। संचालनालय में कार्यरत एड्स प्रकोष्ठ के अधीन ग्वालियर स्थित चिकित्सालयों में 31.3.2000 से आय. सी.टी. सी (समग्र परामर्श/ परीक्षण केन्द्र) प्रारंभ किये गये हैं एवं यौन जनित रोग निदान एवं उपचार क्लीनिक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं। यह कार्यक्रम क.रा.बी.निगम द्वारा वित्त पोषित है। लगातार प्रचार-प्रसार एवं जनजागृति के प्रयास हर स्तर पर किये जा रहे हैं जिसके कारण एड्स के नवीन प्रकरणों में कमी आयी है।

एच0आय0वी0/एड्स के प्रसार के रोकथाम हेतु विभागीय चिकित्सकों एवं पैरामेडीकल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। निदान केन्द्रों पर सम्पन्न परीक्षण में एच0आय0वी0 पॉजिटिव के कुछ प्रकरण पाये गये हैं, जिन्हें विशेष उपचार चिकित्सा महाविद्यालयों के ए0आर0 टी0 केन्द्रों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

### 11.8 विभागीय अमले की स्थिति

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें म. प्र. के अर्न्तगत वर्ष 2019-2020 में ( दिसम्बर 2019 तक) स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अमले की स्थिति निम्नवत् है :-

| क्र० | श्रेणी         | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्त |
|------|----------------|---------|---------|-------|
| 1    | प्रथम श्रेणी   | 71      | 22      | 49    |
| 2    | द्वितीय श्रेणी | 289     | 186     | 103   |
| 3    | तृतीय श्रेणी   | 886     | 608     | 278   |
| 4    | चतुर्थ श्रेणी  | 783     | 492     | 291   |
| 5    | कुल योग        | 2029    | 1308    | 721   |

### 11.9 विभागीय पदोन्नतियों की स्थिति

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें म. प्र. के अर्न्तगत वर्ष 2019-2020 में ( दिसम्बर 2019 तक) पदोन्नति हेतु शासन से निर्देश प्राप्त नहीं होने से प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी में निरंक तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में निरंक एवं तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी में निरंक तथा चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में निरंक पदोन्नतियों की गई है।

### 11.10 विभागीय जाँच की स्थिति

वर्ष 2019-2020 में ( दिसम्बर 2019 तक) विभागान्तर्गत प्रथम श्रेणी में 01, द्वितीय श्रेणी में 03 प्रकरणों में निर्णय शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। तृतीय श्रेणी में 03 तथा चतुर्थ श्रेणी में 01 प्रकरण में जांच कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

### 11.11 नियुक्तियों की स्थिति

वर्ष 2019–2020 में ( दिसम्बर 2019 तक) विभागान्तर्गत प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी पदों नियुक्ति कर्ता अधिकारी शासन, लोक सेवा आयोग के माध्यम से बीमा चिकित्सा पदाधिकारी एवं सहायक चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के रिक्त 67 पदों की पूर्ति की कार्रवाई के तहत लोक सेवा आयोग द्वारा 62 उम्मीदवारों की मुख्य सूची जारी की गई है, इसमें से 42 चिकित्सकों की पद स्थापना हेतु एम.ऑनलाईन द्वारा दिनांक 24.12.2019 से च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। तत्पश्चात श्रम विभाग द्वारा चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश प्रसारित किये जायेंगे। तृतीय श्रेणी में 04 पदों पर तथा चतुर्थ श्रेणी के 03 पदों पर नियुक्ति की गई।

### 11.12 स्थानांतरण की स्थिति

वर्ष 2019–2020 में ( दिसम्बर 2019 तक) प्रथम श्रेणी में 01, द्वितीय श्रेणी में 56, तृतीय श्रेणी में 68 तथा चतुर्थ श्रेणी में 10 स्थानान्तरण किये गये हैं।

### 11.13 न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :-

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें में वर्तमान में कुल 168 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। जिसमें से 125 न्यायालयीन प्रकरण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों से संबंधित हैं तथा शेष 43 प्रकरण हितग्राहियों से संबंधित हैं।

\*\*\*\*

अध्याय—12  
श्रम न्यायपालिका

12.1.संवैधानिक व्यवस्था

संविधान के अनुच्छेद 323-ख (1) में व्यवस्था है कि समुचित विधान मंडल, कानून द्वारा, उक्त अनुच्छेद के खण्ड (2) में उल्लेखित प्रकार के विवादों के अधिकरणों द्वारा न्याय निर्णयन या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा। उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में उल्लेखित विषयों में "औद्योगिक और श्रम विवाद" भी सम्मिलित है।

म.प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 के अंतर्गत प्रदेश में औद्योगिक न्यायालय गठित है। साथ ही, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7-क के अंतर्गत मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण गठित है। धारा 7-क के अनुसार कोई भी औद्योगिक विवाद, चाहे वह अधिनियम की अनुसूची दो का विषय हो अथवा अनुसूची तीन का, राज्य शासन द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सौंपा जा सकता है। औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष ही औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी नियुक्त हैं। मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 8, सहपठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के अंतर्गत प्रदेश में श्रम न्यायालय कार्यरत हैं।

औद्योगिक न्यायालय तथा श्रम न्यायालय, विभिन्न केन्द्रीय व राज्य विधानों के अंतर्गत औद्योगिक विवादों की सुनवाई करते हैं।

12.2. औद्योगिक न्यायालयों की खंडपीठ व प्रशासन

मध्य प्रदेश औद्योगिक न्यायालय की मुख्य खंडपीठ इन्दौर में है, तथा 4 खंडपीठें कमशः जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं रीवा में स्थापित है। औद्योगिक न्यायालय में अध्यक्ष के अलावा 6 सदस्य न्यायाधीशों के पद स्वीकृत है जिनमें से दो मुख्यालय इन्दौर में, एवं शेष चार खण्डपीठों के लिए है। मुख्यालय पर प्रशासकीय व कार्यपालक कार्य के लिए एक रजिस्ट्रार है, जो न्यायिक कार्य के लिए कराधान अधिकारी होकर वर्तमान में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रतिनियुक्ति पर रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ है। खण्डपीठों में संयुक्त पंजीयक, प्रशासकीय अधिकारी है। राज्य में कुल 25 श्रम न्यायालय गठित है जिनमें से 23 श्रम न्यायालय नियमित रूप से कार्यरत हैं। जिन श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हैं, वहां का प्रभार अन्य निकटस्थ श्रम न्यायालय में कार्यरत पीठासीन अधिकारी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।

औद्योगिक न्यायालय तथा विभिन्न श्रम न्यायालयों द्वारा वर्ष 2019-20 में प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी परिशिष्ट 12.1 एवं 12.2 में दी गई है।

पदोन्नति :- वर्ष 2019-20 में तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी में किसी भी कर्मचारी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई।

विभागीय जाँच :- वर्ष 2019-20 में दिनांक 31-12-2019 की स्थिति में विभागीय जाँच के 3 प्रकरण लंबित है।

नियुक्तियाँ :- वर्ष 2019-20 में तृतीय श्रेणी में सहायक ग्रेड-3 के एवं चतुर्थ श्रेणी में कोई नियुक्ति नहीं की गई।

स्थानांतरण :- श्रम न्यायिक संस्थान में वर्ष 2019-20 में तृतीय श्रेणी में 06 एवं चतुर्थ श्रेणी में 02 कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया।

न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :-

शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शासन के विरुद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों के अंतर्गत जानकारी नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है।

श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले

| क्र. | संभाग     | श्रम न्यायालय       | श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले |
|------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.   | इन्दौर    | 1. इन्दौर           | इन्दौर                                                  |
|      |           | 2. धार              | धार                                                     |
|      |           | 3. खण्डवा           | 1. खण्डवा, 2. खरगोन, 3. बड़वानी, 4. बुरहानपुर           |
| 2.   | उज्जैन    | 1. उज्जैन           | 1. उज्जैन, 2. शाजापुर, 3. आगर                           |
|      |           | 2. देवास            | देवास                                                   |
|      |           | 3. रतलाम            | 1. रतलाम, 2. झाबुआ 3. अलीराजपुर                         |
|      |           | 4. मन्दसौर          | 1. मन्दसौर, 2. नीमच                                     |
| 3.   | भोपाल     | 1. क्र. 1, भोपाल    | 1. भोपाल, 2. रायसेन                                     |
|      |           | 2. क्र. 2, भोपाल    | 1. सीहोर, 2. विदिशा, 3. राजगढ़,                         |
|      |           | 3. बैतुल            | बैतुल                                                   |
| 4.   | सागर      | 1. सागर             | 1. सागर, 2. पन्ना, 3. टीकमगढ़ 4. दमोह 5. छतरपुर         |
| 5.   | जबलपुर    | 1. जबलपुर           | 1. जबलपुर, 2. मंडला, 3. सिवनी, 4. कटनी, 5. डिंडोरी      |
|      |           | 2. नरसिंहपुर        | नरसिंहपुर                                               |
|      |           | 3. छिन्दवाड़ा       | छिन्दवाड़ा                                              |
|      |           | 4. बालाघाट          | बालाघाट                                                 |
| 6.   | रीवा      | 1. रीवा             | रीवा                                                    |
|      |           | 2. शहडोल            | 1. शहडोल, 2. उमरिया 3. अनुपपुर                          |
|      |           | 3. सीधी             | 1. सीधी 2. सिंगरौली                                     |
|      |           | 4. सतना             | सतना                                                    |
| 7.   | ग्वालियर  | 1. क्र. 1, ग्वालियर | 1. ग्वालियर,                                            |
|      |           | 2. क्र. 2, ग्वालियर | 1. मुरैना, 2. भिण्ड 3. दतिया, 4. शिवपुरी, 5. श्योपुर    |
|      |           | 3. क्र. 3, ग्वालियर | 1. गुना 2. अशोक नगर                                     |
| 8.   | होशंगाबाद | होशंगाबाद           | 1. होशंगाबाद, 2. हरदा                                   |
| 9.   | चंबल      | —                   | —                                                       |

नोट — श्रम न्यायालय दमोह एवं छतरपुर अस्तित्व में नहीं है।

\*\*\*

## अध्याय—13

### राज्य—स्तरीय त्रिपक्षीय सलाहकार समितियाँ

#### 13.1. प्रारंभिक

श्रम संबंधी मामलों में साधारणतः तीन हितधारी पक्ष— श्रमिक, नियोजक एवं शासन होते हैं जिन्हें सामाजिक भागीदार (**social partners**) भी कहा जाता है। श्रम के क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में इन तीन सामाजिक भागीदारों के बीच नियमित और सार्थक संवाद और विचार—विमर्श होते रहना आवश्यक है। त्रिपक्षीयता का यह सिद्धांत अनेक श्रम कानूनों एवं कार्यकारी आदेशों के तहत गठित समितियों में प्रतिबिंबित होता है। कुछ प्रमुख राज्य—स्तरीय त्रिपक्षीय समितियों का विवरण आगे दिया जा रहा है।

#### 13.2. राज्य श्रम सलाहकार परिषद

मध्य प्रदेश श्रम सलाहकार परिषद, राज्य शासन के कार्यकारी आदेश के तहत गठित एक महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च त्रि—पक्षीय मंच है जो राज्य शासन को उद्योग संबंधी प्रक्रिया में सुधार, श्रम कल्याण प्रवृत्तियों को असरकारक बनाने, श्रम अधिनियमों के मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन, तथा उद्योग एवं श्रम संबंधी विषयों पर परामर्श देता है।

परिषद के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री हैं तथा श्रमायुक्त इसके सचिव हैं। प्रमुख सचिव श्रम, तथा शासन के अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, नियोजता एवं श्रमिक संगठनों के पदाधिकारी भी इसके सदस्य हैं। परिषद में केन्द्रीय एवं राज्य शासन के उपक्रमों के दो—दो, निजी उद्योगों के 9, श्रमिक के 14 तथा 1 मा. सांसद एवं अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 4 सदस्य हैं। मध्यप्रदेश श्रम सलाहकार परिषद का पुनर्गठन दिनांक 25 जून 2019 को हो चुका है, जिसकी अधिसूचना म.प्र. राजपत्र दिनांक 12.07.2019 को प्रकाशित हुई है।

#### 13.3. न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड

यह बोर्ड न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा—7 के अंतर्गत गठित होता है। बोर्ड का पुनर्गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई 2019 के द्वारा किया गया है। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 26 जुलाई, 2019 को हुआ है। श्रमायुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं। बोर्ड का कार्यकाल दो वर्ष का होता है, ओर वह अधिसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में कार्रवाई करता है। बोर्ड की बैठक दिनांक 15 नवम्बर, 2019 को हुई है।

#### 13.4. राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड

यह बोर्ड ठेका श्रम अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित होता है। इसका कार्य अधिनियम के प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर राज्य शासन को सलाह देना है। बोर्ड का गठन 7 जनवरी 2013 को हुआ था। बोर्ड के पुनर्गठन हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

#### 13.5. समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत सलाहकार समिति

यह समिति उक्त अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत महिलाओं को नियोजन में अधिक अवसर प्रदान करने तथा समान कार्य हेतु समान वेतन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित की जाती है। इस समिति के पुनर्गठन की कार्यवाही प्रचलित है।

\* \* \*

## अध्याय—14

### सांविधिक मंडल

#### 14.1 म0प्र0 श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल

प्रदेश में श्रमिक कल्याण गतिविधियों की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिये म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 को म.प्र. विधानसभा में वर्ष 1982 में पारित किया गया। म.प्र.शासन श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार 14 नवम्बर, 1987 से मंडल ने विधिवत कार्य प्रारंभ किया। मण्डल का मुख्य उद्देश्य कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिभाषित कारखानों तथा दस या इससे अधिक कर्मचारी संख्या वाली वाणिज्यिक स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण हेतु कल्याण योजनाएं/गतिविधियों को संचालित करना है। वर्तमान में मंडल द्वारा नियमित रूप से विभिन्न श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

01. श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केंद्रों का संचालन
02. संभागीय/राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताएं
03. मासिक श्रम कल्याण का प्रकाशन
04. निःशुल्क सिलाई—कढ़ाई प्रशिक्षण

मंडल की उपरोक्त नियमित गतिविधियों के अतिरिक्त मंडल निम्न श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करता है :—

01. शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
02. शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
03. कापियों का रियायती मूल्य पर वितरण
04. विवाह सहायता योजना
05. अंतिम संस्कार हेतु सहायता
06. कल्याणी सहायता योजना
07. अनुग्रह सहायता योजना
08. उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना
09. श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना

#### 1. श्रम कल्याण निधि एवं उसका उपयोग

म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के उपबंधों के अधीन अधिनियम के प्रयोजनों के लिये धारा—11 की उपधारा —1 के अनुसार “निधि”मंडल में न्यासी के रूप में निहित होगी और मंडल द्वारा न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित की जाएगी। उसके धनों का उपयोग मंडल द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को, जो श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विनिर्दिष्ट किये जाएं, कार्यान्वित करने हेतु उपयोग किया जाएगा।



उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मंडल द्वारा निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किये जाने वाले व्ययों को चुकाने में किया जा सकेगा:—

- (क) सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केंद्र जिनके अंतर्गत वाचनालय और पुस्तकालय भी हैं,
- (ख) सामुदायिक आवश्यकताएं,
- (ग) बालकों, स्त्रियों तथा प्रौढ़ों के लिये शैक्षणिक सुविधाएं,
- (घ) खेल तथा खेलकूद,
- (ङ.) भ्रमण, पर्यटन और अवकाश गृह (हालिडे होम्स),
- (च) मनोरंजन और अन्य प्रकार के आमोद-प्रमोद,
- (छ) स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गृह उद्योग और सहायक उपजीविकाएं,
- (ज) सामाजिक स्वरूप के सामुदायिक क्रियाकलाप,
- (झ) अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अंतर्गत मंडल के सदस्यों के भत्ते तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्ते आते हैं,
- (ञ) ऐसे अन्य उद्देश्य जो मंडल की राय में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों और उनकी सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हों।

## 2. मंडल की आय के स्रोत

1. **अभिदाय—** मंडल की आय का मुख्य स्रोत म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 9 (2) (3) के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमिकों, नियोजकों से प्राप्त अभिदाय एवं शासन से प्राप्त अंशदान है। शासन द्वारा दिनांक 02 फरवरी 2013 के राजपत्र में आम सूचना प्रकाशित कर अभिदाय दरों में वृद्धि उपरांत श्रमिकों से रुपये 10/— प्रति श्रमिक प्रति छमाही तथा नियोजकों से रुपये 30/—प्रति श्रमिक/कर्मचारी प्रति छमाही निर्धारित किए गए हैं। धारा 9 (2)(ख) परन्तुक के अनुसार नियोजक का अंशदान न्यूनतम रुपये 1500/— निर्धारित किया गया है। शासन द्वारा नियोजकों से प्राप्त अभिदाय के बराबर अंशदान मंडल को दिये जाने का प्रावधान है।

मण्डल को वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019 तक) की स्थिति में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों तथा स्थापनाओं से अभिदाय स्वरूप राशि रु 4,84,10,835/— (चार करोड़ छियासी लाख त्रिरांनवे हजार छः सौ इक्यानवे मात्र) प्राप्त हुई है। शासन से प्राप्त होने वाले अंशदान की अवशेष राशि में से इस अवधि में कोई शासकीय अंशदान प्राप्त नहीं हुआ है।

2. **असंदत्त संचित राशि—** मंडल को अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत असंदत्त संचित राशि प्राप्त होती है। वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019 तक) विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से असंदत्त संचित राशि रु. 28,88,338/— (अठ्ठाईस लाख अठासी हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) प्राप्त हुई है। असंदत्त संचित राशि के संबंध में अधिनियम की धारा 8 प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही मंडल द्वारा की जाती है।

3. सावधि जमा— मंडल में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 28.96 करोड़ की सावधि जमा थी। जो वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक) में रुपये—29.49 करोड़ सावधि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है।

#### 14.1 मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी गतिविधियाँ

वर्तमान में मंडल द्वारा निम्नलिखित कल्याणकारी गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं :-

##### (01) शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना :-

म.प्र. श्रम कल्याण मंडल द्वारा वर्ष 1989 से प्रतिवर्ष प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों एवं स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है। मंडल द्वारा वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति का उद्देश्य यह है कि आर्थिक अभाव के कारण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न न हो सके।

मण्डल द्वारा दिनांक 05.10.2018 से कक्षा पांचवी से आठवी तक रुपये 1000/- प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9वीं से बारहवी तक रु. 1200/- प्रतिवर्ष का प्रावधान किया गया है। स्नातक, आई.टी.आई. एवं पोलिटेक्निक, पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. (कम्प्यूटर पाठ्यक्रम) में रु. 1500/- प्रतिवर्ष से तथा स्नातकोत्तर रु. 3000/- प्रतिवर्ष, बी.ई. में रु. 10,000/- प्रतिवर्ष, एम.बी.बी.एस. में रु. 20,000/- प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं को लाभ देने का प्रावधान है। दिनांक 02 अक्टूबर 2019 से उक्त योजना ऑनलाइन कर दी गई है। अतः योजना के अन्तर्गत वर्तमान में स्नातक एवं ऊपर की कक्षाओं के आवेदन पत्र मण्डल के पोर्टल [www.shramkalyan.gov.in](http://www.shramkalyan.gov.in) पर ऑनलाइन जमा किये जा रहे हैं।

##### (02) शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना :-

यह योजना वर्ष 2008 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा 10वीं, 12वीं में स्नातक, स्नातकोत्तर, बी.ई. तथा एम.बी.बी.एस. में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।

मण्डल द्वारा दिनांक 05.10.2018 से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण (एम.पी. बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक तथा सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक) तक रुपये—1500/-प्रतिवर्ष एवं कक्षा 12 वीं (एम.पी. बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक तथा सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. द्वारा आयोजित परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक) तक रु. 1600/- प्रतिवर्ष, स्नातक/ स्नातकोत्तर (70 प्रतिशत से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य अन्तराल नहीं होना चाहिये) रुपये—10,000/- प्रतिवर्ष, बी.ई. (70 प्रतिशत से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैंक नहीं होना चाहिये) रुपये—15,000/- प्रतिवर्ष तथा एम.बी.बी.एस. (60 प्रतिशत से अधिक तथा विगत परीक्षा एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैंक नहीं होना चाहिये) रुपये—25,000/- प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत ऑफ—लाईन आवेदन प्राप्त किये गये हैं। आगामी वर्ष 2020-21 में उक्त योजना को भी ऑनलाईन किया जाकर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाना है।

उपरोक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक) में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं, जिसमें चयन की प्रक्रिया अभी जारी है। अतः भुगतान नहीं किया गया है।

**(03) सस्ती दरों पर कापियों का वितरण :-**

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को रियायती मूल्य पर कापियों का वितरण किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक) में कापियों के वितरण में 31,250 छात्र/छात्राओं हितग्राहियों को राशि रुपये-1,97,66,596/- की कापियाँ वितरित की जा चुकी है, शेष संभावित व्यय रुपये 38,55,176/- है।

**(04) विदेश में अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना :- (नवीन योजना)**

मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश के संस्थानों/स्थापनाओं में 05 वर्षों से लगातार कार्यरत रहने वाले श्रमिकों के बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष 05 छात्र-छात्राओं को अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी। उक्त योजना की शासन से प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत इसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-4 (ग) में दिनांक 10 जनवरी 2020 को किया गया है। इस योजना में आवेदन प्राप्त होने पर योजनान्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

**(05) विवाह सहायता योजना :-**

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की परिधि में आने वाले संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की 18 वर्ष से अधिक आयु की पुत्री के विवाह हेतु राशि दिनांक 05.10.2018 से प्रति प्रकरण रु. 15,000/- देने की वृद्धि की गई है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 (30 सितम्बर 2019 तक) में 809 हितग्राहियों को राशि रुपये-1,21,00,000/- की विवाह सहायता राशि वितरित की गई। इस योजना को 02 अक्टूबर 2019 से ऑनलाईन कर दिया गया है।

**(06) अंतिम संस्कार हेतु सहायता योजना :-**

1 अप्रैल, 2003 से अंतिम संस्कार के लिये यह सहायता राशि श्रमिक (पुरुष/स्त्री) के मरणोपरांत श्रमिक की पत्नि अथवा उसके ज्येष्ठ पुत्र अथवा जो पुत्र अंतिम संस्कार करेंगे उसे दी जावेगी। पुत्र न होने की स्थिति में जो भी अंतिम संस्कार करेगा उसे यह राशि प्रदान की जा सकती है। आवेदक को नियोजक से यह सत्यापित कराना होगा कि मृत श्रमिक उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत था, इस प्रमाणीकरण के पश्चात् सहायता राशि जारी की जायेगी। आवेदन मृत्यु दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य होता है। मण्डल द्वारा दिनांक 31.05.2019 से रु. 6,000/- प्रति प्रकरण सहायता राशि प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक) में 40 हितग्राही को राशि रुपये 2,00,000/- अंतिम संस्कार हेतु सहायता राशि वितरित की गई।

**(07) कल्याणी सहायता योजना :-**

01 अप्रैल 2003 से श्रमिकों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा सहायता योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना उन श्रमिकों की विधवाओं को प्रदान की जा सकेगी जो मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत आने वाली किसी स्थापना/संस्थान में कम से कम एक वर्ष निरंतर कार्यरत रहे हों। पेशन हेतु आवेदिका को संस्थान के माध्यम से यह प्रमाणित करना होगा कि मृत श्रमिक विगत 1 वर्ष से निरंतर उनके संस्थान/स्थापना में कार्यरत रहा है। आवेदिका मृत श्रमिक की पत्नी है तथा उसे अन्य किसी जगह से पेशन प्राप्त नहीं हो रही है अथवा प्राप्त करने की पात्रता नहीं है, तो उसे मण्डल द्वारा योजना का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। आवेदिका का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवेदन मृत्यु दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगा।

मण्डल द्वारा दिनांक 05.10.2018 से रु. 12,000/- वार्षिक (छ:माही अर्थात् प्रत्येक जून एवं दिसम्बर में रु 6000-6000) प्रति प्रकरण देने की वृद्धि की गई।

वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक) में 02 हितग्राहियों को राशि रु. 12,000/- वितरित की गई।

**(08) अनुग्रह सहायता योजना :-**

मण्डल द्वारा पूर्व में संचालित चिकित्सा क्षतिपूर्ति सहायता योजना, शारीरिक असमर्थता पर सहायता योजना, बिटिया शिक्षा योजना के स्थान पर दिनांक 05.10.2018 से अनुग्रह सहायता योजना का प्रारंभ किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर श्रमिक के संस्थान से कार्यरत होने तथा पात्रता के सम्बन्ध में सत्यापन क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं प्रकरण में अनुग्रह राशि क्यों दी जानी है इसके कारणों सहित अनुशंसा के साथ प्रस्ताव मुख्यालय में भेजा जायेगा, जिसमें (मान. अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन कोटे से) चिकित्सा क्षतिपूर्ति सहायता, शारीरिक असमर्थता पर सहायता, बिटिया शिक्षा सहायता एवं अन्य ऐसे प्रकरण जिनमें किसी श्रमिक को सहायता अत्यंत आवश्यक है, उनमें मान. अध्यक्ष महोदय कल्याण आयुक्त के प्रस्ताव पर अनुग्रह सहायता राशि रु. 5,000/- से रु. 25,000/- तक प्रदान की जा सकेगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक) में 02 हितग्राहियों को राशि रु. 50,000/- वितरित की गई।

**(09) उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना :-**

मंडल द्वारा प्रदेश के उत्कृष्ट श्रमिकों के सम्मान हेतु उत्तम श्रमिक योजना का प्रारंभ वर्ष 1994-95 में किया गया। यह पुरस्कार प्रदेश के उन श्रमिकों को दिया जाता है जिन्होंने संस्थान में उत्पादन वृद्धि, कार्यकुशलता, अनुशासन एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। इन्हें पुरस्कृत करने से जहां इनकी पहचान स्थापित होती है, वहीं सहयोगी श्रमिकों को भी इस प्रकार के कार्य करने हेतु प्रेरणा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिक को मंडल द्वारा सम्मान पत्र, शील्ड एवं राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में 15 चयनित श्रमिकों को पुरस्कृत किया जाता है।

मण्डल द्वारा दिनांक 05.10.2018 के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत चयनित श्रमिक को रु. 15,000/— नगद एवं सम्मान पत्र तथा शील्ड प्रदान किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र मण्डल को प्राप्त हो चुके हैं। अतः चयन समिति का गठन किया जाकर योजना के अन्तर्गत उत्तम श्रमिकों का चयन किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019 तक) में हितग्राहियों को राशि वितरण निरंक है।

#### (10) श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना :-

मंडल द्वारा श्रमिकों की साहित्यिक अभिरूचि एवं प्रतिभा को विकसित तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994–95 से यह योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत कविता, कहानी, निबंध तथा प्रेरक प्रसंग विधा के अंतर्गत कुल 12 श्रमिकों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक विधा में तीन श्रमिकों को श्रमिक साहित्य रत्न, श्रमिक साहित्य विशारद तथा श्रमिक साहित्य प्रवीण से सम्मानित किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत चयनित श्रमिकों को मण्डल द्वारा रु. 5,000/— नगद एवं सम्मान पत्र तथा शील्ड प्रदान किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र मण्डल को प्राप्त हो चुके हैं। अतः चयन समिति का गठन किया जाकर योजना के अन्तर्गत उत्तम श्रमिकों का चयन किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019 तक) में हितग्राहियों को राशि वितरण निरंक है।

मंडल द्वारा उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं के अलावा संचालित कल्याणकारी गतिविधियां:-

#### (01) श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केंद्र

मंडल द्वारा प्रदेश में 30 श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है, जो इस प्रकार हैं:- इंदौर, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, पीथमपुर (धार), उज्जैन, नागदा, देवास, गोले का मंदिर-ग्वालियर, हजीरा-ग्वालियर, बानमौर (मुरैना), मालनपुर (भिण्ड) सागर, नरसिंहगढ़ (दमोह), खजुराहो, भोपाल, मण्डीदीप, सीहोर, पिपरिया (होशंगाबाद), जबलपुर, बालाघाट, बोरगाँव (छिन्दवाडा) कटनी, अमलाई, बिरसिंहपुर-पाली, चचाई, रीवा, सतना, सिंगरौली एवं सीधी।

इन कल्याण केंद्रों में वाचनालय, पुस्तकालय, इंडोर तथा आउटडोर गेम्स की व्यवस्था की गई है जिनका लाभ श्रमिक एवं उनके परिवारजन नियमित रूप से लेते हैं। उक्त केन्द्रों पर रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्वों पर विविध आयोजन किये जाते हैं। समय-समय पर वृक्षारोपण, श्रमिक परिवार की महिलाओं व बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण व सांस्कृतिक कार्यक्रम, भ्रमण एवं पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सीहोर, भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर तथा रीवा में मंडल की स्वतः की भूमि पर केंद्र स्थापित हैं, शेष स्थानों पर किराये के भवन में केंद्र संचालित हैं।

उपरोक्त 30 श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्रों में से 20 केन्द्रों में सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण संचालित किये जाते हैं, जिनमें श्रमिक परिवारों की महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए निःशुल्क सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

### (02) मासिक "श्रम कल्याण" का प्रकाशन

मंडल द्वारा प्रदेश के श्रमिकों, नियोजकों एवं श्रमिक संगठनों को समय-समय पर मंडल की कल्याणकारी गतिविधियों/योजनाओं की जानकारी एवं अनपेड की सूची

प्रकाशित करने के उद्देश्य से मासिक श्रम कल्याण का प्रकाशन वर्ष 1991 से निरंतर किया जा रहा है। श्रम कल्याण मासिक में श्रम कानूनों एवं इनके अंतर्गत मान. न्यायालयों द्वारा दिए गए आदेशों को विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है इससे श्रमिकों में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजगता में वृद्धि होती है। यहाँ उल्लेखनीय है कि मासिक श्रम कल्याण ने प्रदेश के औद्योगिक एवं श्रमिक जगत में विशिष्ट पहचान स्थापित की है। वर्तमान में मासिक "श्रम कल्याण" की 4000 प्रतियों का प्रकाशन किया जाता है। मासिक श्रम कल्याण का आजीवन सदस्यता रूपये 2000 है एवं वार्षिक शुल्क श्रमिक एवं श्रमिक संघों हेतु रूपये 100 एवं नियोजकों हेतु रूपये 200 निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक) में "श्रम कल्याण" मासिक हेतु सदस्यता शुल्क राशि रु. 2,100/- प्राप्त हुई।

### (03) श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता :-

मंडल द्वारा श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन संभाग स्तर पर किया जाकर व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान तथा टीम खेलों के विजेता एवं उपविजेता को राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता हेतु अर्हता दी जाती है। मंडल द्वारा प्रथमतः संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, तत्पश्चात् राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर एवं 1500 मीटर दौड़, लम्बी कूद, ऊँची कूद, तवा फेंक, गोला फेंक एवं भाला फेंक प्रतियोगिताएं तथा टीम खेलों में कबड्डी एवं बालीवाल प्रतियोगितायें सम्मिलित की जाती हैं।

मण्डल द्वारा नवम्बर तथा दिसम्बर 2019 में इन्दौर संभाग, उज्जैन संभाग, जबलपुर संभाग, भोपाल संभाग/नर्मदापुरम् संभाग, सतना-रीवा संभाग/शहडोल संभाग तथा ग्वालियर संभाग/चम्बल संभाग की संभागीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिता सम्पन्न हो चुकी है। अतः अप्रैल 2020 में राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है।

मंडल श्रमिक हित में निरंतर सक्रिय है तथा योजनाओं का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन कर रहा है। मंडल द्वारा संचालित योजनाओं की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु भी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

विगत 02 अक्टूबर 2019 को महात्मा गान्धी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मण्डल के पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अब मण्डल की समस्त योजनाओं की जानकारी श्रमिक पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

## मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल

### कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित हितग्राहियों एवं वितरित राशि की जानकारी

वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक)

| क्रं. | योजना का नाम                                                  | वित्तीय वर्ष 2019-20<br>(1 अप्रैल 19 से 31 दिसम्बर 2019 तक) |                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                               | लाभान्वित हितग्राही संख्या                                  | प्रदत्त सहायता राशि (रूपये में) |
| 1     | 2                                                             | 3                                                           | 4                               |
| 1     | शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना / शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना | प्रक्रियाधीन                                                |                                 |
| 2     | सस्ती दरों पर कापियों का वितरण                                | 31103                                                       | 1,97,66,596 /—                  |
| 3     | विवाह सहायता योजना                                            | 809                                                         | 1,21,00,000 /—                  |
| 4     | अंतिम संस्कार सहायता योजना                                    | 40                                                          | 2,00,000 /—                     |
| 5     | कल्याणी सहायता योजना                                          | 02                                                          | 12,000 /—                       |
| 6     | उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना                                   | प्रक्रियाधीन                                                |                                 |
| 7     | श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना                                 | प्रक्रियाधीन                                                |                                 |
| 8     | अनुग्रह सहायता योजना                                          | 02                                                          | 50,000 /—                       |
|       | योग —                                                         | 31956                                                       | 3,21,28,596 /—                  |

### अभिदाय/असंदत्त संचित राशि प्राप्ति की जानकारी

वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक)

| क्रं. | विवरण              | वित्तीय वर्ष<br>2019-20<br>(1 अप्रैल 19 से 31 दिसम्बर 2019 तक) |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | अभिदाय             | रूपये-4,84,10,835 /—                                           |
| 2     | असंदत्त संचित राशि | रूपये-28,88,338.28 पैसे                                        |



#### 14.2 मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल

राज्य के मन्दसौर जिले में लगभग 124 स्लेट पेंसिल कारखाना पंजीकृत हैं, जिनमें सर्वेक्षण अनुसार लगभग 1200 श्रमिक कार्यरत हैं। मन्दसौर जिले में स्थापित स्लेट पेन उद्योग में कार्यरत एवं आश्रित कुटुम्ब के सदस्यों के लिये म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा 4 के तहत निधि के प्रशासन के लिये एक निगमित निकाय के रूप में राज्य भासन द्वारा मण्डल का गठन 3 वर्ष के लिये किया जाता है।

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-2020 माह दिसंबर तक कुल आय-व्यय की जानकारी-

| क्रमांक | वर्ष                          | कुल आय         | कुल व्यय       |
|---------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1       | 2014-15                       | 1,71,61,104.00 | 1,39,37,245.00 |
| 2       | 2015-16                       | 1,95,77,390.00 | 1,45,13,676.00 |
| 3       | 2016-17                       | 1,85,85,328.00 | 1,43,86,976.00 |
| 4       | 2017-18                       | 1,91,29,185.00 | 1,45,86,399.00 |
| 5       | 2018-19                       | 2,10,06,012.00 | 1,57,07,370.00 |
| 6       | 2019-2020<br>(दिसंबर 2019 तक) | 1,53,14,996.00 | 1,27,10,467.00 |

वर्ष 2018-19 में मण्डल का प्रशासकीय व्यय लगभग 41.98 प्रतिशत रहा।

#### कल्याणकारी योजनाएँ

मण्डल द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी निम्नलिखित है :-

##### 1. सिलिकोसिस उपचार सहायता

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्य के दौरान जिन श्रमिकों को सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है, ऐसे श्रमिकों को उपचार हेतु 1450/- प्रतिमाह दी जाती है।

##### 2. मृत्यु सहायता

सिलिकोसिस बीमारी के पश्चात् तथा कार्यरत श्रमिकों की मृत्यु होने पर श्रमिकों के आश्रितों को दाह संस्कार हेतु 2000/- एवं मृत्यु अनुदान के रूप में 13000/- की सहायता प्रदान की जाती है।

##### 3. विधवा सहायता

सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों की मृत्यु पश्चात् उनकी विधवाओं की 1000/- प्रतिमाह एवं निराश्रित बच्चों के भरण - पोषण हेतु 700/- प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाती है।



#### 4. परिवार नियोजन

स्लेट पेन्सिल कारखानों में कार्यरत महिला एवं पुरुष श्रमिकों को परिवार नियोजन ऑपरेशन करवाने पर प्रथम संतान पर रुपये 7000/— एवं द्वितीय संतान पर रु. 5000/— परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।

#### 5. विवाह अनुदान

दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रत्येक विवाह पर 7000/—का अनुदान भुगतान किया जाता है ।

#### 6. छात्रवृत्ति

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्यरत सिलिकोसिस से पीड़ित/मृत श्रमिकों के बच्चों को अध्ययन हेतु पहली से आठवी तक रुपये 850/—, कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक रुपये 1450/—, स्नातक/स्नातकोत्तर/इंजीनियरिंग को रुपये 2050/— वार्षिक प्रदान किये जाते हैं ।

#### 7. मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन योजना

स्लेट पेन्सिल श्रमिकों के मेधावी छात्र-छात्राओं को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है :-

- (अ) कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पर रुपये 1000/—
- (ब) कक्षा 12वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पर रुपये 1250/—
- (स) कक्षा स्नातक को 1500/—

#### 8. खेलकुद हेतु सामग्री

स्लेट पेन्सिल उद्योग में कार्यरत एवं उनके आश्रित बच्चों को उनकी रुचि अनुसार खेल सामग्री की मांग करने पर निःशुल्क प्रदाय की जाती है ।

#### 9. निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

प्रत्येक तीन माह में उद्योग में कार्यरत श्रमिकों का कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के चिकित्सक दल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा उनको लगने वाली दवाईयाँ निःशुल्क वितरित की जाती हैं ।

#### 10. निःशक्त भरण पोषण योजना—

स्लेट पेन्सिल उद्योग में लगे श्रमिक-श्रमिकाओं एवं उनकी विकलांग संतान को भरण पोषण हेतु 40 से 70 प्रति ात विकलांग होने पर रु. 750/— प्रतिमाह एवं 71 से 100 प्रति ात विकलांग होने पर रु. 1500/— प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है ।

#### मण्डल की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में मण्डल की आय का कुल बजट रु. 2,08,77,000/— रखा गया था, जिसके विरुद्ध रु. 2,10,06,012/— प्राप्त हुआ। बजट से 1,29,012/— अधिक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार व्यय का बजट रु. 1,84,84,000/— रखा गया था जिसके विरुद्ध रु. 1,57,07,370/— व्यय किया गया जो बजट का 84.97 प्रति ात ही व्यय किया गया। व्यय बजट की राशि से रु. 2776630/— कम व्यय किया गया।

2. वर्ष 2018-19 में मण्डल का प्रशासकीय व्यय लगभग 41.98 प्रतिशत रहा है।
3. स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं बेहतर रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं ऋण स्वयं सहायता समूह बनाकर दिए जाने संबंधी 3 वर्षीय परियोजना 08/12/2015 से प्रारंभ की गई। जिसमें अभी तक 79 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाकर 760 महिलाओं को वित्तीय स्थिरता की ओर उन्मुख किया गया तथा भारत सरकार की बीमा योजनाओं से सम्बद्ध किया गया। 79 स्वयं सहायता समूहों को रु. 1-1 लाख का ऋण वितरण बैंक के माध्यम से किया जा चुका है। स्लेट पेंसिल उद्योग में कार्यरत समूह की महिलाओं के द्वारा मजदूरी के साथ-साथ पशुपालन भी इस ऋण की राशि से किया जा रहा है एवं छः माह तक सफलतापूर्वक स्वयं सहायता समूह संचालन करने वाली महिलाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं ऋण की उपलब्धता करायी जावेगी।

### 14.3 मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 18 सहपठित मध्यप्रदेश नियमन 2002 के नियम 251 के अनुसार म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया। मण्डल का कार्यकाल तीन वर्ष होता है तथा कार्यकाल पूर्ण होने पर मण्डल का पुनर्गठन आगामी तीन वर्ष हेतु अधिसूचना दिनांक 03 जुलाई 2013 द्वारा किया गया है। म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 11-29/2013/1/9 दिनांक 23.12.2013 के द्वारा निगम, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों, परिषदों आदि में राज्य शासन द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालकों/सदस्यों के किए गए मनोनयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए तथा म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. एफ 11-29/2013/1/9 दिनांक 03.01.2014 द्वारा निगम मण्डल के अध्यक्ष का कार्यभार संबंधित विभाग के भारसाधक मान. मंत्री जी को सौंपा गया। वर्तमान में मण्डल के अध्यक्ष माननीय श्रम मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया हैं।

मण्डल द्वारा दिसम्बर 2019 तक कुल 12.81 लाख निर्माण श्रमिकों को तथा वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक) में कुल 61866 निर्माण श्रमिकों के आनलाईन पंजीयन जारी किए गए हैं। मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक) में कुल 1,31,820 हितग्राहियों को कुल राशि रुपये 237.22 करोड़ तथा राज्य में योजना प्रारंभ से अब तक कुल 43,94,077 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में रुपये 1369.15 करोड़ के हितलाभ वितरण किए गए। शेड निर्माण (143), रैन बसेरा (34) एवं श्रमोदय विद्यालय (04), आईटीआई भवन निर्माण एवं आरपीएल योजनांतर्गत राशि रुपये 333.31 करोड़ सम्मिलित करते हुए सभी योजनाओं में कुल राशि रुपये 1702.47 करोड़ व्यय की गई है। मंडल द्वारा प्रदेश में संचालित निर्माण कार्यों में वर्ष 2019-20 में दिसम्बर 2019 तक कुल राशि रुपये 234.84 करोड़ तथा प्रारंभ से अब तक राशि रुपये 2941.18 करोड़ उपकर संग्रहित किया गया है।

### निर्माण कर्मकारों का पंजीयन

मण्डल की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिये सर्वप्रथम निर्माण श्रमिक का मण्डल द्वारा नियुक्त पदाभिहित अधिकारी से पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। पंजीयन की पात्रता उन्हीं कर्मकारों को है, जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो तथा जिन्होंने पिछले 12 महीनों में न्यूनतम 90 दिन निर्माण कर्मकार के रूप में कार्य किया हो। पंजीयन हेतु निर्माण कर्मकारों को संबंधित पदाभिहित अधिकारी के समक्ष रुपये 05 पंजीयन शुल्क, रुपये 10 (पांच वर्ष हेतु) अभिदाय के रूप में तथा पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। इस आधार पर सक्षम अधिकारी आवेदन की जांच कर श्रमिक का पंजीयन करेगा और उसे फोटोयुक्त ऑनलाईन परिचय-पत्र जारी करेगा।

प्रदेश में निर्माण श्रमिक पंजीयन का कार्य मंडल के विभागीय श्रम सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन किया जा रहा है। 31 दिसम्बर 2019 तक कुल-12,81,096 ऑनलाईन पंजीयन जारी किये गए हैं।

### मण्डल द्वारा हिताधिकारियों को देय प्रसुविधायें

मण्डल द्वारा शासन के अनुमोदन से निम्न कल्याणकारी योजनायें निर्माण श्रमिकों को प्रसुविधायें प्रदान करने के लिये म.प्र. राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर प्रभावशील कर दी गई है :-

| क्र. | अधिसूचना का नाम                                                                                                          | दिनांक                           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1    | मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना                                                             | 03.12.2004                       |
| 2    | प्रसूति सहायता योजना                                                                                                     | 13.12.2004                       |
| 3    | शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना (13 जुलाई 2018 से मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन राशि योजना के अनुरूप प्रवर्तित की गई।) | 13.12.2004                       |
| 4    | चिकित्सा सहायता/दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना                                                             | 30.09.2005/03.12.2004/01.08.2014 |
| 5    | हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता                                                      | 30.09.2005                       |
| 6    | निर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना                                                                                      | 12.10.2012/18.01.2013            |
| 7    | मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना                                                          | 27.09.2013                       |
| 8    | मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना                                                            | 27.09.2013/13.07.2018            |
| 9    | भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना                                                                               | 27.09.2013                       |
| 10   | सुपर 5000 (कक्षा-10) योजना                                                                                               | 16.08.2013                       |
| 11   | सुपर 5000 (कक्षा-12) योजना                                                                                               | 16.08.2013                       |

|    |                                                                                                              |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12 | राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना                             | 16.08.2013 |
| 13 | निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना | 05.12.2014 |
| 14 | खिलाडी प्रोत्साहन योजना                                                                                      | 05.12.2014 |
| 15 | उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना (13 जुलाई 2018 मुख्यमंत्री जनकल्याण के अनुरूप प्रवर्तित की गई।)        | 05.12.2014 |
| 16 | निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना                                                                        | 15.02.2019 |
| 17 | निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना                                                                               | 11.08.2014 |
| 18 | साईकल अनुदान योजना                                                                                           | 13.03.2015 |
| 19 | विदेश अध्ययन हेतु निशुल्क शिक्षा योजना 2019                                                                  | 29.11.2019 |

इन योजनाओं में समय-समय पर मण्डल द्वारा शासन के अनुमोदन से संशोधन किये गये हैं। उक्त योजनाओं में से निम्न 09 योजनायें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। जिससे निर्माण श्रमिकों को निर्धारित समय-सीमा में योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

1. मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना,
2. प्रसूति सहायता योजना,
3. हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता
4. निर्माण श्रमिक पंजीयन
5. राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना,
6. निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना,
7. खिलाडी प्रोत्साहन योजना,
8. उन्नत व्यवसाय हेतु उपकरण अनुदान योजना
9. साईकल अनुदान योजना

#### श्रमोदय आवासीय विद्यालय:-

निर्माण श्रमिकों की संतानों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान किये जाने एवं उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रदेश के 04 बड़े नगरों भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में श्रमोदय आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, जो कि वर्तमान में संचालित हैं।

निर्माण श्रमिकों की संतानों को निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क पठन-पाठन सामग्री, गणवेश, भोजन, खेलकूद आदि की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

### श्रमोदय आवासीय विद्यालयों के निर्माण की स्थिति एवं लागत:-

| क्र. | विद्यालय का नाम | निर्माण ऐजेंसी           | निर्माण लागत (करोड़ में) | निर्माण की स्थिति |
|------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.   | भोपाल           | एम.पी. आर.डी.सी.         | 61.59                    | पूर्ण             |
| 2.   | इंदौर           | पी.आई.यू. (पी.डब्लू.डी.) | 49.96                    | पूर्णता की ओर     |
| 3.   | ग्वालियर        | पी.आई.यू. (पी.डब्लू.डी.) | 47.35                    | पूर्णता की ओर     |
| 4.   | जबलपुर          | पी.आई.यू. (पी.डब्लू.डी.) | 49.84                    | निर्माणाधीन है    |

इसके अतिरिक्त 01 निर्माण श्रमिक आई.टी.आई. भोपाल में पी.आई.यू.(पी.डब्लू.डी.) द्वारा निर्मित कराया जा रहा है। जिसकी निर्माण लागत 15.04 करोड़ है।

### श्रमोदय आवासीय विद्यालय में छात्र/छात्राओं का विवरण

शैक्षणिक सत्र 2018-19 एवं शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 11वीं में प्रवेश परीक्षा आयोजित करवायी जाकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया गया एवं वर्तमान में विद्यालय में कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 11वीं, एवं 12वीं में लगभग 3160 छात्र-छात्राये अध्ययनरत हैं।

### नवीन श्रमोदय आवासीय विद्यालय :-

मान. मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन अनुसार प्रदेश में 06 नवीन श्रमोदय आवासीय विद्यालय गुना, छिंदवाड़ा, रीवा, शहडोल, छतरपुर एवं रतलाम में स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिलेवार प्रस्तावित नवीन श्रमोदय विद्यालयों के निर्माण हेतु शासन द्वारा चयनित निर्माण ऐजेंसियों संबंधी विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र | जिले का नाम जहां विद्यालय स्थापित किया जाना है | निर्माण ऐजेंसी                         | निर्माणलागत (लाख में) |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 1   | गुना                                           | एम.पी.हाउसिंग बोर्ड, भोपाल             | 5403.81128            |
| 2   | छिंदवाड़ा                                      | एम.पी.हाउसिंग बोर्ड, भोपाल             | 5403.81128            |
| 3   | छतरपुर                                         | एम.पी.हाउसिंग बोर्ड, भोपाल             | 5403.81128            |
| 4   | शहडोल                                          | परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (PWD) भोपाल | 5275.76               |
| 5   | रीवा                                           | परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (PWD) भोपाल | 5275.76               |
| 6   | रतलाम                                          | परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (PWD) भोपाल | 5275.76               |

ऊपर उल्लेखित हितग्राहीमूलक प्रसुविधायें देने के अतिरिक्त, मण्डल निर्माण कर्मकारों के संपूर्ण वर्ग के हित में सर्वेक्षण और अध्ययन, जागरूकता/प्रचार-प्रसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़े कार्यक्रम तथा खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अध्ययन दौरे आदि गतिविधियां भी संचालित कर सकेगा।

दिनांक 31.12.2019 की स्थिति में मण्डल की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदाय किये गये हितलाभ

| क्र. | योजना का नाम                                                                                                 | हितग्राही संख्या | हितलाभ की राशि (करोड में) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1    | प्रसूति सहायता योजना                                                                                         | 3,08,420         | 192.42                    |
| 2    | विवाह सहायता योजना                                                                                           | 1,80,941         | 433.18                    |
| 3    | शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना                                                                            | 33,05,748        | 318.40                    |
| 4    | मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार योजना                                                                      | 5,14,254         | 101.58                    |
| 5    | चिकित्सा सहायता योजना/दुर्घना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना                                            | 10,373           | 34.52                     |
| 6    | मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना                                                 | 44,898           | 262.32                    |
| 7    | सुपर 5000 (कक्षा-10) योजना                                                                                   | 227              | 0.56                      |
| 8    | सुपर 5000 (कक्षा-12) योजना                                                                                   | 443              | 1.19                      |
| 9    | मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना                                              | 13               | 0.065                     |
| 10   | मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (नगरीय) योजना                                                | 153              | 1.53                      |
| 11   | राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरस्कार योजना                             | 47               | 0.03                      |
| 12   | सायकल अनुदान योजना 2014                                                                                      | 14,951           | 5.47                      |
| 13   | दो पहिया वाहन क्रय हेतु अनुदान योजना                                                                         | 175              | 0.16                      |
| 14   | व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु अध्ययन अनुदान योजना                                                                | 168              | 0.17                      |
| 15   | औजार उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना                                                                           | 2,237            | 0.98                      |
| 16   | निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना | 133              | 3.13                      |
| 17   | स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये शौचालय निर्माण हेतु अनुदान योजना              | 7,081            | 7.67                      |

|    |                                                                                    |        |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 18 | खिलाडी प्रोत्साहन योजना 2014                                                       | 80     | 0.20  |
| 19 | व्यावसायिक (यूजी/पीजी) पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग हेतु अनुदान योजना | 3,735  | 5.50  |
| 20 | भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना                                         | —      | —     |
| 21 | कौशल प्रशिक्षण योजना                                                               | 45,750 | 43.16 |

इसके अतिरिक्त निर्माण श्रमिकों हेतु शेड निर्माण, रैन बसेरा एवं श्रमोदय विद्यालयों का निर्माण भी किया जा रहा है।

| क्र. | योजना का नाम                                 | संख्या | व्यय राशि (करोड़ में) |
|------|----------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 22   | पं.दीनदयाल उपाध्याय निर्माण श्रमिक शेड योजना | 143    | 2.19                  |
| 23   | निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना               | 34     | 3.02                  |
| 24   | श्रमोदय विद्यालय निर्माण                     | 4      | 201.96                |
|      | श्रमोदय विद्यालय संचालन                      |        | 64.92                 |
| 25   | आई.टी.आई., भवन निर्माण, भोपाल                | 1      | 15.04                 |

दिनांक 01.04.2018 से समस्त हितग्राही मूलक योजनांतर्गत श्रम सेवा पोर्टल के द्वारा ईपीओ पद्धति से ऑनलाईन भुगतान की प्रक्रिया निरंतरित है।

#### उपकर

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 एवं उपकर नियम 1998 के अंतर्गत मण्डल को दिसम्बर 2019 तक रुपये 2941.18 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

#### 14.4 म.प्र. शहरी/ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल

असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं उनके कल्याण को सुनिश्चित कराये जाने को ध्यान में रखकर म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल भोपाल का गठन वर्ष 2008 में हुआ। राज्य शासन द्वारा दिनांक 25.01.2016 को मण्डल के प्रथम अध्यक्ष की नियुक्ति की गई तथा मण्डल के सचिव कार्यभार उप श्रमायुक्त भोपाल को अतिरिक्त रूप से दिया गया है। वर्तमान में माननीय श्रममंत्री मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष हैं।

01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के अन्तर्गत अन्त्येष्टि सहायता के 40126 प्रकरणों में राशि रुपये 20.06 करोड़ अनुग्रह

सहायता (सामान्य मृत्यु) के 29559 प्रकरणों में राशि रुपये 591.18 करोड़ अनुग्रह सहायता (दुर्घटना मृत्यु) के 3905 प्रकरणों में राशि रुपये 156.20 करोड़ अनुग्रह सहायता (स्थायी अपंगता) के 37 प्रकरणों में राशि रुपये 74 लाख अनुग्रह सहायता (आंशिक स्थायी अपंगता) के 78 प्रकरणों में राशि रुपये 78 लाख की सहायता दी गई है।

राज्य में पूर्व में सबल योजना के अंतर्गत 2.03 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत किया गया था। अपात्र व्यक्तियों के पंजीयन के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के संबंध में भौतिक सत्यापन किये जाने का निर्णय लिया गया। सत्यापन उपरांत 77.89 लाख श्रमिक अपात्र पाये गये। शासन ने अपात्र श्रमिकों को योजना से विलोपित कर सूची से हटाने का निर्णय दिनांक 2 जनवरी 2020 को लिया गया।

वर्ष 2019 में श्रम विभागीय योजनाओं के अंतर्गत 84745 हितग्राहियों को रुपये 695.60 करोड़ के हितलाभ वितरित किये गये। योजना में अबतक कुल 1,24,283 हितग्राहियों को योजनाओं में रुपये 1313.26 करोड़ की राशि हितलाभ के रूप में वितरित की गई है।

योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में 359.27 करोड़ रुपये व्यय हुये हैं। शेष हितलाभ वितरण हेतु रुपये 154.01 करोड़ की राशि दिनांक 2 जनवरी 2020 को प्राप्त हुई है।

असंगठित श्रमिकों के लिये संचालित योजनाओं हेतु बजटीय प्रावधान श्रम विभाग को किया जा रहा है।

\*\*\*



## अध्याय—15

### महिला श्रमिक

1. संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा जोड़े गये अनुच्छेद 51—क से स्पष्ट है कि महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना, उनके सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया है।
2. महिलाये समाज का अभिन्न अंग है। महिलाओं के हितों, कल्याण एवं अधिकारों के संरक्षण के लिये संविधान एवं अनेक अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं, लेकिन वे सभी बिखरे होने से उनका अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। श्रम विभाग द्वारा महिलाओं को सामाजिक स्तर प्रदान करने के लिये प्रमुख कानूनों का क्रियान्वयन किया जाता है। विभिन्न श्रम अधिनियमों में अनेक सार्थक प्रावधान किये गये हैं। इसी के अन्तर्गत (1) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (2) मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (3) कारखाना अधिनियम, 1948 में भी विशेष प्रावधान किये गये हैं।

#### 15.1 महिलाओं की संख्या और कार्यशील महिलाएं

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 48.21 प्रतिशत था। महिला श्रमिक मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त महिला श्रमिक, बीड़ी व अगरबत्ती निर्माण एवं भवन संनिर्माण में अधिकतम रूप से कार्यरत हैं। निम्न तालिकाओं द्वारा प्रदेश में महिलाओं की संख्या उनमें शिक्षित, ग्रामीण, नगरीय एवं कार्यशील महिलाओं की जानकारी में दर्शाई गई है।

##### तालिका 15.1

##### जनगणना 2011

|          | पुरुष       | महिला       | कुल         |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| जनसंख्या | 3,76,12,306 | 3,50,14,503 | 7,26,26,809 |
| ग्रामीण  | 2,71,49,388 | 2,54,08,016 | 5,25,57,404 |
| नगरीय    | 1,04,62,918 | 96,06,487   | 2,00,69,405 |

##### शिक्षित जनसंख्या

|         | पुरुष       | महिला       | कुल         |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| शिक्षित | 2,51,74,328 | 1,76,76,841 | 4,28,51,169 |
| ग्रामीण | 1,70,54,982 | 1,12,27,004 | 2,82,81,986 |
| नगरीय   | 81,19,346   | 64,49,837   | 1,45,69,183 |

##### वृद्धि दर तथा लिंग अनुपात

|                                              | ग्रामीण | नगरीय  | कुल   |
|----------------------------------------------|---------|--------|-------|
| दस वर्षीय जनसंख्या (2001-11) वृद्धि दर       | -15.25  | 119.29 | 20.25 |
| लिंग अनुपात (प्रति, 1000 पुरुषों पर महिलाएं) | 936     | 918    | 931   |

**तालिका 15.1.2**  
**मुख्य कार्यशील जनसंख्या —2011**

| कुल<br>ग्रामीण<br>एवं<br>शहरी | व्यक्ति<br><u>महिला</u><br><u>पुरुष</u> | कुल<br>मुख्य कार्यशील<br>जनसंख्या | कृषक      | कृषि श्रमिक | पारिवारिक<br>उद्योगों में<br>कार्यरत | अन्य<br>कार्यशील<br>जनसंख्या |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------|------------------------------|
| कुल                           | व्यक्ति                                 | 3,15,74,133                       | 82,14,993 | 66,30,821   | 6,47,565                             | 72,08,740                    |
|                               | पुरुष                                   | 2,01,46,970                       | 60,38,749 | 40,27,711   | 3,96,320                             | 58,99,285                    |
|                               | <u>महिला</u>                            | 1,14,27,163                       | 21,76,244 | 26,03,110   | 2,51,245                             | 13,09,455                    |
| ग्रामीण                       | व्यक्ति                                 | 2,47,15,198                       | 78,85,302 | 63,03,841   | 3,48,081                             | 21,92,334                    |
|                               | पुरुष                                   | 1,47,41,977                       | 57,65,124 | 38,07,102   | 1,98,997                             | 17,16,960                    |
|                               | <u>महिला</u>                            | 99,73,221                         | 21,20,178 | 24,96,739   | 1,49,084                             | 4,75,374                     |
| शहरी                          | व्यक्ति                                 | 68,58,935                         | 3,29,691  | 3,26,980    | 2,99,484                             | 50,16,406                    |
|                               | पुरुष                                   | 54,04,993                         | 2,73,625  | 2,20,609    | 1,97,323                             | 41,82,325                    |
|                               | <u>महिला</u>                            | 14,53,942                         | 56,066    | 1,06,371    | 1,02,161                             | 8,34,081                     |

**15.2 महिलाओं के लिये विशेष श्रम अधिनियमों का राज्य में कियान्वयन :-**

महिला श्रमिकों को सभी श्रम कानूनों में पुरुष श्रमिकों की भांति ही संरक्षण दिया गया है, किंतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुये समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, तथा मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961, विशेष रूप से प्रभावशील किये गये हैं।

समान पारिश्रमिक अधिनियम और मातृत्व हितलाभ अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है :-

**(अ) समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 (प्रमुख प्रावधान):-**

1. समान कार्य के लिये लिंग भेद के आधार पर महिला कर्मियों को पुरुषों से कम मजदूरी का भुगतान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात् महिलाओं को भी पुरुष श्रमिकों के समान ही समान प्रकृति के कार्य के लिये समान मजदूरी का भुगतान का प्रावधान उक्त अधिनियम के अंतर्गत किया गया है।
2. रोजगार में भर्ती करने के लिये लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। भर्ती में नियोजकों को पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को भी अवसर देना आवश्यक है।
3. महिलाओं को नियोजन में बराबरी के अवसर दिये जाने के साथ ही उनके लिये प्रशिक्षण एवं स्थानांतर के संबंध में भी लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।
4. महिलाओं के लिये रोजगार में वृद्धि करने के उपाय खोजने हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन प्रदेश शासन द्वारा किया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों में जांच कर शासन को यह परामर्श दे सकती है, कि किन-किन क्षेत्रों में महिलाओं के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं।

**(ब) मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 एवं संशोधन अधिनियम, 2017 :-**

यह अधिनियम कामकाजी महिलाओं के लिए पारित किया गया एक सामाजिक विधान है।

अधिनियम सभी ऐसे संस्थानों में प्रभावशील है जहां दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्ष में 80 दिवस कार्य करने वाली महिला कर्मचारी को मातृत्व हितलाभ की पात्रता आती है।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम में हाल ही में निम्नानुसार संशोधन किये जाकर सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

1. प्रसूति अवकाश की सीमा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है।
2. 50 से अधिक कर्मचारी नियोजन करने वाले संस्थानों में झूलाघर की सुविधा।
3. दत्तक पुत्र/पुत्री को ग्रहण करने संबंधी सरोगेसी मदर्स को 12 सप्ताह के अवकाश की सुविधा।
4. नियोक्ता की सहमति से घर से कार्य करने की सुविधा।

**अन्य प्रावधान**

1. किसी महिला श्रमिक को उसे नियोजन में रहते हुये उसके प्रसूतिकाल में उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे सेवा से पृथक नहीं किया जा सकता।
2. किसी भी महिलाकर्मि को जो गर्भवती है। नियोजक कठिन कार्य जैसे लम्बी अवधि तक खड़े रहना, जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर हो, नहीं करवाया जा सकता है।
3. नियोजक द्वारा महिलाकर्मि को प्रसव पूर्व या पश्चात देखरेख का कोई उपबंध निशुल्क न किया गया हो तो, चिकित्सा बोनस दिया जावेगा।

महिला कर्मि को मातृत्व लाभ देने का दायित्व नियोजक का होता है। यदि वह उक्त हितलाभ नहीं देता है तो नियोजक को दंडित किये जाने के प्रावधान है।

इसके परिपालन हेतु श्रम विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है।

**तालिका 15.2**  
**श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन की स्थिति**

| अधिनियम                       | विवरण    | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20<br>(दिस. 2019 तक) |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------------------------|
| समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 | निरीक्षण | 316     | 412     | 1064                      |
|                               | अभियोजन  | 29      | 35      | 115                       |
| मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961  | निरीक्षण | 112     | 70      | 92                        |
|                               | अभियोजन  | 06      | 18      | 04                        |

(स) अन्य श्रम कानूनों में भी उद्योगों में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों के हित में निम्नानुसार विशेष प्रावधान किये गये हैं:-

1. म.प्र.दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी स्थापनाओं में (अधिसूचना दि. 20 मई 2013) तथा कारखाना अधिनियम 1948 में (अधिसूचना दि. 24 जून 2016) द्वारा नियमों के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा संबंधी समुचित शर्तें व प्रावधान सुनिश्चित करने पर महिलाओं को जिनसे रात 8 बजे से प्राप्त 6 बजे के बीच कार्य करने की अनुमति दी गई है।
2. कारखाना अधिनियम, 1948 :- अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा कार्य की दशाओं को सुनिश्चित करने पर ही रात्रि पाली में कार्य हेतु छूट दी गई है। अधिनियम में महिला कर्मचारी की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी विशिष्ट प्रावधानों का परिपालन कराया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निराकरण करने हेतु समिति का गठन श्रमायुक्त कार्यालय में दिनांक 2.1.2001 को किया गया है। जिसमें अध्यक्ष, सचिव, तथा एक सदस्य को मनोनीत किया गया है। अभी तक इस समिति के समक्ष कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

### 15.3 यौन उत्पीड़न के लिये विशेष सुरक्षा :-

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा निर्णय के अनुपालन में मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञायें) अधिनियम, 1961, के अंतर्गत 'कदाचरण' को परिभाषित करते हुए कदाचरण करने वाले श्रमिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई को विनियमित करने संबंधी प्रावधान भी हैं। कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में राज्य शासन ने अधिसूचना दिनांक 19.12.02 द्वारा, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963, में संशोधन कर "यौन उत्पीड़न" को भी "गंभीर कदाचरण" की श्रेणी में शामिल किया है। "यौन उत्पीड़न" को 'अवांछनीय यौन संबंधी व्यवहार' (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के रूप में परिभाषित किया गया है, यथा :-

- (क) शारीरिक संपर्क तथा निकटता,
- (ख) यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अनुरोध
- (ग) कामासक्त फ्लिर्टियाँ,
- (घ) अश्लील साहित्य दिखाना, तथा
- (ङ) यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण।

इस अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण के अधिकार सहायक श्रम पदाधिकारी तथा उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को ही दिये गये हैं।

\*\*\*

भारत के संविधान के भाग 3 ("मूल अधिकार") और भाग 4 ("राज्य की नीति के निदेशक तत्व") के "श्रम" संबंधी प्रावधान

## मूल अधिकार

### स्वातंत्र्य-अधिकार

अनुच्छेद 19: वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण:

- (1) सभी नागरिकों को
- (ग) संगम या संघ बनाने का,  
अधिकार होगा।

### शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध :

- (1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध :

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

### राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व :

राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :

- (क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो,
- (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिये समान वेतन हो,

- (ड) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों,
- (च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 41: कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार:

राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध :

राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 43: कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि :

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योगों के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन-स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 43-क: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना :

राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा।

\*\*\*

## महत्वपूर्ण श्रम कानूनों के कार्यान्वयन का दायित्व

| क.  | श्रम कानून का नाम                                                                              | कार्यान्वयन का दायित्व     |                           |                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                                | पूर्णतः<br>केंद्र<br>सरकार | पूर्णतः<br>राज्य<br>सरकार | दोनों<br>सरकारों का<br>आंशिक |
| 1   | 2                                                                                              | 3                          | 4                         | 5                            |
| 1.  | औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947                                                                   | .                          | .                         | √                            |
| 2.  | मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960                                                        | .                          | √                         | .                            |
| 3.  | व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926                                                                      | .                          | √                         | .                            |
| 4.  | औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946                                                    | √                          | .                         | .                            |
| 5.  | मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961                                      | .                          | √                         | .                            |
| 6.  | मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936                                                                    | .                          | .                         | √                            |
| 7.  | न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948                                                                   | .                          | .                         | √                            |
| 8.  | बोनस भुगतान अधिनियम, 1965                                                                      | .                          | .                         | √                            |
| 9.  | कारखाना अधिनियम, 1948                                                                          | .                          | √                         | .                            |
| 10. | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986                                                               | .                          | .                         | √                            |
| 11. | खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983                                                            | .                          | √                         | .                            |
| 12. | मध्यप्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958                                                     | .                          | √                         | .                            |
| 13. | बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966                                       | .                          | √                         | .                            |
| 14. | ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970                                                   | .                          | .                         | √                            |
| 15. | मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961                                                              | .                          | √                         | .                            |
| 16. | भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्तें ) अधिनियम, 1996                 | .                          | .                         | √                            |
| 17. | भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996                                      | .                          | √                         | —                            |
| 18. | अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1979                 | .                          | .                         | √                            |
| 19. | विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976                                            | .                          | .                         | √                            |
| 20. | श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 | .                          | .                         | √                            |
| 21. | सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981                           | √                          | .                         | .                            |
| 22. | मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961                                                                   | .                          | .                         | √                            |
| 23. | समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976                                                                  | .                          | .                         | √                            |
| 24. | बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976                                                      | .                          | √                         | .                            |
| 25. | बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन ) अधिनियम, 1986                                        | .                          | .                         | √                            |
| 26. | बाल (श्रम-गिरवीकरण) अधिनियम, 1933                                                              | .                          | √                         | .                            |
| 27. | कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923                                                              | .                          | .                         | √                            |
| 28. | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948                                                              | .                          | .                         | √                            |
| 29. | कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952                                           | √                          | .                         | .                            |
| 30. | उपादान भुगतान अधिनियम, 1972                                                                    | .                          | .                         | √                            |
| 31. | बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1976                                                             | √                          | .                         | .                            |
| 32. | लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976                 | √                          | .                         | .                            |
| 33. | चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972                                  | √                          | .                         | .                            |
| 34. | मध्य प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982                                                     | .                          | √                         | .                            |
| 35. | मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982                                     | .                          | √                         | .                            |
| 36. | श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988               | .                          | .                         | √                            |
| 37. | मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003                                                | .                          | √                         | —                            |

\*\*\*

## प्रदेश में कार्यरत श्रम कार्यालय

| संभाग              | जिला          | जिले में स्थित श्रम कार्यालय का नाम                   |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 1-इंदौर संभाग      | 1 इन्दौर      | सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, इंदौर संभाग                |
|                    | 2 धार         | 1-श्रम पदाधिकारी, धार                                 |
|                    |               | 2-श्रम पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर            |
|                    | 3 झाबुआ       | श्रम पदाधिकारी, झाबुआ                                 |
|                    | 4 अलीराजपुर   | श्रम पदाधिकारी, अलीराजपुर                             |
|                    | 5 बुरहानपुर   | श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर                             |
|                    | 6 खण्डवा      | श्रम पदाधिकारी, खण्डवा                                |
|                    | 7 खरगोन       | श्रम पदाधिकारी, खरगोन                                 |
| 2-उज्जैन संभाग     | 8 बड़वानी     | श्रम पदाधिकारी, बड़वानी                               |
|                    | 9 उज्जैन      | सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, उज्जैन संभाग               |
|                    | 10 देवास      | श्रम पदाधिकारी, देवास                                 |
|                    | 11 शाजापुर    | श्रम पदाधिकारी, शाजापुर                               |
|                    | 12 आगर-मालवा  | श्रम पदाधिकारी, आगर-मालवा                             |
|                    | 13 मन्दसौर    | श्रम पदाधिकारी, मन्दसौर                               |
|                    | 14 नीमच       | श्रम पदाधिकारी, नीमच                                  |
| 3-ग्वालियर संभाग   | 15 रतलाम      | श्रम पदाधिकारी, रतलाम                                 |
|                    | 16 ग्वालियर   | सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, ग्वालियर संभाग             |
|                    | 17 शिवपुरी    | श्रम पदाधिकारी, शिवपुरी                               |
|                    | 18 गुना       | श्रम पदाधिकारी, गुना                                  |
|                    | 19 अशोकनगर    | श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर                               |
|                    | 20 दतिया      | श्रम पदाधिकारी, दतिया                                 |
| 4-चंबल संभाग       | 21 मुरैना     | सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, चंबल संभाग, मुरैना         |
|                    | 22 श्योपुरकला | श्रम पदाधिकारी, श्योपुरकला                            |
|                    | 23 भिण्ड      | 1- श्रम पदाधिकारी, भिण्ड                              |
|                    |               | 2- श्रम पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर           |
| 5-भोपाल संभाग      | 24 भोपाल      | सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, भोपाल संभाग                |
|                    | 25 सीहोर      | श्रम पदाधिकारी, सीहोर                                 |
|                    | 26 रायसेन     | श्रम पदाधिकारी, मंडीदीप जिला रायसेन                   |
|                    | 27 राजगढ़     | श्रम पदाधिकारी, राजगढ़                                |
|                    | 28 विदिशा     | श्रम पदाधिकारी, विदिशा                                |
| 6-नर्मदापुरम संभाग | 29 होशंगाबाद  | सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद |
|                    | 30 बैतुल      | श्रम पदाधिकारी, बैतुल                                 |
|                    | 31 हरदा       | श्रम पदाधिकारी, हरदा                                  |
| 7-सागर संभाग       | 32 सागर       | सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, सागर संभाग                 |
|                    | 33 टीकमगढ़    | श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़                               |
|                    | 34 निवाडी     | नवगठित जिले का प्रभार श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़ को।     |
|                    | 35 दमोह       | श्रम पदाधिकारी, दमोह                                  |
|                    | 36 छतरपुर     | श्रम पदाधिकारी, छतरपुर                                |
|                    | 37 पन्ना      | श्रम पदाधिकारी, पन्ना                                 |



| संभाग          | जिला         | जिले में स्थित श्रम कार्यालय का नाम         |
|----------------|--------------|---------------------------------------------|
| 8—जबलपुर संभाग | 38 जबलपुर    | सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, जबलपुर संभाग     |
|                | 39 नरसिंहपुर | श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर                   |
|                | 40 कटनी      | श्रम पदाधिकारी, कटनी                        |
|                | 41 बालाघाट   | श्रम पदाधिकारी, बालाघाट                     |
|                | 42 मंडला     | श्रम पदाधिकारी, मंडला                       |
|                | 43 डिंडोरी   | श्रम पदाधिकारी, डिंडोरी                     |
|                | 44 छिंदवाड़ा | श्रम पदाधिकारी, छिंदवाड़ा                   |
|                | 45 सिवनी     | श्रम पदाधिकारी, सिवनी                       |
| 9—रीवा संभाग   | 46 सतना      | सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, रीवा संभाग, सतना |
|                | 47 रीवा      | श्रम पदाधिकारी, रीवा                        |
|                | 48 सीधी      | श्रम पदाधिकारी, सीधी                        |
|                | 49 सिंगरोली  | सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, सिंगरोली         |
| 10—शहडोल संभाग | 50 शहडोल     | सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, शहडोल संभाग      |
|                | 51 अनूपपुर   | श्रम पदाधिकारी, अनूपपुर                     |
|                | 52 उमरिया    | श्रम पदाधिकारी, उमरिया                      |

\*\*\*

परिशिष्ट-2.2  
(देखे पद 2.2)

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधीन  
स्थापित कार्यालय एवं उनके कार्यक्षेत्र

| क्रमांक | आंचलिक (जोनल) कार्यालय                                | क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय                                                                                   | कार्यक्षेत्र में आने वाले जिले/क्षेत्र                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर | 1 उप संचालक<br>औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंदौर<br><br>2 उप संचालक,<br>औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, उज्जैन  | 1 इंदौर<br><br><br>1 उज्जैन<br>2 रतलाम<br>3 झाबुआ<br>4 नीमच<br>5 मन्दसौर<br>6 अलिराजपुर                                                                            |
|         |                                                       | 3 उप संचालक,<br>औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,<br>देवास                                                            | 1 देवास<br>2 सीहोर<br>3 राजगढ़<br>4 शाजापुर<br>5 आगर मालवा                                                                                                         |
|         |                                                       | 4 सहायक संचालक,<br>औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मन्दसौर                                                          | 1 मन्दसौर<br>2 नीमच                                                                                                                                                |
| 2       | संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल | 5 उप संचालक,<br>औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भोपाल<br><br>6 उप संचालक,<br>औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जबलपुर | 1 भोपाल<br>2 बैतूल<br>3 रायसेन<br>4 विदिशा<br>5 होशंगाबाद<br>6 हरदा<br><br>1 जबलपुर<br>2 मण्डला<br>3 डिंडोरी<br>4 बालाघाट<br>5 छिन्दवाडा<br>6 सिवनी<br>7 नरसिंहपुर |
|         |                                                       | 7 उप संचालक,<br>औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बीना<br>(जिला सागर)                                                 | 1 छत्तरपुर<br>2 टिकमगढ़<br>3 सागर<br>4 दमोह<br>5 दतिया                                                                                                             |
|         |                                                       | 8 उप संचालक,<br>औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सतना                                                                | 1 सतना<br>2 कटनी<br>3 उमरिया<br>4 पन्ना                                                                                                                            |

|   |                                                                 |    |                                                            |                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                 |    | 5<br>6                                                     | शहडोल<br>अनुपपूर                                                                                         |
| 3 | संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुख्यालय, इंदौर | 9  | उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सिंगरौली        | 1<br>2<br>3<br>रीवा<br>सीधी<br>सिंगरौली                                                                  |
|   |                                                                 | 10 | उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुख्यालय, इंदौर | 1<br>धार                                                                                                 |
|   |                                                                 | 11 | उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, खण्डवा          | 1<br>2<br>3<br>4<br>खण्डवा<br>खरगोन<br>बडवानी<br>बुरहानपुर                                               |
|   |                                                                 | 12 | उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ग्वालियर        | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>ग्वालियर<br>गुना<br>शिवपुरी<br>मुरैना<br>श्यामपुर<br>भिण्ड<br>अशोकनगर |
| 4 | उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, (हायजिन लेब) इंदौर   |    |                                                            | संपूर्ण मध्यप्रदेश                                                                                       |

\* \* \*

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सम्भाग एवं जिले-वार कार्यरत केन्द्र, उनसे संबद्ध  
बीमित व्यक्ति, और कार्यरत संस्थाएं

| क  | संभाग  | जिला         | केंद्र                      | कार्यरत संस्थाएं                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                       | बीमाकृत<br>व्यक्तियों<br>की<br>संख्या<br>(दि. 31.<br>3.19 की<br>स्थिति<br>में) |
|----|--------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |        |              |                             | चिकित्सालय                                                                                                                                                                                                               | औषधालय                                                                                                                                                       | पेनल<br>क्लिनिक       |                                                                                |
| 1. | इन्दौर | 1. इन्दौर    | इंदौर                       | इन्दौर में क.<br>रा.बी. निगम,<br>नई दिल्ली,<br>द्वारा एक<br>आदर्श हास्पिटल<br>एवं<br>व्यवसाय-जन्य<br>रोग केंद्र-<br>संचालित है,<br>(200 शैया) ।<br>क्षय<br>चिकित्सालय<br>(75 शैया)<br>मिल क्षेत्र<br>औषधालय<br>(06 शैया) | 1. नेहरुनगर<br>2. परदेशीपुरा<br>(कम्युनिटी<br>हॉल)<br>3. मिल एरिया<br>4. औद्योगिक<br>संस्थान<br>5. आनंद नगर.<br>(चितावद रोड)<br>6. राजमोहल्ला<br>7. मांगलिया | 1. गोकुल<br>गंज, महुँ | 3,31,260                                                                       |
|    |        | 2. बुरहानपुर | बुरहानपुर                   | —                                                                                                                                                                                                                        | 1. लाल बाग                                                                                                                                                   |                       | 12,516                                                                         |
|    |        | 3. धार       | पीथमपुर<br>(सेक्टर<br>1, 2) |                                                                                                                                                                                                                          | 1. पीथमपुर<br>(सेक्टर 1,2)                                                                                                                                   |                       | 96,121                                                                         |
|    |        |              | पीथमपुर<br>(सेक्टर<br>3, 4) |                                                                                                                                                                                                                          | 1. पीथमपुर<br>(सेक्टर 3,4)                                                                                                                                   |                       | 50,609                                                                         |

|    |           |              |          |                                     |                                                                                                                       |                                                      |          |
|----|-----------|--------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 2. | उज्जैन    | 4. उज्जैन    | उज्जैन   | सामान्य<br>चिकित्सालय<br>(50 शैया)  | 1. देसाई नगर<br>2. फव्वारा चौक<br>—<br>(चिकित्सालय<br>परिसर)                                                          |                                                      | 18,373   |
|    |           |              | नागदा    | सामान्य<br>चिकित्सालय<br>(50 शैया)  | 1. बिड़लाग्राम<br>2. मंडी                                                                                             |                                                      | 7,637    |
|    |           | 5. देवास     | देवास    | सामान्य<br>चिकित्सालय<br>(50 शैया)  | 1. कालानी बाग<br>2. प्राधिकरण<br>भवन<br>3. बालगढ                                                                      |                                                      | 37,755   |
|    |           | 6 मंदसौर     | मंदसौर   | एनेक्सी वार्ड<br>(25 शैया)          | 1. नई आबादी                                                                                                           |                                                      | 14,264   |
|    |           | 7. रतलाम     | रतलाम    | —                                   | 1. पोलोग्राउंड<br>2. जवाहर नगर                                                                                        |                                                      | 28,182   |
|    |           | 8. नीमच      |          | —                                   | —                                                                                                                     | 11, डॉ. भाभा<br>मार्ग, फव्वारा<br>चौक, नीमच          | —        |
| 3. | ग्वालियर  | 9.ग्वालियर   | ग्वालियर | सामान्य<br>चिकित्सालय<br>(100 शैया) | 1. बिड़ला नगर<br>नं.1<br>2. बिड़ला नगर<br>नं.2<br>3. फालके बाजार<br>4 जवाहर कॉलोनी<br>5. मुरार<br>6. गोला का<br>मंदिर |                                                      | 70,128   |
| 4  | चम्बल     | 10. मुरैना   | बामोर    | —                                   | 1. गायत्री नगर,                                                                                                       |                                                      | 12,542   |
|    |           | 11. भिंड     | मालनपुर  | —                                   | 1. मालनपुर                                                                                                            |                                                      | —        |
| 5  | भोपाल     | 12. भोपाल    | भोपाल    | सामान्य<br>चिकित्सालय<br>(100 शैया) | 1. न्यू सुभाष<br>नगर<br>2. इतवारा<br>3. बी.एच.ई.एल.                                                                   |                                                      | 1,89,731 |
|    |           | 13. रायसेन   | मंडीदीप  | —                                   | 1. इंदिरा नगर<br>2. सतलापुर                                                                                           |                                                      | 50,414   |
| 6. | होशंगाबाद | 14.होशंगाबाद |          | —                                   | —                                                                                                                     | आशा<br>निकेतन<br>क्लिनिक, सरा<br>फा बाजार,<br>इटारसी | —        |

|     |        |            |        |                                                                                      |                                                       |                   |           |
|-----|--------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 7.  | जबलपुर | 15. जबलपुर | जबलपुर | —                                                                                    | 1. घमापुर<br>2. राइट टाउन<br>3. हाथीताल<br>4. अधारताल |                   | 84,118    |
|     |        | 16. कटनी   | कटनी   |                                                                                      | 1. गायत्री नगर,                                       |                   | —         |
|     |        |            | निवार  | —                                                                                    | 1. निवार                                              |                   | —         |
| 8   | रीवा   | 17. शहडोल  | अमलाई  | —                                                                                    | 1. अमलाई                                              |                   | 5,223     |
|     |        | 18. सतना   | सतना   | —                                                                                    | 1. सतना सिमेंट<br>वर्क्स के पास                       |                   | 28,224    |
|     |        | 19. रीवा   | —      | —                                                                                    | —                                                     | —                 | —         |
| 9   | सागर   | 20. सागर   | सागर   | —                                                                                    | 1. सागर                                               |                   | —         |
| योग | 9      | 20         | 20     | 7 (456 शैया)<br>(5 सामान्य<br>चिकित्सालय<br>1 क्षय<br>चिकित्सालय<br>1 एनेक्सी वार्ड) | 42 औषधालय,                                            | 3 पेनल<br>क्लिनिक | 10,47,260 |

नोट:— कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31.3.2019 की स्थिति में दी गई जानकारी अनुसार मध्यप्रदेश में कुल बीमित व्यक्तियों की संख्या 10,47,260 दी गई है। (इसमें खण्डवा केन्द्र के बीमितों की संख्या 4,218 एवं सनावद केन्द्र के बीमितों की संख्या 5,945 सम्मिलित है)

\*\*\*

श्रम न्यायालय तथा उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले

| क्र. | संभाग     | श्रम न्यायालय     | श्रम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले जिले |
|------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 1.   | इन्दौर    | 1. इन्दौर         | इन्दौर                                                  |
|      |           | 2. धार            | धार                                                     |
|      |           | 3. खंडवा          | 1. खंडवा, 2. खरगोन, 3. बड़वानी, 4. बुरहानपुर            |
| 2.   | उज्जैन    | 1. उज्जैन         | 1. उज्जैन, 2. शाजापुर, 3. आगर                           |
|      |           | 2. देवास          | देवास                                                   |
|      |           | 3. रतलाम          | 1. रतलाम, 2. झाबुआ 3. अलीराजपुर                         |
|      |           | 4. मन्दसौर        | 1. मन्दसौर, 2. नीमच                                     |
| 3.   | भोपाल     | 1. क. 1, भोपाल    | 1. भोपाल, 2. रायसेन                                     |
|      |           | 2. क. 2, भोपाल    | 1. सीहोर, 2. विदिशा, 3. राजगढ़,                         |
|      |           | 3. बैतूल          | बैतूल                                                   |
| 4.   | सागर      | 1. सागर           | 1. सागर, 2. पन्ना, 3. टीकमगढ़ 4. दमोह 5. छतरपुर         |
| 5.   | जबलपुर    | 1. जबलपुर         | 1. जबलपुर, 2. मंडला, 3. सिवनी, 4. कटनी, 5. डिंडोरी      |
|      |           | 2. नरसिंहपुर      | नरसिंहपुर                                               |
|      |           | 3. छिन्दवाड़ा     | छिन्दवाड़ा                                              |
|      |           | 4. बालाघाट        | बालाघाट                                                 |
| 6.   | रीवा      | 1. रीवा           | रीवा                                                    |
|      |           | 2. शहडोल          | 1. शहडोल, 2. उमरिया 3. अनुपपुर                          |
|      |           | 3. सीधी           | 1. सीधी 2. सिंगरौली                                     |
|      |           | 4. सतना           | सतना                                                    |
| 7.   | ग्वालियर  | 1. क. 1, ग्वालियर | 1. ग्वालियर,                                            |
|      |           | 2. क. 2, ग्वालियर | 1. मुरैना, 2. भिण्ड 3. दतिया, 4. शिवपुरी, 5. श्योपुर    |
|      |           | 3. क. 3, ग्वालियर | 1. गुना 2. अशोक नगर                                     |
| 8.   | होशंगाबाद | होशंगाबाद         | 1. होशंगाबाद, 2. हरदा                                   |
| 9.   | चंबल      | —                 | —                                                       |

नोट — श्रम न्यायालय दमोह एवं छतरपुर अस्तित्व में नहीं है ।

\* \* \*

परिशिष्ट-2.5  
(देखें पद 2.8)

गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय  
श्रमायुक्त संगठन

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. | वर्ष                          | आयोजनेत्तर      |                | आयोजना           |                 |
|------|-------------------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
|      |                               | बजट प्रावधान    | व्यय           | बजट प्रावधान     | व्यय            |
| 1    | 2017-18                       | 3740.33         | 3362.31        | 336.12           | 276.12          |
| 2    | 2018-19                       | 5016.44         | 4781.00        | 64516.16         | 56124.00        |
| 3    | 2019-20<br>(माह दिसम्बर 2019) | 4288.45         | 2934.05        | 64643.28         | 35946.92        |
| 4    | <b>Total</b>                  | <b>13045.22</b> | <b>6296.36</b> | <b>129495.56</b> | <b>36223.04</b> |

गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय  
श्रम न्यायपालिका

(राशि लाख रुपये में)

| क. | वर्ष                        | आयोजनेत्तर   |         | आयोजना       |      |
|----|-----------------------------|--------------|---------|--------------|------|
|    |                             | बजट प्रावधान | व्यय    | बजट प्रावधान | व्यय |
| 1  | 2017-2018                   | 1678.21      | 863.57  | —            | —    |
| 2  | 2018-2019                   | 1575.66      | 1326.15 | —            | —    |
| 3  | 2019-2020<br>(दिसम्बर 2019) | 1579.72      | 1110.60 | —            | —    |



गत तीन वर्षों के बजट प्रावधान एवं व्यय  
कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

(राशि लाख रुपये में)

| क्र. | वर्ष                              | आयोजनेत्तर   |           |
|------|-----------------------------------|--------------|-----------|
|      |                                   | बजट प्रावधान | व्यय      |
| 1    | 2017—2018                         | 124,81,62    | 117,06,78 |
| 2    | 2018—2019                         | 149,55,10    | 128,41,37 |
| 3    | 2019—2020<br>(31 दिसम्बर 2019 तक) | 221,25,03    | 125,23,28 |

\* \* \*

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कार्यरत कारखानों की संभाग एवं  
जिले-वार जानकारी (01.01.2020 तक)

| संभाग        | जिला           | पंजीकृत कारखानों की संख्या | नियोजन क्षमता |
|--------------|----------------|----------------------------|---------------|
| 1. इन्दौर    | 01. इन्दौर     | 1359                       | 68424         |
|              | 02. धार        | 778                        | 111594        |
|              | 03. झाबुआ      | 45                         | 1817          |
|              | 04. खंडवा      | 86                         | 7058          |
|              | 05. बुरहानपुर  | 67                         | 7434          |
|              | 06. खरगोन      | 134                        | 18120         |
|              | 07. बडवानी     | 43                         | 2366          |
|              | 08. अलीराजपुर  | 33                         | 927           |
| 2. उज्जैन    | 09. उज्जैन     | 354                        | 14752         |
|              | 10. देवास      | 243                        | 33104         |
|              | 11. आगर        | 10                         | 579           |
|              | 12. शाजापुर    | 29                         | 1955          |
|              | 13. रतलाम      | 158                        | 9098          |
|              | 14. मन्दसौर,   | 260                        | 7781          |
|              | 15. नीमच       | 127                        | 5049          |
| 3. ग्वालियर  | 16. ग्वालियर   | 306                        | 15678         |
|              | 17. दतिया      | 8                          | 237           |
|              | 18. गुना       | 31                         | 7134          |
|              | 19. अशोकनगर    | 7                          | 508           |
|              | 20. शिवपुरी,   | 16                         | 540           |
| 4. चम्बल     | 21. श्योपुर    | 02                         | 60            |
|              | 22. मुरैना     | 125                        | 7681          |
|              | 23. भिंड       | 114                        | 20630         |
| 5. भोपाल     | 24. भोपाल      | 435                        | 34821         |
|              | 25. सीहोर      | 38                         | 9714          |
|              | 26. रायसेन     | 308                        | 71015         |
|              | 27. राजगढ़     | 39                         | 11798         |
|              | 28. विदिशा     | 69                         | 3948          |
|              | 29. बैतूल      | 52                         | 7939          |
| 6. होशंगाबाद | 30. होशंगाबाद  | 131                        | 14388         |
|              | 31. हरदा       | 79                         | 773           |
| 7. सागर      | 32. सागर       | 76                         | 6156          |
|              | 33. टीकमगढ़    | 14                         | 825           |
|              | 34. दमोह       | 06                         | 4828          |
|              | 35. छत्तरपुर   | 19                         | 306           |
|              | 36. पन्ना      | 04                         | 88            |
| 8. जबलपुर    | 37. जबलपुर,    | 320                        | 31776         |
|              | 38. नरसिंहपुर  | 39                         | 3364          |
|              | 39. कटनी       | 197                        | 13831         |
|              | 40. बालाघाट    | 65                         | 2276          |
|              | 41. सिवनी      | 09                         | 2238          |
|              | 42. मंडला.     | 50                         | 2381          |
|              | 43. डिंडोरी    | 02                         | 18            |
|              | 44. छिन्दवाड़ा | 110                        | 13756         |
| 9. रीवा      | 45. सतना       | 198                        | 31865         |
|              | 46. रीवा       | 76                         | 7261          |

|              |      |        |
|--------------|------|--------|
| 47. सीधी     | 12   | 4110   |
| 48. शहडोल,   | 29   | 4686   |
| 49. अनुपपुर  | 13   | 4754   |
| 50. उमरिया   | 07   | 907    |
| 51. सिंगरोली | 66   | 10295  |
| योग —        | 6798 | 642643 |

## परिशिष्ट—4.2

(देखें पद 4.2.6)

कारखाना अधिनियम, 1948, की धारा 88 के अंतर्गत आने वाली  
दुर्घटनाओं की जानकारी

| वर्ष                      | दुर्घटनाओं से प्रभावित कर्मियों की संख्या |                                                            |                                                                         |                  |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                           | मृत कर्मी                                 | गंभीर रूप से प्रभावित कर्मी (पूर्ण/आंशिक स्थायी विकलांगता) | साधारण रूप से प्रभावित कर्मी (48 घंटे से अधिक की परंतु अस्थायी अक्षमता) | अग्नि दुर्घटनाएं |
| 1                         | 2                                         | 3                                                          | 4                                                                       | 5                |
| 2012—13                   | 49                                        | 26                                                         | 648                                                                     | 11               |
| 2013—14                   | 43                                        | 18                                                         | 405                                                                     | 09               |
| 2014—15                   | 56                                        | 17                                                         | 233                                                                     | 13               |
| 2015—16                   | 38                                        | 20                                                         | 360                                                                     | 09               |
| 2016—17                   | 37                                        | 15                                                         | 503                                                                     | 12               |
| 2017—18                   | 36                                        | 08                                                         | 349                                                                     | 14               |
| 2018—19                   | 33                                        | 15                                                         | 249                                                                     | 05               |
| 2019—20 (31 दिसंबर 19 तक) | 39                                        | 15                                                         | 208                                                                     | 04               |

## परिशिष्ट—4.3

(देखें पद 4.4.3)

**मध्यप्रदेश में स्थित अति खतरनाक स्थापनाओं की संभाग एवं जिलेवार सूची**

| संभाग                           | जिला               | स्थान                                          | स्थापना का नाम                                                | उपयोग में लाये जाने वाले खतरनाक रसायन  | खतरनाक रसायन की मात्रा (मे.टन.में)                              |                                     | आन साइट आपात योजना को अंतिम रूप दिये जाने की तिथि | रिमार्क  |                               |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
|                                 |                    |                                                |                                                               |                                        | निर्धारित सीमान्त मात्रा                                        | स्थापना में भंडारण की क्षमता        |                                                   |          |                               |
| 1                               | 2                  | 3                                              | 4                                                             | 5                                      | 6                                                               | 7                                   | 8                                                 | 9        |                               |
| इंदौर                           | इंदौर              | मांगलिया                                       | 1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट | एल.पी.जी.                              |                                                                 | 1200.000                            | 07/08/97                                          |          |                               |
|                                 |                    |                                                | 2. भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. पोल डिपो,                      | पेट्रोल (गैसोलीन)                      |                                                                 | 1400.000                            | 15/12/97                                          |          |                               |
|                                 |                    |                                                | 3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. पोल डिपो,               | पेट्रोल (गैसोलीन)                      |                                                                 | 2220.000                            | 25/07/98                                          |          |                               |
|                                 |                    |                                                | 4. इंडियन आईल कार्पो. लि. पोल डिपो,                           | पेट्रोल (गैसोलीन)                      |                                                                 | 3051.000                            | 23/02/98                                          |          |                               |
|                                 |                    |                                                | 5. भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. मांगलिया, इस्टालेशन            | पेट्रोल (गैसोलीन) एच.एस.डी. एस.के.ओ.   | 5                                                               | 26880.000<br>54560.000<br>12900.000 | 27/05/03                                          |          |                               |
|                                 |                    | महू                                            | 6. बालाजी वेफर्स                                              | प्रोपेन                                |                                                                 | 6                                   | 60.000                                            | 18/06/19 |                               |
|                                 |                    | सवेर रोड                                       | 7.सियर्स फाईटोकेम प्रा. लि.                                   | क्लोरीन                                |                                                                 | 15.000                              | 18-600                                            |          | नवीन पहचान किया गया कारखाना I |
|                                 |                    |                                                | असरावद                                                        | 8. डायमण्ड किस्टल (प्रा.) लि.          | एल.पी.जी.                                                       | 1000.000                            | 20.000                                            | 22/01/14 |                               |
|                                 |                    | कबीट खेडी                                      | 9. 245, एम.एल.डी. सिवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (आय.एम.सी)          | क्लोरीन                                | 1000.000                                                        | 21.600                              | 30/03/17                                          |          |                               |
|                                 |                    | झाबुआ                                          | मेघ नगर                                                       | 10. काम्फीडेंट पेट्रोकेम इ. लि.        | एल.पी.जी.                                                       | 1000.000                            | 60.000                                            | -        |                               |
|                                 |                    | खण्डवा                                         | डोंगलिया                                                      | 11. श्री सिगाजी थर्मल पावर स्टेशन      | क्लोरीन                                                         | 10-000                              | 79.000                                            | 14/09/13 |                               |
|                                 |                    | खरगोन                                          | सनावद                                                         | 12. एन.टी.पी.सी. खरगोन सुपर थर्मल पावर | क्लोरीन                                                         | 10-000                              | 32.000                                            | --       | नवीन पहचान किया गया कारखाना I |
|                                 |                    |                                                | धार                                                           | पथमपुर औद्योगिक क्षेत्र                | 13. स्वस्तिक प्लास्टि सायजर्स एण्ड पी.व्ही.सी. पाईप्स प्रा. लि. | क्लोरीन                             | 10.000                                            | 25.000   | 26/09/96                      |
|                                 |                    | 14. एक्टिक लि.                                 |                                                               |                                        | एल.पी.जी.                                                       | 15.000                              | 40.000                                            | 05/01/98 |                               |
|                                 |                    | 15. भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट |                                                               |                                        | एल.पी.जी.                                                       | 15.000                              | 450.000                                           | 08/10/99 |                               |
|                                 |                    | 16. गगन गेसेस लि. यूनिट नं. 2                  |                                                               |                                        | एल.पी.जी.                                                       | 15.000                              | 90.000                                            | 03/09/97 |                               |
|                                 |                    | 17. ग्रीन कास एगो केमिकल प्रा.लि.              |                                                               |                                        | मिथाईल पैराथिन                                                  | 00.100                              | 00.250                                            | 31/03/99 |                               |
|                                 |                    | 18. देव एगो (इण्डिया ) केमिकल फर्टिलाइजर्स लि. |                                                               |                                        | फोरेट                                                           | 00.100                              | 00.800                                            | 05/05/16 |                               |
|                                 |                    | 19. स्पेशियलिटी आग्नेयिक्स प्रा.लि.            |                                                               |                                        | क्लोरीन                                                         | 10-000                              | 25.000                                            |          | नवीन पहचान किया गया कारखाना I |
| 20. केमफयुजन केमिकल्स प्रा. लि. | क्लोरीन            | 10.000                                         |                                                               |                                        | 17.000                                                          | -                                   |                                                   |          |                               |
| तिरला                           | 21. टाटा स्टील लि. | एल.पी. जी.                                     | 15.000                                                        | 16.459                                 | 14/01/16                                                        |                                     |                                                   |          |                               |
|                                 | 22. इंदौर गैसेस    | एल.पी.जी.                                      | 15.000                                                        | 50.000                                 | 16/07/12                                                        |                                     |                                                   |          |                               |

|            |            |            |                                                                |                                 |                   |                           |          |                      |
|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|----------|----------------------|
|            |            | सेजवाया    | 23. गेट गेलान वेन्चर्स लि.                                     | ईथाईल अल्कोहल                   | 1000.000          | 1959.000                  | 27/03/17 |                      |
|            |            | बदनावर     | 24. ओएसिस डिस्टिलरीज लि                                        | ईथाईल अल्कोहल                   | 1000.000          | 1141.000                  | 24/12/16 |                      |
|            |            | खुरेल      | 25. श्री क्लोरेटस यूनिट ऑफ झोनिथ इलेक्ट्रोकेम प्रा.लि.         | सोडियम क्लोरेट                  | 25.000            | 100.000                   | 03/09/96 |                      |
| उज्जैन     | उज्जैन     | नागदा      | 26. आरसिल कंटेलिस्ट प्रा.लि.,                                  | क्लोरीन                         | 10.000            | 21.000                    | 08/02/96 |                      |
|            |            |            | 27. ग्रेसिम इंड. लि.(केमिकल डिवी)यूनिट नंबर 1                  | क्लोरीन                         | 10.000            | 440.000                   | 23/01/98 |                      |
|            |            |            | 28. ग्रेसिम इंड. लि.(केमिकल डिवी) यूनिट नं. 2                  | क्लोरीन                         | 10.000            | 380.000                   | 19/01/98 |                      |
|            |            |            | 29. ग्रेसिम इंड. लि.(स्टेपल फाईबर)                             | कार्बन-डाईसल्फाईड               | 20.000            | 1057.000                  | 14/05/98 |                      |
|            |            |            | 30. लानसेस इंडिया इण्ड. प्रा. लि.                              | क्लोरीन, सल्फर ट्राय आक्साईड    | 10.000<br>25.000  | 39.600<br>30.000          | 02/03/96 |                      |
|            |            | जलालखेड 1  | 31. कान्फीडेन्स सिलेण्डर एण्ड प्रेड्रोकेम प्रा.लि.             | एल.पी.जी.                       | 15.000            | 40.000                    | 08/05/12 | वर्तमान में बन्द है। |
|            |            | घटिया      | 32. इंडियन ऑयल कार्पो लि. बाटलिंग प्लांट,                      | एल.पी.जी.                       | 15.000            | 1850.000                  | 28/07/00 |                      |
|            | देवास      | इंड. एरिया | 33. गजरा डिफरेंशियल गियर्स प्रा.लि.                            | एल.पी.जी./प्रोपेन               | 15.000/<br>15.000 | 20.000<br>20.000          | 27/04/06 |                      |
|            | रतलाम      | बांगरोड    | 34. इण्डियन आइल कार्पो. लि., रतलाम टर्मिनल                     | पेट्रोल, एसकेओ, एचएसडी तथा अन्य | 1000.000          | 22443,<br>34965,<br>15540 | 04/02/10 |                      |
|            |            |            |                                                                |                                 |                   |                           |          |                      |
| भोपाल      | भोपाल      | पिपलानी    | 35. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि.                                | एल.पी.जी.                       | 15.000            | 168.000                   | 18/09/97 |                      |
|            |            | बैरागढ़    | 36. इंडियन ऑयल कार्पो. लि. एल.पी.जी बाटलिंग प्लांट,            | एल.पी.जी.                       | 15.000            | 8200.000                  | 24/03/98 |                      |
|            |            | हुजुर      | 37. रिलायन्स इण्ड. लि., भोपाल टर्मिनल                          | पेट्रोल एच.एस.डी                | 1000.000          | 4150.000<br>5410.000      | 11/10/04 |                      |
|            |            | निशातपुरा  | 38. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. डिपो                             | पेट्रोल                         | 1000.000          | 1736.000                  | 26/09/01 |                      |
|            |            | बकानिया    | 39. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., डिपो                       | पेट्रोल                         | 1000.000          | 1230.000                  | 09/11/10 |                      |
|            |            |            | 40. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., बाटलिंग प्लांट             | एल.पी.जी.                       | 15.000            | 200.000                   | 25/03/13 |                      |
|            | सीहोर      | बुधनी      | 41. वर्धमान फेबरिक्स                                           | प्रोपेन                         | 15.000            | 100.000                   | 06/11/07 |                      |
|            |            |            | 42. ट्रायडेंट लि.                                              | एल.पी.जी.                       | 15.000            | 25.000                    | 30/05/16 |                      |
|            |            | डोडी       | 43. हेमकुन्ट पेट्रोलियम लि.                                    | एल.पी.जी.                       | 15.000            | 50.000                    | 27/10/99 |                      |
|            | रायसेन     | दिवानगंज   | 44. जी.के.केमिकल एण्ड फटीलायजर्स लि.                           | फोरेट/ कार्बोफोरेन              | 00.100<br>00.100  | 27.600<br>30.000          | 02/05/95 |                      |
|            |            | मण्डीदीप   | 45. एच.ई.जी. लि. (ग्रेफाईट डिवी)                               | एल.एन.जी                        | 15.000            | 40.000                    | 06/03/13 |                      |
|            |            |            | 46. इन्स्युलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी यूनिट नं. 1.          | प्रोपेन                         | 15.000            | 60.000                    | 30/09/19 |                      |
|            |            |            | 47. इन्स्युलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स कंपनी यूनिट नं. 2 .         | प्रोपेन                         | 15.000            | 60.000                    | 05/04/08 |                      |
|            |            | पेलूखेडी   | 48. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट | एल.पी.जी.                       | 15.000            | 150.000                   | 22/11/13 |                      |
|            | राजगढ़     |            |                                                                |                                 |                   |                           |          |                      |
|            | विदिशा     | इंड.इस्टेट | 49. सोरम एग्रो इण्ड. लि.                                       | फोरेट                           | 00.100            | 00.250                    | 30/03/98 |                      |
|            |            |            | 50. मेड केमिकल्स                                               | मिथाईल पेराथियान/ फोरेट         | 00.100<br>00.100  | 00.450<br>00.960          | 17/05/05 |                      |
|            |            |            | 51. एग्रो एंडस पेस्टीसाईड्स,                                   | मिथाईल पेराथियान/ फोरेट         | 00.100<br>00.100  | 00.200<br>00.200          | 23/02/98 |                      |
|            |            |            | 52. पेस्ट केम एंड अलाईड इण्ड.                                  | मिथाईल पेराथियान                | 00.100            | 00.200                    | 30/03/98 |                      |
|            |            |            | 53. शाइन मेटल इंड.                                             | मिथाईल पेराथियान/ फोरेट         | 00.100<br>00.100  | 00.200<br>00.200          | 30/03/98 |                      |
|            |            |            | 54. यूनिकल पेस्टीसाईड्स प्रा. लि.                              | मिथाईल पेराथियान/ फोरेट         | 00.100<br>00.100  | 00.950<br>00.950          | 11/10/01 |                      |
|            |            |            | 55. हाईटेक पेस्टीसाईड्स                                        | फोरेट                           | 00-100            | 00-200                    | 16/06/14 |                      |
| नर्मदापूरम | होशंगाबा द | इटारसी     | 56. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. डिपो                             | पेट्रोल                         | 1000.000          | 1947.000                  | 14/09/98 |                      |
| जबलपुर     | जबलपुर     | भिटौनी     | 57. भारत पेट्रोलियम कार्पो.लि.                                 | एल.पी.जी.                       | 15.000            | 2900.000                  | 09/10/97 |                      |

|          |           |            |                                                        |                                           |                    |                                   |          |                      |
|----------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|
|          |           |            | एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट,                              |                                           |                    |                                   |          |                      |
|          |           |            | 58. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो                        | पेट्रोल                                   | 1000.000           | 1177.000                          | 24/03/98 |                      |
|          |           |            | 59. भारत पेट्रोलियम कार्पो.लि. डिपो                    | पेट्रोल                                   | 1000.000           | 1872.000                          | 03/09/07 |                      |
|          |           |            | 60. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि. डिपो             | पेट्रोल                                   | 1000.000           | 2220.000                          | 10/03/98 |                      |
|          |           |            | 61. कान्फीडेन्स सिलेन्डर एण्ड पेट्रोकेम प्रा.लि.       | एल.पी.जी.                                 | 15.000             | 100.000                           | 03/03/07 |                      |
|          |           | रिवाई      | 62. बालाजी एडीबल आईल प्रा.लि.                          | एल.पी.जी.                                 | 15.000             | 40.000                            | 03/05/08 |                      |
|          |           | खमरिया     | 63. आर्डिनन्स फेक्ट्री,                                | ड्राईनाईट्रो टालविन                       | 50.000             | 50.000                            | 30/03/98 |                      |
|          | नरसिंहपुर | गाडरवारा   | 64. एन.टी.पी.सी. लि0                                   | क्लोरीन                                   | 10.000             | 52.000                            | -        |                      |
|          | छिंदवाडा  | सौसर       | 65. मसाली इंजिनियरिंग पॉलिमर्स लि.                     | एकी-लोनाईट्राईल                           | 20.000             | 125.000                           | 28/10/92 |                      |
|          |           | खुनागर     | 66. कान्फीडेन्स सिलेन्डर एण्ड पेट्रोकेम प्रा.लि.       | एल.पी.जी.                                 | 15.000             | 60.000                            |          | वर्तमान में बन्द है। |
|          |           | मोहखेड     | 67. जुगनु फुडस प्रा. लि. बदावाह                        | प्रोपेन                                   | 15.000             | 40.220                            | 24/03/17 |                      |
|          |           | पांडुरना   | 68. ड्रायटेक प्रोसेसर (इ) प्रा. लि.                    | प्रोपेन                                   | 15.000             | 40.000                            | 26/12/11 |                      |
|          | मंडला     | मनेरी      | 69. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट, | एल.पी.जी.                                 | 15.000             | 450.000                           | 30/10/00 |                      |
| ग्वालियर | ग्वालियर  | सिधौली     | 70. रेल स्पीग कारखाना, सेंदल रेल्वे,                   | एल.पी.जी.                                 | 15.000             | 140.000                           | 31/05/99 |                      |
|          |           | रायरू      | 71. भारत पेट्रोलियम कार्पो.लि. डिपो                    | पेट्रोल                                   | 1000.000           | 4858.000                          | 21/06/19 |                      |
|          |           | रायरू      | 72. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो                        | पेट्रोल (गैसोलीन)                         | 1000.000           | 1058.000                          | 24/03/98 |                      |
|          | शिवपुरी   | आमखेडा     | 73. गैस पाईन्ट पेट्रोलियम इंडिया लि.                   | एल.पी.जी.                                 | 15.000             | 50.000                            | 07/08/12 | वर्तमान में बन्द है। |
|          | गुना      | विजयपुर    | 74. गेल(इंडिया) लि. एल.पी. जी. रिकवरी प्लांट           | एल.पी.जी./प्रोपेन                         | 15.000             | 8000.000<br>2700.000              | 08/09/97 |                      |
|          |           |            | 75. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.                             | अमोनिया/क्लोरीन                           | 60.000<br>10.000   | 15000.000<br>20.000               | 27/01/98 |                      |
|          |           | डोंगर      | 76. इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. बाटलिंग प्लांट,          | एल.पी.जी.                                 | 15.000             | 900.000                           | 13/03/02 |                      |
|          | चंबल      | भिंड       | 77. सुर्या रोशनी लि.                                   | प्रोपेन/एल.पी.जी.                         | 15.000             | 194.000                           | 19/03/97 |                      |
|          |           |            | 78. आर. एस. सिलिकेट एण्ड केमिकल                        | क्लोरीन                                   | 10.000             | 20.000                            | -        |                      |
|          | मुरैना    | बामौर      | 79. प्राची गैस बाटलिंग प्लांट                          | एल.पी.जी.                                 | 15.000             | 50.000                            | -        | वर्तमान में बन्द है। |
| रीवा     | शहडोल     | अमलाई      | 80. ऑरियेंट पेपर मिल,                                  | क्लोरीन                                   | 10.000             | 169.00                            | 13/08/96 |                      |
|          | सिंगरौली  | विन्ध्यनगर | 81. विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन                  | क्लोरीन                                   | 10.000             | 25.000                            | 21/10/97 |                      |
|          |           | जयन्त      | 82. इंडियन आईल कार्पो. लि. डिपो                        | एच.एस.डी.                                 | 5000.000           | 11000.000                         | 23/02/98 |                      |
|          |           | जयन्त      | 83. इंडियन आईल कार्पो.लि. (आईबीपी डिवी)                | अमोनियम नाईट्रेट                          | 350.000            | 955.000                           | 12/03/14 |                      |
|          |           | वैधान      | 84. सासन पावर लि.                                      | क्लोरीन                                   | 10.000             | 49,500.000                        | 18/03/13 |                      |
|          |           | वरगवान     | 85. हिण्डाल्को इण्ड. लि.                               | प्रोपेन<br>क्लोरीन                        | 15.000<br>10.000   | 22.000<br>72.000                  | 28/01/13 |                      |
|          |           | वैधान      | 86. साईट मिक्ड इमरशन एक्सप्लोशिव प्लांट                | टमोनियम नाईट्रेट                          | 350.000            | 925.000                           | 12/12/18 |                      |
|          |           | निगरी      | 87. जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट             | क्लोरीन                                   | 10.000             | 80.000                            | 01/10/14 |                      |
| सागर     | पन्ना     | पुरैना     | 88. शिवा एक्सीम इन्टर प्राईजेस                         | क्लोरीन                                   | 10.000             | 32.000                            | 03/11/07 | वर्तमान में बन्द है। |
|          | सागर      | बीना       | 89. भारत ओमान रिफायनरी लि.                             | एल.पी.जी, पेट्रोल, एसकेओ, एचएसडी तथा अन्य | 15.000<br>1000.000 | 8400,<br>28334,<br>9540,<br>35805 | 05/40/10 |                      |
|          |           | नरयावली    | 90. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो लि. डिपो             | पेट्रोल                                   | 1000.000           | 3087.000                          | 05/12/11 |                      |

### ऑफ साइट आपात योजना की तैयारी एवं पूर्वाभ्यास

| क्र. | जिला       | पूर्वाभ्यास का दिनांक                                                                                                                                |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | भोपाल      | 17/12/07, 25/11/08, 16/04/09, 22/10/09, 10/12/14, 20/12/17                                                                                           |
| 2    | रायसेन     | 24/05/07, 23/12/08, 21/12/09, 03/12/11, 29/01/14, 21/07/17                                                                                           |
| 3    | विदिशा     | 02/01/08, 03/12/11, 12/02/14                                                                                                                         |
| 4    | ग्वालियर   | 08/02/07, 25/03/08, 21/07/08, 28/01/09, 06/07/09, 19/02/10, 02/02/11, 03/12/11, 16/08/12, 24/09/14, 04/09/15, 24/07/17, 27/07/18                     |
| 5    | भिण्ड      | 20/04/07, 31/01/08, 28/06/08, 31/01/09, 07/04/10, 04/03/11, 03/12/11, 19/10/12, 12/09/14, 05/12/15, 04/12/17, 03/10/18                               |
| 6    | गुना       | 30/06/07, 15/02/08, 28/08/08, 26/02/09, 28/07/09, 11/03/10, 05/03/11, 03/12/11, 08/08/12, 07/08/14, 03/10/15, 05/10/16, 17/08/17, 02/08/18, 08/08/19 |
| 7    | जबलपुर     | 24/12/07, 17/07/08, 22/08/09, 03/12/11, 12/10/12, 17/11/14, 26/12/14, 14/03/16, 01/10/18                                                             |
| 8    | मण्डला     | 24/05/07, 15/12/07<br>26/11/08, 03/12/11, 19/09/14                                                                                                   |
| 9    | छिन्दवाड़ा | 26/12/07, 23/12/08, 03/12/11, 17/12/14, 29/06/19                                                                                                     |
| 10   | इंदौर      | 17/08/08, 22/03/11, 03/12/11, 11/02/15                                                                                                               |
| 11   | धार        | 12/03/07, 08/07/07<br>17/03/08, 28/08/09, 27/09/10, 27/03/11, 03/12/11, 27/02/14, 16/03/18, 22/09/18                                                 |
| 12   | उज्जैन     | 24/03/07, 20/09/08, 22/09/09, 28/12/10, 07/07/11, 03/12/11, 03/12/12, 03/12/14, 18/06/15, 03/12/15, 26/12/16, 31/07/17, 26/06/18, 28/12/18           |
| 13   | देवास      | 20/12/07, 31/12/08, 03/12/11, 07/12/12, 07/11/14, 04/03/15, 03/12/16, 05/03/18, 03/12/18                                                             |
| 14   | सीहोर      | 22/12/07, 26/12/08, 03/12/11, 07/12/12, 23/03/14, 03/03/15, 04/03/16, 16/01/18                                                                       |
| 15   | शहडोल      | 07/03/07, 24/09/08<br>02/12/09, 07/02/11, 03/12/11, 22/05/15, 18/09/17, 11/08/18                                                                     |
| 16   | पन्ना      | 06/02/08, 11/01/11, 03/12/11, 04/03/12, 30/04/14, 23/05/15, 20/02/17 वर्तमान में एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बन्द है।                                  |
| 17   | सिंगरोली   | 27/09/08, 03/12/11, 28/09/17, 24/10/18                                                                                                               |
| 18   | रतलाम      | 08/12/10, 10/06/11, 03/12/11, 03/12/12, 11/07/14, 14/01/16, 19/07/16, 27/07/17, 18/01/18, 27/07/18                                                   |
| 19   | सागर       | 03/12/11, 08/06/12, 13/09/13, 30/10/14, 30/07/15, 21/03/16, 19/12/17, 28/12/18, 19/10/19                                                             |
| 20   | खण्डवा     | 30/07/15, 21/03/16, 29/08/18                                                                                                                         |
| 21   | खरगोन      | नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है।                                                                            |
| 22   | शिवपुरी    | वर्तमान में एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बन्द है।                                                                                                       |
| 23   | मोरेना     | वर्तमान में एक मात्र एम.ए.एच. कारखाना बन्द है।                                                                                                       |
| 24   | राजगढ़     | नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है।                                                                            |
| 25   | झाबुआ      | नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है।                                                                            |
| 26   | नरसिंगपुर  | नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है।                                                                            |
| 27   | होशंगाबाद  | नवीन पहचान किया गया अतिखतरनाक कारखाना, आफ साईट प्लान की कार्रवाई जारी है।                                                                            |

**परिशिष्ट-4.5**  
**(देखें पद 4.4.5)**

**अति खतरनाक स्थापनाएं, जिनका सुरक्षा ऑडिट एम.एस.आई.एच.सी.  
नियम, 1989 के तहत अनिवार्य है, के सुरक्षा आडिट की स्थिति**

| जिला      | स्थान      | कारखाने का नाम                                                 | सुरक्षा<br>आडिट<br>की स्थिति | पिछला सुरक्षा आडिट कराने का वर्ष                                                               |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2          | 3                                                              | 4                            | 5                                                                                              |
| भोपाल     | बैरागढ़    | 1 इंडियन आईल कार्पो. लि. एल.पी.जी.<br>बाटलिंग प्लांट,          | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,<br>2016, 2017, 2018                |
|           | बकानिया    | 2 भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी.<br>बाटलिंग प्लांट,     | सम्पन्न                      | 2013, 2014, 2015 2017, 2018, 2019                                                              |
| धार       | पीथमपुर    | 3 भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी.<br>बाटलिंग प्लांट,     | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,<br>2016, 2017, 2018                |
|           | पीथमपुर    | 4 स्पेशियलिटी आर्गेनिक्स, प्रा.लि.                             | —                            | नवीन पहचान किया गया एम.ए.एच. कारखाना                                                           |
| गुना      | विजयपुर    | 5 गैल (इंडिया) लि.                                             | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,<br>2016, 2017, 2018                |
|           |            | 6 नेशनल फर्टीलाइजर्स लि.,                                      | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,<br>2016, 2017, 2018                |
|           | डोंगर      | 7 इंडियन आईल कार्पो. लि. बाटलिंग प्लांट                        | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,<br>2016, 2017, 2018                |
| इन्दौर    | राऊखेडी    | 8 हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी.<br>बाटलिंग प्लांट,  | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,<br>2016, 2018                      |
|           | मांगलिया   | 9 भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. मांगलिया<br>इस्टालेशन         | सम्पन्न                      | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,<br>2018                            |
| जबलपुर    | भिटौनी     | 10 भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. एल.पी.जी.<br>बाटलिंग प्लांट,    | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,<br>2013, 2014 2015, 2016, 2018                       |
|           | खमरिया     | 11 आर्डिनन्स फैक्ट्री,                                         | सम्पन्न                      | —                                                                                              |
| उज्जैन    | घातिया     | 12 इंडियन आईल कार्पो. लि. एल.पी.जी.<br>बाटलिंग प्लांट,         | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,<br>2017, 2018, 2019                |
|           | नागदा      | 13 ग्रेसिम इण्ड. लि.(केमिकल डिवीजन)<br>युनिट-1                 | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016,<br>2017, 2018                      |
|           |            | 14 ग्रेसिम इण्ड. लि.(केमिकल डिवीजन)<br>युनिट-2                 | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016,<br>2017, 2018                      |
|           |            | 15 ग्रेसिम इण्ड.लि. (स्टेपल फायबर डिवीजन)                      | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,<br>2016(2),2018, 2019                    |
|           |            | 16 लानसेस इंडिया इ.प्रा. लि.                                   | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,<br>2016, 2017, 2018, 2019          |
| मण्डला    | मनेरी      | 17 हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी.<br>बाटलिंग प्लांट, | सम्पन्न                      | 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013(आंतरिक),2014,<br>2015(आंतरिक), 2016, 2017, 2018, 2019 |
| शहडोल     | अमलाई      | 18 ओरियेंट पेपर मिल,                                           | सम्पन्न                      | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016,<br>2017, 2018, 2019                |
| सिंगरोली  | विन्ध्यनगर | 19 विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन                           | सम्पन्न                      | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018,<br>2019                            |
|           | कैथान      | 20 सासन पावर लि.                                               | सम्पन्न                      | 2013, 2014 (आंतरिक), 2015, 2016, 2018                                                          |
|           | निग्री     | 21 जे.पी. निग्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट                     | सम्पन्न                      | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018(आंतरिक), 2019                                               |
|           | बरगवा      | 22 हिन्डाल्को इण्ड.लि.                                         |                              | 2019                                                                                           |
| रतलाम     | बागरोड     | 23 इण्डियन आईल कार्पो. लि., रतलाम<br>टर्मिनल                   | सम्पन्न                      | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019                                     |
| सागर      | बीना       | 24 भारत ओमान रिफायनरी लि.                                      | सम्पन्न                      | 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019                                           |
| पन्ना     | पुरैना     | 25 शिवा एक्सीम इन्टरप्राइजेस                                   | सम्पन्न                      | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016वर्तमान में कारखाना<br>बन्द है।                        |
| खण्डवा    | डोंगलिया   | 26 श्री सिगाजी थर्मल पावर स्टेशन                               | सम्पन्न                      | 2014, 2015, 2016, 2017 (आंतरिक), 2018,2019 (आंतरिक)                                            |
| खरगोन     | सनावद      | 27 एन.टी.पी.सी. खरगोन सुपर थर्मल पावर<br>प्रोजेक्ट             | —                            | नवीन पहचान किया गया एम.ए.एच. कारखाना                                                           |
| राजगढ़    | पीलुखेडी   | 28 हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पो. एल.पी.जी.<br>बाटलिंग प्लांट, | सम्पन्न                      | 2016, 2017, 2018                                                                               |
| नरसिंगपुर | गाडरवाडा   | 29 एन.टी. पी.सी. लि.                                           |                              | 2018,                                                                                          |



परिशिष्ट-4.6  
(देखें पद 4.5.3)

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण

भाग एक : हानिकारक पदार्थों की जांच

कारखानों से लिये गये हानिकारक पदार्थों के नमूने तथा उनके प्रयोगशाला विश्लेषण का परिणाम

| क्र. | वर्ष                       | अमोनिया                                                                                                                                                                                                                       |                |                        | एच.सी.एल                 |                |                        | धूलिकण / रेसपीरेबल      |                    |                        |                         |                    |                        | एस्बेस्टास फायबर        |                    |                        |
|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|
|      |                            | लिए गए नमूनों की संख्या                                                                                                                                                                                                       | जांच का परिणाम |                        | लिए गये नमूनों की संख्या | जांच का परिणाम |                        | लिए गए नमूनों की संख्या | जांच का परिणाम     |                        | लिए गए नमूनों की संख्या | जांच का परिणाम     |                        | लिए गए नमूनों की संख्या | जांच का परिणाम     |                        |
|      |                            |                                                                                                                                                                                                                               | निर्धारित सीमा | निर्धारित सीमा से अधिक |                          | निर्धारित सीमा | निर्धारित सीमा से अधिक |                         | निर्धारित सीमा में | निर्धारित सीमा से अधिक |                         | निर्धारित सीमा में | निर्धारित सीमा से अधिक |                         | निर्धारित सीमा में | निर्धारित सीमा से अधिक |
| 1    | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5                      | 6                        | 7              | 8                      | 9                       | 10                 | 11                     | 12                      | 13                 | 14                     | 15                      | 16                 | 17                     |
| 1    | 13-14                      | 30                                                                                                                                                                                                                            | 15             | 15                     | 02                       | 01             | 01                     | 35                      | 04                 | 31                     | —                       | —                  | —                      | —                       | —                  | —                      |
| 2    | 14-15                      | 16                                                                                                                                                                                                                            | 09             | 07                     | —                        | —              | —                      | 03                      | 03                 | —                      | —                       | —                  | —                      | —                       | —                  | —                      |
| 3    | 15-16                      | नोट-वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच.सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजिटल डॉटा लॉगिंग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है। |                |                        |                          |                |                        | 63                      | 30                 | 33                     | —                       | —                  | —                      | —                       | —                  | —                      |
| 4    | 16-17                      | नोट-वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच.सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजिटल डॉटा लॉगिंग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है। |                |                        |                          |                |                        | 58                      | 51                 | 07                     | —                       | —                  | —                      | —                       | —                  | —                      |
| 5    | 17-18                      | नोट-वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच.सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजिटल डॉटा लॉगिंग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है। |                |                        |                          |                |                        | 43                      | 32                 | 11                     | —                       | —                  | —                      | —                       | —                  | —                      |
| 7    | 18-19                      |                                                                                                                                                                                                                               |                |                        |                          |                |                        | 07                      | 07                 | —                      | —                       | —                  | —                      | —                       | —                  | —                      |
| 8    | 19-20<br>(31 दिसंबर 19 तक) | नोट-वर्तमान में कारखानों से अमोनिया एवं एच.सी.एल. के नमूने एकत्रित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है के स्थान पर प्रयोगशाला में उपलब्ध डिजिटल डॉटा लॉगिंग सुविधायुक्त उपकरणों की सहायता से मॉनीटरिंग का कार्य किया जा रहा है। |                |                        |                          |                |                        | 64                      | 34                 | —                      | —                       | —                  | —                      | —                       | —                  | —                      |

स्थल पर उपकरणों की सहायता से की गई जांच एवं उनका परिणाम

| क  | वर्ष                             | क्लोरीन                                  |                   |                                 | कार्बन मोनो<br>आक्साइड              |                   |                                 | अन्य ज्वलनशील<br>गैस<br>तथा वाष्प   |                   |                                 | अमोनिया                                  |                   |                                 | एच.सी.एल.                           |                   |                                 | कुल                                 |                   |                                 |
|----|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |                                  | जाँच का परिणाम                           |                   |                                 | जाँच का परिणाम                      |                   |                                 | जाँच का परिणाम                      |                   |                                 | जाँच का परिणाम                           |                   |                                 | जाँच का परिणाम                      |                   |                                 | जाँच का परिणाम                      |                   |                                 |
|    |                                  | लिए<br>गए<br>नमूनों<br>की<br>संख्या<br>I | निर्धारित<br>सीमा | निर्धारित<br>सीमा<br>से<br>अधिक | लिए<br>गए<br>नमूनों<br>की<br>संख्या | निर्धारित<br>सीमा | निर्धारित<br>सीमा<br>से<br>अधिक | लिए<br>गए<br>नमूनों<br>की<br>संख्या | निर्धारित<br>सीमा | निर्धारित<br>सीमा<br>से<br>अधिक | लिए<br>गए<br>नमूनों<br>की<br>संख्या<br>I | निर्धारित<br>सीमा | निर्धारित<br>सीमा<br>से<br>अधिक | लिए<br>गए<br>नमूनों<br>की<br>संख्या | निर्धारित<br>सीमा | निर्धारित<br>सीमा<br>से<br>अधिक | लिए<br>गए<br>नमूनों<br>की<br>संख्या | निर्धारित<br>सीमा | निर्धारित<br>सीमा<br>से<br>अधिक |
| 1  | 2                                | 3                                        | 4                 | 5                               | 6                                   | 7                 | 8                               | 9                                   | 10                | 11                              | 12                                       | 13                | 14                              | 15                                  | 16                | 17                              | 18                                  | 19                | 20                              |
| 1  | 11-12                            | —                                        | —                 | —                               | —                                   | —                 | —                               | 120                                 | 98                | 22                              | 255                                      | 199               | 56                              | —                                   | —                 | —                               | —                                   | —                 | —                               |
| 2  | 12-13                            | 01                                       | 01                | —                               | —                                   | —                 | —                               | 28                                  | 25                | 03                              | 109                                      | 60                | 49                              | —                                   | —                 | —                               | —                                   | —                 | —                               |
| 3  | 13-14                            | 02                                       | 02                | —                               | —                                   | —                 | —                               | 43                                  | 33                | 10                              | 111                                      | 54                | 57                              | —                                   | —                 | —                               | —                                   | —                 | —                               |
| 4  | 14-15                            | 04                                       | 04                | —                               | 05                                  | —                 | 05                              | 42                                  | 41                | 01                              | 24                                       | 17                | 07                              | 14                                  | 14                | —                               | 115                                 | 84                | 31                              |
| 5  | 15-16                            | 01                                       | 01                | —                               | 10                                  | 08                | 02                              | 17                                  | 16                | 01                              | 29                                       | 27                | 02                              | 24                                  | 23                | 01                              | 118                                 | 97                | 21                              |
| 6  | 16-17                            | 10                                       | 10                | —                               | 17                                  | 09                | 08                              | 66                                  | 44                | 22                              | 49                                       | 27                | 22                              | 22                                  | 22                | —                               | 202                                 | 146               | 56                              |
| 7  | 17-18                            | 04                                       | 04                | —                               | 22                                  | 17                | 05                              | 35                                  | 19                | 16                              | 35                                       | 22                | 13                              | 21                                  | 21                | —                               | 115                                 | 83                | 34                              |
| 9  | 18-19                            | —                                        | —                 | —                               | —                                   | —                 | —                               | 18                                  | 14                | 4                               | 30                                       | 28                | 2                               | 5                                   | 5                 | —                               | 53                                  | 47                | 6                               |
| 10 | 19-20<br>(31<br>दिसंबर<br>19 तक) | 02                                       | 02                | —                               | —                                   | —                 | —                               | 27                                  | 25                | 2                               | 21                                       | 21                | —                               | 7                                   | 7                 | —                               | 57                                  | 55                | 2                               |

औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर द्वारा किए गए कार्य का विवरण  
भाग दो : स्थल पर उपकरणों की सहायता से प्रकाश व ध्वनि संबंधी जांच

| वर्ष                       | प्रकाश             |                    |                        | ध्वनि              |                    |                        | कुल योग            |                    |                        |
|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|                            | जांच की कुल संख्या | जांच का परिणाम     |                        | जांच की कुल संख्या | जांच का परिणाम     |                        | जांच की कुल संख्या | जांच का परिणाम     |                        |
|                            |                    | निर्धारित सीमा में | निर्धारित सीमा से अधिक |                    | निर्धारित सीमा में | निर्धारित सीमा से अधिक |                    | निर्धारित सीमा में | निर्धारित सीमा से अधिक |
| 1                          | 2                  | 3                  | 4                      | 5                  | 6                  | 7                      | 8                  | 9                  | 10                     |
| 08-09                      | 123                | 123                | —                      | 117                | 86                 | 31                     | 240                | 209                | 31                     |
| 09-10                      | 48                 | 48                 | —                      | 48                 | 33                 | 15                     | 96                 | 81                 | 15                     |
| 10-11                      | 20                 | 18                 | 02                     | 12                 | 07                 | 05                     | 32                 | 25                 | 07                     |
| 11-12                      | 216                | 164                | 52                     | 214                | 158                | 56                     | 430                | 322                | 108                    |
| 12-13                      | 119                | 77                 | 42                     | 119                | 48                 | 71                     | 238                | 125                | 113                    |
| 13-14                      | 187                | 58                 | 129                    | 127                | 28                 | 99                     | 314                | 86                 | 228                    |
| 15-16                      | 204                | 100                | 104                    | 193                | 49                 | 144                    | 397                | 149                | 248                    |
| 16-17                      | 212                | 76                 | 136                    | 227                | 81                 | 146                    | 439                | 157                | 282                    |
| 17-18                      | 158                | 52                 | 106                    | 167                | 102                | 65                     | 325                | 154                | 171                    |
| 18-19                      | 96                 | 28                 | 68                     | 93                 | 29                 | 64                     | 189                | 57                 | 132                    |
| 19-20<br>(31 दिसंबर 19 तक) | 100                | 39                 | 61                     | 91                 | 41                 | 50                     | 191                | 80                 | 111                    |

भाग-तीन :- दृष्टि दोष संबंधी की गई जांच का परिणाम

| क्र० | वर्ष                       | श्रमिकों की संख्या जिनकी दृष्टि की जांच की गई | दृष्टि दोष पाये गए श्रमिकों की संख्या | दृष्टि दोष नहीं पाये गए श्रमिकों की संख्या |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | 2                          | 3                                             | 4                                     | 5                                          |
| 1    | 15-16                      | —                                             | —                                     | —                                          |
| 2    | 16-17                      | —                                             | —                                     | —                                          |
| 3    | 17-18                      | —                                             | —                                     | —                                          |
| 4    | 18-19                      | —                                             | —                                     | —                                          |
| 5    | 19-20<br>(31 दिसंबर 19 तक) | —                                             | —                                     | —                                          |

## परिशिष्ट- 5.1

(देखें पद 5.1)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें  
वेतन निर्धारित है

## भाग-एक

| क्र. | अनुसूचित नियोजन                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन                                                                                                                                                                   |
| 2.   | किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन                                                                                                                                                                                  |
| 3.   | किसी मार्गों के निर्माण या सम्भाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन                                                                                                                                                    |
| 4.   | किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन                                                                                                                                                                                      |
| 5.   | किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन                                                                                                                                                                                   |
| 6.   | किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन                                                                                                                                                                 |
| 7.   | किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन                                                                                                                                                                          |
| 8.   | किसी आरा मिल में नियोजन                                                                                                                                                                                              |
| 9.   | किसी तेल मिल में नियोजन                                                                                                                                                                                              |
| 10.  | किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन                                                                                                                                                                       |
| 11.  | किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन                                                                                                                                                                                   |
| 12.  | किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन                                                                                                     |
| 13.  | किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन                                                                                                                                                                 |
| 14.  | किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन                                                                                                                                        |
| 15.  | किसी मुद्राणालय में नियोजन                                                                                                                                                                                           |
| 16.  | किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन                                                                                                                                                             |
| 17.  | किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन                                                                                                                                                                                     |
| 18.  | किसी फ्यूएल कोक में नियोजन                                                                                                                                                                                           |
| 19.  | किसी चूना भट्टे में नियोजन                                                                                                                                                                                           |
| 20.  | किसी ईट भट्टे में नियोजन                                                                                                                                                                                             |
| 21.  | किसी पावर लूम /जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है/ में नियोजन                                                                                                                                              |
| 22.  | किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन                                                                                                                                                                                    |
| 23.  | किसी कोसा उद्योग में नियोजन                                                                                                                                                                                          |
| 24.  | किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन                                                                                                                                                                                     |
| 25.  | किसी पाटरीज जिसमें रिफेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन |
| 26.  | किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन                                                                                                                                                                                  |
| 27.  | किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन                                                                                                                                                                           |
| 28.  | किसी कत्था उद्योग में नियोजन                                                                                                                                                                                         |
| 29.  | किसी रामरज गेरू के निर्माण में नियोजन                                                                                                                                                                                |
| 30.  | किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन                                                                                                                                                                                        |
| 31.  | किसी बोनमिल में नियोजन                                                                                                                                                                                               |
| 32.  | किसी टाइल्स, जिसमें मंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन                                      |
| 33.  | किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि., 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन        |
| 34.  | किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान(पेथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है में नियोजन                                                                                                         |
| 35.  | किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था , जिनमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन                                                                                                                                     |
| 36.  | किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39. | किसी खदान जैसे कंकड़, मुर्रम, लेट्राईट, बोल्टर, ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन |
| 40. | किसी ऑटोमोबाइल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेज में नियोजन                                                                                                                                               |
| 41. | किसी बेकरी में नियोजन                                                                                                                                                                                            |
| 42. | किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन                                                                                                                                                                          |
| 43. | किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन                                                                                                                                                                      |
| 44. | किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन                                                                                                                                                                     |
| 45. | किसी सिनेमागृहो या थियेटरो में नियोजन                                                                                                                                                                            |
| 46. | किसी क्लब में नियोजन                                                                                                                                                                                             |
| 47. | किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त                                                                                                                                                                                  |
| 48. | किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन                                                                                                                                                                  |
| 49. | किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन                                                                                                                                                                |
| 50. | किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड (कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन                                                                                                                                                 |
| 51. | किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन                                                                                                                                                         |
| 52. | किसी इलेक्ट्रानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन                                                                                                                                                                   |
| 53. | किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन                                                                                                                                                                           |
| 54. | मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन                                                                                                                                                                            |
| 55. | किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन                                                                                                                                                            |
| 57. | किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन                                                                                                                                                              |
| 58. | किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोऑपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)                                                                                                                    |
| 59. | किसी होजयरी में नियोजन                                                                                                                                                                                           |
| 60. | किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन                                                                                                                                                      |
| 61. | किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन                                                                                                                                                                 |
| 62. | किसी खिलौना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित हैं, में नियोजन                                                                                                                                  |
| 63. | किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन                                                                                                                                                               |
| 64. | किसी कूरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन                                                                                                                                                                 |
| 65. | किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन                                                                                                                                                                            |
| 66. | किसी अचार, बड़ी, पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन                                                                                                                                             |
| 68. | दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन                                                                                                                                                    |
| 70. | किसी सफाई कार्य में नियोजन                                                                                                                                                                                       |
| 71. | किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन                                                                                                                                                                                |
| 72. | किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन                                                                                                                                                                         |

## भाग-दो

|    |                 |
|----|-----------------|
| 1. | कृषि में नियोजन |
|----|-----------------|

\*\*\*

परिशिष्ट-5.2  
(देखें पद 5.1)

न्यूनतम मजदूरी की दरें  
परिशिष्ट- 5.1 में क्र. 1 से 69 तक उल्लेखित नियोजन  
(1.10.2019 से 31.3.2020 तक के लिए)

| कर्मचारियों का वर्ग | न्यूनतम मूल वेतन |          | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता |          | कुल न्यूनतम मजदूरी |          |
|---------------------|------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------|----------|
|                     | प्रतिमाह         | प्रतिदिन | प्रतिमाह                 | प्रतिदिन | प्रतिमाह           | प्रतिदिन |
| अकुशल               | 6500             | 250.00   | 1450.00                  | 55.76    | 7950.00            | 306.00   |
| अर्धकुशल            | 7057.00          | 271.00   | 1750.00                  | 67.30    | 8807.00            | 339.00   |
| कुशल                | 8435.00          | 324.00   | 1750.00                  | 67.30    | 10185.00           | 392.00   |
| उच्च कुशल           | 9735.00          | 374.00   | 1750.00                  | 67.30    | 11485.00           | 442.00   |

कृषि में नियोजन  
(1.10.2019 से 31.3.2020 तक के लिए)

|                   |         |        |        |       |      |        |
|-------------------|---------|--------|--------|-------|------|--------|
| अकुशल कृषि श्रमिक | 5350.00 | 178.33 | 972.00 | 32.40 | 6322 | 211.00 |
|-------------------|---------|--------|--------|-------|------|--------|

बीड़ी निर्माण में नियोजन  
(1.04.2019 से 31.03.2020 तक के लिए)

| कर्मचारियों का वर्ग                     | न्यूनतम मूल मजदूरी | परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता | कुल न्यूनतम मजदूरी |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| बीड़ी रोलर<br>(1000 बीड़ी बनाने के लिए) | रुपये 74.00        | 14.31                    | 88.31              |

नोट— एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 88.31 के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8.33 प्रतिशत (7.72) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 5 प्रतिशत (4.42) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 प्रतिशत (9.27) इस प्रकार कुल रुपये 109.72 देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 18.54 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1/4/2019 से 31/3/2020 की अवधि में श्रमिकों को कुल रुपये 8.99 एवं भविष्य निधि कटौती उपरांत शुद्ध राशि 91.18 प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरबत्ती निर्माण में नियोजन  
(1.10.2019 से 31.3.2020 तक के लिए)

| कर्मचारी का वर्ग                     | न्यूनतम मूल मजदूरी | पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता | कुल वेतन |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती के लिए) |                    |                         |          |
| क. साधारण अगरबत्ती                   | रु. 21.40          | 17.50                   | 38.90    |
| ख. सुगंधित अगरबत्ती                  | रु. 22.00          | 17.50                   | 39.50    |

\*\*\*

## बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थानों तथा श्रमिकों की संभाग एवं जिलेवार संख्या

| क   | जिले का नाम               | पंजीकृत संस्थानों की संख्या | स्थापना पंजी के अनुसार कार्यरत श्रमिक |        |       | परिचयपत्र धारक |
|-----|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|-------|----------------|
|     |                           |                             | परिसर                                 | घरखाता | योग   |                |
| (1) | (2)                       | (3)                         | (4)                                   | (5)    | (6)   | (7)            |
| 1   | श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर | 2                           | 15                                    | 1950   | 1965  | 1965           |
| 2   | सहायक श्रमायुक्त, इन्दौर  | 1                           | 130                                   | 831    | 961   | 831            |
| 3   | श्रम पदाधिकारी, खण्डवा    | 4                           | 8                                     | 34     | 42    | 14             |
| 4   | श्रम पदाधिकारी, खरगोन     | 1                           | —                                     | 14     | 14    | 14             |
| 5   | श्रम पदाधिकारी, देवास     | 6                           | 6                                     | 346    | 352   | 352            |
| 6   | श्रम पदाधिकारी, रतलाम     | 1                           | 12                                    | —      | 12    | 12             |
| 7   | सहायक श्रमायुक्त उज्जैन   | 9                           | 2                                     | 7      | 9     | 9              |
| 8   | श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर   | 6                           | 68                                    | 105    | 173   | —              |
| 9   | श्रम पदाधिकारी, दतिया     | 8                           | 28                                    | 241    | 269   | 269            |
| 10  | श्रम पदाधिकारी, गुना      | 4                           | 30                                    | 1247   | 1277  | 915            |
| 11  | श्रम पदाधिकारी, श्योपुर   | 4                           | 26                                    | 122    | 148   | 80             |
| 12  | सहायक श्रमायुक्त, भोपाल   | 2                           | 19                                    | —      | 19    | —              |
| 13  | श्रम पदाधिकारी, मण्डीदीप  | 1                           | 10                                    | 133    | 143   | 10             |
| 14  | श्रम पदाधिकारी, विदिशा    | —                           | —                                     | —      | —     | —              |
| 15  | श्रम पदाधिकारी, छतरपुर    | 1                           | 12                                    | 91     | 103   | 91             |
| 16  | श्रम पदाधिकारी, दमोह      | 34                          | 663                                   | 15311  | 15974 | 156874         |
| 17  | सहायक श्रमायुक्त, सागर    | 69                          | 1183                                  | 56975  | 58158 | 58158          |
| 18  | श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़   | 1                           | 4                                     | 0      | 4     | —              |
| 19  | श्रम पदाधिकारी, बालाघाट   | 5                           | 102                                   | 5395   | 5497  | 5497           |
| 20  | सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर  | 15                          | 454                                   | 3321   | 3775  | 3775           |
| 21  | श्रम पदाधिकारी, कटनी      | 5                           | 172                                   | 1571   | 1743  | 1300           |
| 22  | श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर | 11                          | 130                                   | 360    | 501   | 501            |
| 23  | श्रम पदाधिकारी, रीवा      | 2                           | 24                                    | 67     | 91    | —              |
| 24  | सहायक श्रमायुक्त, सतना    | 19                          | 342                                   | 3178   | 3520  | 3520           |

## परिशिष्ट— 7.2

## बीड़ी श्रमिकों हेतु वर्ष 2006-07 से स्वीकृत / क्रियान्वित आवास योजना

| क   | जिला                      | आवास निर्माण की स्वीकृति का वर्ष | आवास संख्या |         |              |                       | केन्द्रांश (लाख रुपये में) |         | स्वीकृत एवं विमुक्त राज्यांश (लाख रुपये में) |
|-----|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------|--------------|-----------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------------|
|     |                           |                                  | कुल स्वीकृत | निर्मित | निर्माणाधीन  | निर्माण आरंभ होना शेष | स्वीकृत                    | विमुक्त |                                              |
| (1) | (2)                       | (3)                              | (4)         | (5)     | (6)          | (7)                   | (8)                        | (9)     | (10)                                         |
| 1   | श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर   | 2007                             | 225         | 105     | —            | 120                   | 78.00                      | 33.00   | 33.75                                        |
| 2   | श्रम पदाधिकारी, दतिया     | 2007                             | 255         | 80      | 20 प्लिंथ पर | 155                   | 102 लाख                    | 51 लाख  | निरंक                                        |
| 3   | श्रम पदाधिकारी, गुना      | 2003                             | 400         | —       | —            | —                     | 16,00,000                  | —       | अप्राप्त                                     |
| 4   | सहायक श्रमायुक्त, सागर    | 20-12-2007                       | 500         | 180     | 144          | 176                   | 1 करोड़                    | 1 करोड़ | —                                            |
| 5   | सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर  | 2007                             | 1000        | —       | —            | —                     | दो करोड़                   | —       | —                                            |
| 6   | श्रम पदाधिकारी, कटनी      | 1999                             | 326         | —       | —            | निर्माण आरंभ होना शेष | —                          | —       | —                                            |
| 7   | श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर | 2007                             | 375         | निरंक   | निरंक        | 375                   | 16875000                   | निरंक   | निरंक                                        |
| 8   | श्रम पदाधिकारी, रीवा      | 2012-13                          | 961         | 0       | 0            | 961                   | 38440000                   | 0       | 38440000                                     |
| 9   | सहायक श्रमायुक्त, सतना    | 2007-08                          | 500         | 153     | 347          | —                     | 1 करोड़                    | —       | —                                            |

\*\*\*



## परिशिष्ट— 7.3

परिपत्र दिनांक 5-10-2002 के अनुसरण में घरखाता बीड़ी श्रमिकों के लिये कच्चे माल की  
जिलेवार निर्धारित वाजिब मात्रा

| क   | जिले का नाम               | निर्धारित मात्रा 1000 बीड़ी निर्माण हेतु |                                 |                            |
|-----|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|     |                           | तेंदूपत्ता                               | तम्बाकू                         | धागा                       |
| (1) | (2)                       | (3)                                      | (4)                             | (5)                        |
| 1   | श्रम पदाधिकारी, बुरहानपुर | 900 ग्राम                                | 280 ग्राम प्रति हजार            | 1 लक्की प्रति 7 हजार       |
|     |                           | 700 ग्राम                                | 220 ग्राम प्रति हजार            | 1 लक्की प्रति 7 हजार       |
| 2   | सहायक श्रमायुक्त, इन्दौर  | 850 ग्राम                                | 260 ग्राम                       | 7000 प्रति हजार लकी        |
| 3   | श्रम पदाधिकारी, खण्डवा    | 650 ग्राम                                | 200 ग्राम                       | 10000 बीड़ी पर 20 ग्राम    |
| 4   | श्रम पदाधिकारी, खरगोन     | 1000 ग्राम                               | 280 ग्राम                       | 6000 बीड़ी पर 1 लकी        |
| 5   | श्रम पदाधिकारी, देवास     | 800 ग्राम                                | 250 ग्राम                       | पर्याप्त                   |
| 6   | श्रम पदाधिकारी, रतलाम     | 1 किलोग्राम                              | 250 ग्राम                       | अनुमानित                   |
| 7   | सहायक श्रमायुक्त उज्जैन   | 950 ग्राम                                | 280 ग्राम                       | 8000 बीड़ी पर एक लक्की     |
| 8   | श्रम पदाधिकारी, अशोकनगर   | 850 ग्राम                                | 250 ग्राम                       | 1 रील (लक्की)              |
| 9   | श्रम पदाधिकारी, दतिया     | 750 ग्राम                                | 250 ग्राम                       | एक लक्की फी                |
| 10  | श्रम पदाधिकारी, गुना      | 800 ग्राम                                | 220 ग्राम                       | 20 ग्राम                   |
| 11  | श्रम पदाधिकारी, श्योपुर   | 700 ग्राम                                | 200 ग्राम                       | 1 लक्की                    |
| 12  | सहायक श्रमायुक्त, भोपाल   | 800-900 ग्राम                            | 280-300 ग्राम                   | 1 गिट्टी                   |
| 13  | श्रम पदाधिकारी, मण्डीदीप  | 750 ग्राम                                | 240 ग्राम                       | 1 धागे की लटिया            |
| 14  | श्रम पदाधिकारी, विदिशा    | —                                        | —                               | —                          |
| 15  | श्रम पदाधिकारी, छतरपुर    | 900 ग्राम                                | 250 ग्राम                       | 1000 बीड़ी पर एक लक्की     |
| 16  | श्रम पदाधिकारी, दमोह      | 750 ग्राम                                | 270 ग्राम                       | 1 पुंजा                    |
| 17  | सहायक श्रमायुक्त, सागर    | 750 ग्राम (बड़ी बीड़ी)                   | 260 ग्राम जर्दा (बड़ी बीड़ी)    | 1 लटिया                    |
|     |                           | 650 ग्राम (छोटी बीड़ी)                   | 220 ग्राम जर्दा (छोटी बीड़ी)    |                            |
| 18  | श्रम पदाधिकारी, टीकमगढ़   | 900 ग्राम प्रति हजार बड़ी बीड़ी          | 300 ग्राम प्रति हजार बड़ी बीड़ी | 2 लक्की प्रति 1 हजार       |
| 19  | श्रम पदाधिकारी, बालाघाट   | 700 ग्राम                                | 280 ग्राम                       | 0.0016 ग्राम से 2.28 ग्राम |
| 20  | सहायक श्रमायुक्त, जबलपुर  | 600 ग्राम                                | 270 ग्राम                       | 1000 बीड़ी पर 1 ग्राम      |
| 21  | श्रम पदाधिकारी, कटनी      | 0.700 ग्राम                              | 0.260 ग्राम                     | 0.01                       |
| 22  | श्रम पदाधिकारी, नरसिंहपुर | 900 ग्राम                                | 300 ग्राम                       | फी                         |
| 23  | श्रम पदाधिकारी, रीवा      | 650 ग्राम                                | 230 ग्राम                       | 1 लक्की                    |
| 24  | सहायक श्रमायुक्त, सतना    | 700 ग्राम                                | 270 ग्राम                       | 100 ग्राम (एक लाख बीड़ी)   |

\*\*\*

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 पंजीकृत स्थापनाओं बाबद श्रम  
कार्यालय-वार जानकारी  
(विभागीय पोर्टल पर दर्शित)  
(दिनांक 31.12.2019 की स्थिति में)

| संभाग/जिले का नाम | पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या |
|-------------------|-----------------------------|
| 1                 | 2                           |
| आगर-मालवा         | 13                          |
| अलीराजपुर         | 07                          |
| अनुपपुर           | 83                          |
| अशोकनगर           | 07                          |
| बालाघाट           | 315                         |
| बडवानी            | 17                          |
| बैतुल             | 114                         |
| भिण्ड             | 23                          |
| भोपाल             | 81                          |
| बुरहानपुर         | 59                          |
| छतरपुर            | 60                          |
| छिंदवाडा          | 32                          |
| दमोह              | 12                          |
| दतिया             | 08                          |
| देवास             | 38                          |
| धार               | 35                          |
| डिंडोरी           | 37                          |
| गुना              | 23                          |
| ग्वालियर          | 27                          |
| हरदा              | 10                          |
| होशंगाबाद         | 23                          |
| इंदौर             | 177                         |
| जबलपुर            | 44                          |
| झाबुआ             | 09                          |
| कटनी              | 37                          |
| खंडवा             | 41                          |
| खरगोन             | 49                          |
| मंडला             | 28                          |
| मंदसौर            | 114                         |
| मुरैना            | 14                          |

|              |             |
|--------------|-------------|
| नरसिंहपुर    | 10          |
| नीमच         | 18          |
| पन्ना        | 11          |
| पीथमपुर      | 91          |
| रायसेन       | 30          |
| राजगढ        | 21          |
| रतलाम        | 31          |
| रीवा         | 100         |
| सागर         | 50          |
| सतना         | 145         |
| सीहोर        | 29          |
| सिवनी        | 09          |
| शहडोल        | 87          |
| शाजापुर      | 04          |
| श्योपुर      | 06          |
| शिवपुरी      | 18          |
| सीधी         | 38          |
| सिंगरौली     | 32          |
| टीकमगढ       | 12          |
| उज्जैन       | 31          |
| उमरिया       | 32          |
| विदिशा       | 25          |
| <b>Total</b> | <b>2377</b> |

\*\*\*

## परिशिष्ट- 9.1

वर्ष 2016 ( जनवरी से दिसंबर तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत् है:-

| क्रमांक | विमुक्त माह/दिनांक | राज्य जहां से विमुक्त किये गए           | पुनर्वासित श्रमिकों को आबंटित राशि | राशि आबंटन दिनांक    | विमुक्त श्रमिक संख्या | जिला जहां पुनर्वासित किया गया।                                 |
|---------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 01      | 02                 | 03                                      | 04                                 |                      | 05                    | 06                                                             |
| 01      | 18.01.16           | बगलकोट (कर्नाटक)                        | 1,71,000 / -                       | 26.02.16<br>07.04.16 | 09                    | जिला खरगोन (म.प्र.)                                            |
| 02      | 01.08.16           | नौयडा, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)           | 1,08,000 / -                       | 23.08.17             | 06                    | जिला छतरपुर (म.प्र.)                                           |
| 03      | 15.07.16           | तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) | -----                              | -----                | 40 •                  | ग्राम गादला, थाना भोपा, • मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)                  |
| 04      | 12.08.16           | छबड़ा जिला बारां (राजस्थान)             | 40,000 / -                         | 07.03.17             | 02                    | विलेरा तहसील, जिला गुना (म.प्र.)                               |
| 05      | 02.08.16           | नौयडा, गौतमबुद्ध नगर (उ.प्र.)           | 1,40,000 / -                       | 23.08.17             | 07                    | ग्राम खैरी हरिकिशन, पो.लुहारी, तहसील पटेरा, जिला दमोह (म.प्र.) |
| 06      | 26.09.16           | गुना (म.प्र.)                           | 20,000 / -                         | 07.03.17             | 01                    | अशोक नगर, (म.प्र.)                                             |
|         | कुल योग            |                                         | 4,79,000 / -                       |                      | 65                    |                                                                |

वर्ष 2017 ( जनवरी से दिसंबर तक) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत् है:-

| क्रमांक | विमुक्त माह/दिनांक | राज्य जहां से विमुक्त किये गए | पुनर्वासित श्रमिकों को आबंटित राशि | राशि आबंटन दिनांक    | विमुक्त श्रमिक संख्या | जिला जहां पुनर्वासित किया गया।      |
|---------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 01      | 02                 | 03                            | 04                                 |                      | 05                    | 06                                  |
| 01      | 22.02.17           | जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) | 20,000 / -                         | 23.03.17             | 01                    | तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) |
| 02      | 29.10.17           | किशनगढ़ जिला बारां (राजस्थान) | 3,60,000 / -<br>28,00,000 / -      | 11.01.18<br>16.07.19 | 18                    | तहसील बमौरी, जिला गुना (म.प्र.)     |
|         | कुल योग            |                               | 31,80,000 / -                      | -                    | 19                    |                                     |

वर्ष 2018 ( जनवरी से दिसंबर तक ) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत् है:-

| क्रमांक | विमुक्त माह एवं दिनांक | राज्य जहां से विमुक्त किये गए।         | पुनर्वासित श्रमिकों को प्रदत्त राशि | राशि आबंटन दिनांक | विमुक्त श्रमिक संख्या | जिला जहां पुनर्वासित किया गया।                                                                                                    |
|---------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01      | 02                     | 03                                     | 04                                  | 05                | 06                    | 07                                                                                                                                |
| 01      | 06.11.17               | जिला रोहतक, (हरियाणा)                  | 4,00,000 / -                        | 12.04.18          | 20                    | गांव धरमपुरा, बकसोहा, बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.)                                                                                |
| 02      | 24.01.18               | तरकरी (कर्नाटक)                        | 40,000 / -                          | 17.04.18          | 02                    | चूनालोमा भरुद्वाना तहसील भैसदेही जिला बैतुल (म.प्र.)                                                                              |
| 03      | 15.02.18               | जिला सोलापुर (महाराष्ट्र)              | 3,40,000 / -                        | 23.04.18          | 17                    | ग्राम बाकडी, तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर (म.प्र.)                                                                                |
| 04      | 25.02.18               | कलाम, जिला उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)     | 3.40,000 / -                        | 17.04.18          | 17                    | ग्राम किन्द्री, जिला मंडला (म.प्र.)                                                                                               |
| 05      | 03.01.18               | कपशेरा, साउथ-वेस्ट, न्यू दिल्ली        | 40,000 / -                          | - •               | 02                    | भायपुरा, टिगरा रोड, मोतीझील, जिला ग्वालियर (म.प्र.)<br>• दिल्ली राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को तत्कालिक सहायता राशि प्रदान की गई। |
| 06      | 22.03.18               | मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)            | 4.20,000 / -                        | 06.07.18          | 21                    | ग्राम धर्मपुरा, तहसील खनियादाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)                                                                            |
| 07      | 27.06.18               | पोस्ट रूचिमकोड जिला नामक्कल (तमिलनाडु) | 1,80,000 / -                        | 04.10.18          | 09                    | औवरिया, जिला बैतुल (म.प्र.)                                                                                                       |
| 08      | 06.11.17               | जिला रोहतक (हरियाणा)                   | 80,000 / -                          | 06.10.18          | 04                    | तहसील बण्डा, जिला सागर (म.प्र.)                                                                                                   |
|         | कुल योग                |                                        | 18,40,000 / -                       |                   | 92                    |                                                                                                                                   |

वर्ष 2019 ( जनवरी से दिसंबर तक ) में चिन्हित, पुनर्वासित एवं विमुक्त बंधक श्रमिकों की जानकारी निम्नवत् है:-

| क  | विमुक्त माह एवं दिनांक | राज्य जहां से विमुक्त किये गए।                                 | पुनर्वासित श्रमिकों को प्रदत्त राशि | राशि आबंटन दिनांक                 | संख्या | जिला जहां पुनर्वासित किया गया।                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 02                     | 03                                                             | 04                                  |                                   | 05     | 06                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 01 | 05.07.2018             | जिला वाराणसी (उ.प्र.)                                          | 1,60,000 / -                        | 25.02.19                          | 12     | ग्राम चौपार, पो. सकारिया एवं भटवा, पो. रछोडा तहसील एवं जिला पन्ना (म.प्र.)                                                                                                                                                                                    |
| 02 | 28.08.2019             | पूजा फूड्स फैक्ट्री, उज्जैन रोड, नागुखेडी, जिला देवास (म.प्र.) | 30,000 / -                          | 06.09.19                          | 06     | (1) एक श्रमिक ग्राम देवखर, थाना अतरेला, तहसील जवा, जिला रीवा (म.प्र.)<br>(2) एक श्रमिक ग्राम अमनी पीपरिया, तहसील डिंडौरी, जिला डिंडौरी (म.प्र.)<br>(3) एक श्रमिक तहसील कुराव, जिला इलाहाबाद (उ.प्र.)<br>(4) तीन श्रमिक तहसील मानीकपुर, जिला चित्रकुट (उ.प्र.) |
| 03 | 08.09.19               | सिरोही (राज.)                                                  | 500000 / -                          | 05.11.19<br>11.11.19.<br>11.12.19 | 28     | जिला-धार 08, जिला-झाबुआ 16 एवं जिला-अलीराजपुर 04<br>जिला-अलीराजपुर में 02 श्रमिकों को सहायता राशि नहीं दी है, वे बाल श्रमिक होने के कारण। बैंक खाता नहीं था।                                                                                                  |
| 04 | 20.12.19               | ग्वालियर (म.प्र.)                                              |                                     |                                   | 32     | जिला-अलीगढ़ एवं बदायूँ (उ.प्र.) भेजे गए।                                                                                                                                                                                                                      |
|    | कुल योग                |                                                                | 7,20,000 / -                        |                                   | 78     |                                                                                                                                                                                                                                                               |

\* \* \*

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के पंजीकृत उपक्रमों की श्रम कार्यालय-वार  
जानकारी (दिनांक 31.12.2019 की स्थिति में)

| जिले का नाम | पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या | कार्यरत कर्मचारियों की संख्या |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1           | 2                           | 3                             |
| आगर-मालवा   | 3                           | 10                            |
| अलीराजपुर   | 34                          | 81                            |
| अनुपपुर     | 17                          | 0                             |
| अशोकनगर     | 10                          | 25                            |
| बालाघाट     | 02                          | 50                            |
| बडवानी      | 75                          | 440                           |
| बैतुल       | 01                          | 25                            |
| भिण्ड       | 0                           | 19                            |
| भोपाल       | 73                          | 2541                          |
| बुरहानपुर   | 15                          | 335                           |
| छतरपुर      | 06                          | 70                            |
| छिंदवाडा    | 117                         | 574                           |
| दमोह        | 42                          | 405                           |
| दतिया       | 0                           | 0                             |
| देवास       | 63                          | 444                           |
| धार         | 07                          | 115                           |
| डिंडोरी     | 01                          | 25                            |
| गुना        | 12                          | 180                           |
| ग्वालियर    | 115                         | 1471                          |
| हरदा        | 134                         | 920                           |
| होशंगाबाद   | 01                          | 25                            |
| इंदौर       | 442                         | 890                           |
| जबलपुर      | 07                          | 210                           |
| झाबुआ       | 117                         | 2584                          |
| कटनी        | 04                          | 20                            |
| खंडवा       | 01                          | 25                            |
| खरगोन       | 03                          | 75                            |
| मंडला       | 02                          | 50                            |
| मंदसौर      | 183                         | 978                           |
| मालनपुर     | 20                          | 80                            |
| मुरैना      | 0                           | 0                             |
| मंडीदीप     | 37                          | 81                            |

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| नरसिंहपुर    | 46          | 153          |
| नीमच         | 06          | 30           |
| पन्ना        | 01          | 25           |
| पीथमपुर      | 1           | 2            |
| रायसेन       | 0           | 0            |
| राजगढ        | 01          | 05           |
| रतलाम        | 106         | 776          |
| रीवा         | 06          | 90           |
| सागर         | 228         | 1643         |
| सतना         | 05          | 85           |
| सीहोर        | 0           | 0            |
| सिवनी        | 140         | 193          |
| शहडोल        | 01          | 25           |
| शाजापुर      | 02          | 50           |
| श्योपुर      | 0           | 0            |
| शिवपुरी      | 0           | 0            |
| सीधी         | 69          | 447          |
| सिंगरौली     | 06          | 130          |
| टीकमगढ       | 90          | 392          |
| उज्जैन       | 02          | 55           |
| उमरिया       | 0           | 0            |
| विदिशा       | 13          | 401          |
| <b>Total</b> | <b>2267</b> | <b>17250</b> |

\* \* \*

नगर/कस्बे जहां म.प्र दूकान एवं स्थापना अधिनियम प्रभावशील है

| क. | संभाग  |    | जिला      |     | नगर / कस्बा |
|----|--------|----|-----------|-----|-------------|
| 1. | इन्दौर | 1. | इन्दौर    | 1.  | इन्दौर      |
|    |        |    |           | 2.  | महू         |
|    |        |    |           | 3.  | देपालपुर    |
|    |        |    |           | 4.  | सांवेर      |
|    |        |    |           | 5.  | गौतमपुरा    |
|    |        |    |           | 6.  | बेटमा       |
|    |        |    |           | 7.  | राऊ         |
|    |        |    |           | 8.  | हातौद       |
|    |        |    |           | 9.  | मानपुर      |
|    |        |    |           | 10. | महूंगांव    |
|    |        | 2. | खंडवा     | 11. | खंडवा       |
|    |        |    |           | 12. | मूंदी       |
|    |        |    |           | 13. | पंधाना      |
|    |        |    |           | 14. | ओंकारेश्वर  |
|    |        |    |           | 15. | छनैरा       |
|    |        | 3. | बुरहानपुर | 16. | बुरहानपुर   |
|    |        |    |           | 17. | नेपा नगर    |
|    |        |    |           | 18. | शाहपुर      |
|    |        | 4. | धार       | 19. | धार         |
|    |        |    |           | 20. | पीथमपुर     |
|    |        |    |           | 21. | कुक्षी      |
|    |        |    |           | 22. | मनावर       |
|    |        |    |           | 23. | राजगढ़      |
|    |        |    |           | 24. | बदनावर      |
|    |        |    |           | 25. | धामनोद      |
|    |        |    |           | 26. | धरमपुरी     |
|    |        |    |           | 27. | सरदारपुर    |
|    |        |    |           | 28. | माण्डव      |
|    |        |    |           | 29. | डही         |
|    |        | 5. | झाबुआ     | 30. | झाबुआ       |
|    |        |    |           | 31. | थांदला      |
|    |        |    |           | 32. | पेटलावद     |
|    |        |    |           | 33. | राणापुर     |
|    |        | 6. | अलीराजपुर | 34. | अलीराजपुर   |
|    |        |    |           | 35. | जोबट        |



|    |       |     |         |     |              |
|----|-------|-----|---------|-----|--------------|
|    |       |     |         | 36. | भाबरा        |
|    |       | 7.  | खरगोन   | 37. | खरगोन        |
|    |       |     |         | 38. | बड़वाह       |
|    |       |     |         | 39. | मंडलेश्वर    |
|    |       |     |         | 40. | सनावद        |
|    |       |     |         | 41. | भीकनगांव     |
|    |       |     |         | 42. | कसरावद       |
|    |       |     |         | 43. | महेश्वर      |
|    |       | 8.  | बड़वानी | 44. | बड़वानी      |
|    |       |     |         | 45. | अंजड़        |
|    |       |     |         | 46. | सेंधवा       |
|    |       |     |         | 47. | राजपुर       |
|    |       |     |         | 48. | खेतिया       |
|    |       |     |         | 49. | पानसेमल      |
|    |       |     |         | 50. | पलसूद        |
| 2. | भोपाल | 9.  | भोपाल   | 51. | भोपाल        |
|    |       |     |         | 52. | बेरसिया      |
|    |       |     |         | 53. | बैरागढ़      |
|    |       | 10. | रायसेन  | 54. | रायसेन       |
|    |       |     |         | 55. | मण्डीदीप     |
|    |       |     |         | 56. | बरेली        |
|    |       |     |         | 57. | बेगमगंज      |
|    |       |     |         | 58. | ओबेदुल्लागंज |
|    |       |     |         | 59. | सुल्तानपुर   |
|    |       |     |         | 60. | बाडी         |
|    |       |     |         | 61. | सांची        |
|    |       |     |         | 62. | उदयपुरा      |
|    |       |     |         | 63. | सिलवानी      |
|    |       |     |         | 64. | गैरतगंज      |
|    |       | 11. | सीहोर   | 65. | सीहोर        |
|    |       |     |         | 66. | आष्टा        |
|    |       |     |         | 67. | इच्छावर      |
|    |       |     |         | 68. | बुधनी        |
|    |       |     |         | 69. | जावर         |
|    |       |     |         | 70. | नसरुल्लागंज  |
|    |       |     |         | 71. | रहेटी        |
|    |       |     |         | 72. | कोठरी        |
|    |       |     |         | 73. | शाहगंज       |
|    |       | 12. | विदिशा  | 74. | विदिशा       |
|    |       |     |         | 75. | गंजबासौदा    |

|    |           |     |           |      |               |
|----|-----------|-----|-----------|------|---------------|
|    |           |     |           | 76.  | सिरोंज        |
|    |           |     |           | 77.  | कुरवाई        |
|    |           |     |           | 78.  | लटेरी         |
|    |           |     |           | 79.  | शमशाबाद       |
|    |           | 13. | राजगढ़    | 80.  | राजगढ़        |
|    |           |     |           | 81.  | ब्यावरा       |
|    |           |     |           | 82.  | सारंगपुर      |
|    |           |     |           | 83.  | नरसिंहगढ़     |
|    |           |     |           | 84.  | जीरापुर       |
|    |           |     |           | 85.  | खिलचीपुर      |
|    |           |     |           | 86.  | तलैन          |
|    |           |     |           | 87.  | बौडा          |
|    |           |     |           | 88.  | खुजनेर        |
|    |           |     |           | 89.  | पचौर          |
|    |           |     |           | 90.  | सुठालिया      |
|    |           |     |           | 91.  | माचलपुर       |
|    |           |     |           | 92.  | छापीहेडा      |
| 3. | होशंगाबाद | 14. | होशंगाबाद | 93.  | होशंगाबाद     |
|    |           |     |           | 94.  | पिपरिया       |
|    |           |     |           | 95.  | इटारसी        |
|    |           |     |           | 96.  | सिवनी बनापुरा |
|    |           |     |           | 97.  | बाबई          |
|    |           |     |           | 98.  | सोहागपुर      |
|    |           | 15. | हरदा      | 99.  | हरदा          |
|    |           |     |           | 100. | खिरकिया       |
|    |           |     |           | 101. | टिमरनी        |
|    |           | 16. | बैतूल     | 102. | बैतूल         |
|    |           |     |           | 103. | आमला          |
|    |           |     |           | 104. | मुलताई        |
|    |           |     |           | 105. | सारणी         |
|    |           |     |           | 106. | भैंसदेही      |
|    |           |     |           | 107. | बैतूल बाजार   |
|    |           |     |           | 108. | आठनेर         |
|    |           |     |           | 109. | चिचौली        |
| 4. | ग्वालियर  | 17. | ग्वालियर  | 110. | ग्वालियर      |
|    |           |     |           | 111. | डबरा          |
|    |           |     |           | 112. | पिछोर         |
|    |           |     |           | 113. | बिलौआ         |
|    |           |     |           | 114. | आंतरी         |
|    |           |     |           | 115. | भितरवार       |

|    |      |     |         |      |               |
|----|------|-----|---------|------|---------------|
|    |      | 18. | शिवपुरी | 116. | शिवपुरी       |
|    |      |     |         | 117. | कैलारस        |
|    |      |     |         | 118. | करेरा         |
|    |      |     |         | 119. | खनियाधाना     |
|    |      |     |         | 120. | पिछोर         |
|    |      |     |         | 121. | बदरवास        |
|    |      |     |         | 122. | नरवर          |
|    |      | 19. | गुना    | 123. | गुना          |
|    |      |     |         | 124. | राघौगढ़       |
|    |      |     |         | 125. | चाचौडाबीनागंज |
|    |      |     |         | 126. | आरोन          |
|    |      |     |         | 127. | कुंभराज       |
|    |      | 20. | अशोकनगर | 128. | अशोकनगर       |
|    |      |     |         | 129. | चंदेरी        |
|    |      |     |         | 130. | मुगावली       |
|    |      |     |         | 131. | ईसागढ़        |
|    |      | 21. | दतिया   | 132. | दतिया         |
|    |      |     |         | 133. | भाण्डेर       |
|    |      |     |         | 134. | इंदरगढ़       |
|    |      |     |         | 135. | सेवडा         |
|    |      |     |         | 136. | बडोनी         |
| 5. | चंबल | 22. | श्योपुर | 137. | श्योपुर कलां  |
|    |      |     |         | 138. | विजयपुर       |
|    |      |     |         | 139. | बडोदा         |
|    |      | 23. | मुरैना  | 140. | मुरैना        |
|    |      |     |         | 141. | अम्बाह        |
|    |      |     |         | 142. | जौरा          |
|    |      |     |         | 143. | सबलगढ़        |
|    |      |     |         | 144. | पोरसा         |
|    |      |     |         | 145. | कैलारस        |
|    |      |     |         | 146. | झुण्डपुरा     |
|    |      |     |         | 147. | बामौर         |
|    |      | 24. | भिंड    | 148. | भिण्ड         |
|    |      |     |         | 149. | मालनपुर       |
|    |      |     |         | 150. | गोहद          |
|    |      |     |         | 151. | मेंहगांव      |
|    |      |     |         | 152. | लहार          |
|    |      |     |         | 153. | गोरमी         |
|    |      |     |         | 154. | अकोडा         |
|    |      |     |         | 155. | मिहोना        |

|    |        |     |         |      |            |
|----|--------|-----|---------|------|------------|
|    |        |     |         | 156. | आलमपुर     |
|    |        |     |         | 157. | दबोह       |
|    |        |     |         | 158. | मौ         |
|    |        |     |         | 159. | फूफकलां    |
| 6. | उज्जैन | 25. | उज्जैन  | 160. | उज्जैन     |
|    |        |     |         | 161. | बड़नगर     |
|    |        |     |         | 162. | खाचरोद     |
|    |        |     |         | 163. | महिंदपुर   |
|    |        |     |         | 164. | नागदा      |
|    |        |     |         | 165. | तराना      |
|    |        |     |         | 166. | उन्हेल     |
|    |        |     |         | 167. | माकडोन     |
|    |        | 26. | रतलाम   | 168. | रतलाम      |
|    |        |     |         | 169. | आलोट       |
|    |        |     |         | 170. | जावरा      |
|    |        |     |         | 171. | ताल        |
|    |        |     |         | 172. | सैलाना     |
|    |        |     |         | 173. | नामली      |
|    |        |     |         | 174. | बडावदा     |
|    |        |     |         | 175. | पिपलौदा    |
|    |        |     |         | 176. | धामनोद     |
|    |        | 27. | देवास   | 177. | देवास      |
|    |        |     |         | 178. | सोनकच्छ    |
|    |        |     |         | 179. | कन्नोद     |
|    |        |     |         | 180. | खातेगांव   |
|    |        |     |         | 181. | हाटपिपल्या |
|    |        |     |         | 182. | बागली      |
|    |        |     |         | 183. | भौरांसा    |
|    |        |     |         | 184. | करनावद     |
|    |        |     |         | 185. | काटाफोड    |
|    |        |     |         | 186. | लोहारदा    |
|    |        |     |         | 187. | सतवास      |
|    |        |     |         | 188. | टोंकखुर्द  |
|    |        |     |         | 189. | पिपलरंवा   |
|    |        | 28. | शाजापुर | 190. | शाजापुर    |
|    |        |     |         | 191. | शुजालपुर   |
|    |        |     |         | 192. | आगर        |
|    |        |     |         | 193. | नलखेडा     |
|    |        |     |         | 194. | मक्सी      |
|    |        |     |         | 195. | बडौद       |

|    |      |     |         |      |             |
|----|------|-----|---------|------|-------------|
|    |      |     |         | 196. | कानड        |
|    |      |     |         | 197. | अकोदिया     |
|    |      |     |         | 198. | सुसनेर      |
|    |      |     |         | 199. | सोयतकलां    |
|    |      |     |         | 200. | बडागांव     |
|    |      |     |         | 201. | पोलायकला    |
|    |      | 29. | मन्दसौर | 202. | मन्दसौर     |
|    |      |     |         | 203. | श्यामगढ़    |
|    |      |     |         | 204. | सीतामऊ      |
|    |      |     |         | 205. | पिपल्यामंडी |
|    |      |     |         | 206. | नारायणगढ़   |
|    |      |     |         | 207. | मल्हारगढ़   |
|    |      |     |         | 208. | भानपुर      |
|    |      |     |         | 209. | नगरी        |
|    |      |     |         | 210. | गरोठ        |
|    |      |     |         | 211. | सुवासरा     |
|    |      | 30. | नीमच    | 212. | नीमच        |
|    |      |     |         | 213. | मनासा       |
|    |      |     |         | 214. | रामपुरा     |
|    |      |     |         | 215. | जावद        |
|    |      |     |         | 216. | जीरन        |
|    |      |     |         | 217. | रतनगढ़      |
|    |      |     |         | 218. | सिंगोली     |
|    |      |     |         | 219. | डिकेन       |
|    |      |     |         | 220. | कुकडेश्वर   |
| 7. | सागर | 31  | सागर    | 221. | सागर        |
|    |      |     |         | 222. | बीना        |
|    |      |     |         | 223. | गढ़ाकोटा    |
|    |      |     |         | 224. | खुरई        |
|    |      |     |         | 225. | देवरी       |
|    |      |     |         | 226. | रेहली       |
|    |      |     |         | 227. | राहतगढ़     |
|    |      |     |         | 228. | बंडा        |
|    |      |     |         | 229. | शाहपुर      |
|    |      |     |         | 230. | शाहगढ़      |
|    |      | 32. | दमोह    | 231. | दमोह        |
|    |      |     |         | 232. | हटा         |
|    |      |     |         | 233. | तेंदुखेडा   |
|    |      |     |         | 234. | पथरिया      |
|    |      |     |         | 235. | हिन्दोरिया  |

|    |        |     |         |      |               |
|----|--------|-----|---------|------|---------------|
|    |        | 33. | पन्ना   | 236. | पन्ना         |
|    |        |     |         | 237. | अमानगंज       |
|    |        |     |         | 238. | देवेन्द्र नगर |
|    |        |     |         | 239. | अजयगढ़        |
|    |        |     |         | 240. | ककरहटी        |
|    |        |     |         | 241. | पवाई          |
|    |        | 34. | छतरपुर  | 242. | छतरपुर        |
|    |        |     |         | 243. | नौगांव        |
|    |        |     |         | 244. | खजुराहों      |
|    |        |     |         | 245. | लौडी          |
|    |        |     |         | 246. | हरपालपुर      |
|    |        |     |         | 247. | महाराजपुर     |
|    |        |     |         | 248. | बिजावर        |
|    |        |     |         | 249. | बड़ामल्हरा    |
|    |        |     |         | 250. | धुवारा        |
|    |        |     |         | 251. | सटई           |
|    |        |     |         | 252. | बारीगढ़       |
|    |        |     |         | 253. | गढ़ीमल्हरा    |
|    |        |     |         | 254. | बक्सवाहा      |
|    |        |     |         | 255. | चन्दला        |
|    |        |     |         | 256. | राजनगर        |
|    |        | 35. | टीकमगढ़ | 257. | टीकमगढ़       |
|    |        |     |         | 258. | निवाडी        |
|    |        |     |         | 259. | पृथ्वीपुर     |
|    |        |     |         | 260. | देवगढ़        |
|    |        |     |         | 261. | खरगापुर       |
|    |        |     |         | 262. | पलेरा         |
|    |        |     |         | 263. | जैरोनखालसा    |
|    |        |     |         | 264. | तरीचरकलां     |
|    |        |     |         | 265. | जतारा         |
|    |        |     |         | 266. | लिधोराखास     |
|    |        |     |         | 267. | बडागांव       |
|    |        |     |         | 268. | कारी          |
|    |        |     |         | 269. | ओरछा          |
| 8. | जबलपुर | 36. | जबलपुर  | 270. | जबलपुर        |
|    |        |     |         | 271. | सिहोरा        |
|    |        |     |         | 272. | पनागर         |
|    |        |     |         | 273. | बरेला         |
|    |        |     |         | 274. | भेडाघाट       |
|    |        |     |         | 275. | शाहपुरा       |

|  |     |            |      |                    |
|--|-----|------------|------|--------------------|
|  |     |            | 276. | पाटन               |
|  |     |            | 277. | मझौली              |
|  |     |            | 278. | कटंगी              |
|  | 37. | कटनी       | 279. | कटनी               |
|  |     |            | 280. | कैमोर              |
|  |     |            | 281. | बरही               |
|  |     |            | 282. | विजयराघवगढ़        |
|  | 38. | नरसिंहपुर  | 283. | नरसिंहपुर          |
|  |     |            | 284. | गोटेगांव           |
|  |     |            | 285. | करेली              |
|  |     |            | 286. | गाडरवाड़ा          |
|  |     |            | 287. | तेंदुखेडा          |
|  | 39. | छिन्दवाड़ा | 288. | छिन्दवाड़ा         |
|  |     |            | 289. | परासिया            |
|  |     |            | 290. | सौंसर              |
|  |     |            | 291. | पांडुर्ना          |
|  |     |            | 292. | जुन्नारदेव         |
|  |     |            | 293. | दमुआ               |
|  |     |            | 294. | चौरई               |
|  |     |            | 295. | अमरवाडा            |
|  |     |            | 296. | हरई                |
|  |     |            | 297. | लोधीखेडा           |
|  |     |            | 298. | न्यूटन चिखली       |
|  |     |            | 299. | चांदामेटा बुटारिया |
|  |     |            | 300. | मोहगांव            |
|  |     |            | 301. | बडकुही             |
|  |     |            | 302. | पपलानारायणवार      |
|  | 40. | सिवनी      | 303. | सिवनी              |
|  |     |            | 304. | लखनादौन            |
|  |     |            | 305. | बरघाट              |
|  | 41. | मण्डला     | 306. | मण्डला             |
|  |     |            | 307. | नैनपुर             |
|  |     |            | 308. | बम्हनीबंजर         |
|  |     |            | 309. | निवास              |
|  |     |            | 310. | बिछिया             |
|  | 42. | डिण्डोरी   | 311. | डिण्डोरी           |
|  |     |            | 312. | शाहपुरा            |
|  | 43. | बालाघाट    | 313. | बालाघाट            |
|  |     |            | 314. | वारासिवनी          |
|  |     |            | 315. | मलाजखंड            |

|    |       |     |          |      |               |
|----|-------|-----|----------|------|---------------|
|    |       |     |          | 316. | कटंगी         |
|    |       |     |          | 317. | बैहर          |
|    |       |     |          | 318. | लांजी         |
| 9. | रीवा  | 44. | रीवा     | 319. | रीवा          |
|    |       |     |          | 320. | मउगंज         |
|    |       |     |          | 321. | त्योथर        |
|    |       |     |          | 322. | बैकुंठपुर     |
|    |       |     |          | 323. | हनुमना        |
|    |       |     |          | 324. | चाकघाट        |
|    |       |     |          | 325. | गोविन्दगढ़    |
|    |       |     |          | 326. | नईगढ़ी        |
|    |       |     |          | 327. | सिरमौर        |
|    |       |     |          | 328. | मनगवां        |
|    |       |     |          | 329. | सेमरिया       |
|    |       |     |          | 330. | गुढ़          |
|    |       | 45. | सीधी     | 331. | सीधी          |
|    |       |     |          | 332. | चुरहट         |
|    |       |     |          | 333. | रामपुरनेकिन   |
|    |       |     |          | 334. | मझौली         |
|    |       | 46. | सिंगरौली | 335. | सिंगरौली      |
|    |       | 47. | सतना     | 336. | सतना          |
|    |       |     |          | 337. | नागोद         |
|    |       |     |          | 338. | मैहर          |
|    |       |     |          | 339. | जैतवारा       |
|    |       |     |          | 340. | उचेहरा        |
|    |       |     |          | 341. | अमरपाटन       |
|    |       |     |          | 342. | नागौद         |
|    |       |     |          | 343. | चित्रकूट      |
|    |       |     |          | 344. | बिरसिंहपुर    |
|    |       |     |          | 345. | कोटर          |
|    |       |     |          | 346. | कोठी          |
|    |       |     |          | 347. | रामपुर-बघेलान |
| 10 | शहडोल | 48. | शहडोल    | 348. | शहडोल         |
|    |       |     |          | 349. | बुढ़ार        |
|    |       |     |          | 350. | धनपुरी        |
|    |       |     |          | 351. | कोतमा         |
|    |       |     |          | 352. | ब्यौहारी      |
|    |       |     |          | 353. | जयसिंहनगर     |
|    |       |     |          | 354. | खाण्ड         |
|    |       | 49. | अनूपपुर  | 355. | अनूपपुर       |



|  |  |     |        |      |           |
|--|--|-----|--------|------|-----------|
|  |  |     |        | 356. | पसान      |
|  |  |     |        | 357. | बिजूरी    |
|  |  |     |        | 358. | जैतहरी    |
|  |  |     |        | 359. | अमरकंटक   |
|  |  | 50. | उमरिया | 360. | उमरिया    |
|  |  |     |        | 361. | चदिया     |
|  |  |     |        | 362. | नौरोजाबाद |
|  |  |     |        | 363. | पाली      |

\*\*\*

**परिशिष्ट-10.3**

**म.प्र. दुकान स्थापना अधिनियम, 1958 के पंजीकृत स्थापनाओं/श्रमिकों की संख्या एवं  
श्रमिकों की संख्या बाबद श्रम कार्यालय-वार जानकारी  
(विभागीय पोर्टल पर दर्शित)  
(दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019 की स्थिति में)**

| संभाग /जिले का नाम | पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या | पंजीकृत स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों की संख्या |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                  | 2                           | 3                                                |
| आगर-मालवा          | 1186                        | 1785                                             |
| अलीराजपुर          | 751                         | 767                                              |
| अनुपपुर            | 588                         | 1040                                             |
| अशोकनगर            | 2931                        | 4106                                             |
| बालाघाट            | 4263                        | 7117                                             |
| बडवानी             | 4257                        | 5865                                             |
| बैतुल              | 2589                        | 4335                                             |
| भिण्ड              | 4238                        | 4935                                             |
| भोपाल              | 122190                      | 230502                                           |
| बुरहानपुर          | 6347                        | 7558                                             |
| छतरपुर             | 4067                        | 8832                                             |
| छिंदवाडा           | 7280                        | 16549                                            |
| दमोह               | 2224                        | 2856                                             |
| दतिया              | 1074                        | 2351                                             |
| देवास              | 11295                       | 19040                                            |
| धार                | 10018                       | 16521                                            |
| डिंडोरी            | 600                         | 1179                                             |
| गुना               | 6095                        | 8918                                             |
| ग्वालियर           | 67132                       | 105540                                           |
| हरदा               | 2417                        | 3438                                             |
| होशंगाबाद          | 11949                       | 17145                                            |
| इंदौर              | 200218                      | 615309                                           |
| जबलपुर             | 31174                       | 56520                                            |
| झाबुआ              | 1848                        | 2376                                             |
| कटनी               | 9494                        | 10616                                            |
| खंडवा              | 5325                        | 8889                                             |
| खरगोन              | 6499                        | 9376                                             |
| मंडला              | 1843                        | 2258                                             |
| मंदसौर             | 12680                       | 10164                                            |
| मुरैना             | 6015                        | 10130                                            |
| नरसिंहपुर          | 4137                        | 6916                                             |
| नीमच               | 11251                       | 10987                                            |
| पन्ना              | 2359                        | 2429                                             |

|          |        |         |
|----------|--------|---------|
| रायसेन   | 12393  | 29329   |
| राजगढ    | 1780   | 3696    |
| रतलाम    | 11169  | 16022   |
| रीवा     | 7736   | 13575   |
| सागर     | 14032  | 20685   |
| सतना     | 16175  | 24751   |
| सीहोर    | 9089   | 14228   |
| सिवनी    | 3530   | 3917    |
| शहडोल    | 3191   | 4638    |
| शाजापुर  | 4198   | 3390    |
| श्योपुर  | 1866   | 3028    |
| शिवपुरी  | 7567   | 9077    |
| सीधी     | 1249   | 2465    |
| सिंगरौली | 2128   | 4300    |
| टीकमगढ   | 1209   | 2993    |
| उज्जैन   | 28156  | 36327   |
| उमरिया   | 803    | 1126    |
| विदिशा   | 14179  | 10426   |
| कुल      | 706784 | 1420322 |

\*\*\*

**ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पंजीकृत  
स्थापनाओं की श्रम कार्यालय-वार जानकारी  
(विभागीय पोर्टल पर दर्शित)  
(दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019 की स्थिति में)**

| जिले का नाम | पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या | अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या | कार्यरत कर्मचारियों की संख्या |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1           | 2                           | 3                                      | 4                             |
| आगर-मालवा   | 19                          | 20                                     | 1815                          |
| अलीराजपुर   | 35                          | 35                                     | 2403                          |
| अनुपपुर     | 134                         | 134                                    | 12423                         |
| अशोकनगर     | 22                          | 22                                     | 1186                          |
| बालाघाट     | 43                          | 43                                     | 2105                          |
| बड़वानी     | 43                          | 43                                     | 2532                          |
| बैतुल       | 96                          | 95                                     | 6423                          |
| भिण्ड       | 223                         | 35                                     | 17977                         |
| भोपाल       | 492                         | 492                                    | 36485                         |
| बुरहानपुर   | 45                          | 45                                     | 3074                          |
| छतरपुर      | 51                          | 51                                     | 1781                          |
| छिंदवाडा    | 269                         | 274                                    | 8980                          |
| दमोह        | 34                          | 35                                     | 2400                          |
| दतिया       | 22                          | 21                                     | 1110                          |
| देवास       | 339                         | 340                                    | 23884                         |
| धार         | 894                         | 113                                    | 78548                         |
| डिंडोरी     | 26                          | 26                                     | 1259                          |
| गुना        | 29                          | 29                                     | 1340                          |
| ग्वालियर    | 177                         | 177                                    | 18410                         |
| हरदा        | 8                           | 8                                      | 260                           |
| होशंगाबाद   | 47                          | 47                                     | 2459                          |
| इंदौर       | 468                         | 467                                    | 36456                         |
| जबलपुर      | 234                         | 233                                    | 15089                         |
| झाबुआ       | 39                          | 37                                     | 1155                          |
| कटनी        | 105                         | 102                                    | 7132                          |
| खंडवा       | 132                         | 132                                    | 14554                         |
| खरगोन       | 123                         | 123                                    | 7569                          |
| मंडला       | 102                         | 103                                    | 3720                          |
| मंदसौर      | 67                          | 66                                     | 4201                          |
| मुरैना      | 134                         | 129                                    | 7068                          |
| नरसिंहपुर   | 72                          | 72                                     | 3372                          |
| नीमच        | 79                          | 80                                     | 3878                          |
| पन्ना       | 23                          | 23                                     | 965                           |
| रायसेन      | 708                         | 709                                    | 51868                         |

|          |      |      |        |
|----------|------|------|--------|
| राजगढ    | 58   | 58   | 4594   |
| रतलाम    | 111  | 97   | 10098  |
| रीवा     | 174  | 174  | 8535   |
| सागर     | 96   | 96   | 8472   |
| सतना     | 143  | 140  | 7401   |
| सीहोर    | 135  | 135  | 17293  |
| सिवनी    | 83   | 82   | 4703   |
| शहडोल    | 77   | 77   | 6138   |
| शाजापुर  | 36   | 34   | 2270   |
| श्योंपुर | 19   | 19   | 650    |
| शिवपुरी  | 20   | 20   | 1625   |
| सीधी     | 54   | 54   | 2056   |
| सिंगरौली | 349  | 349  | 39053  |
| टीकमगढ   | 27   | 27   | 3196   |
| उज्जैन   | 284  | 284  | 20555  |
| उमरिया   | 100  | 101  | 4818   |
| विदिशा   | 50   | 50   | 3285   |
| कुल      | 7150 | 6158 | 528623 |

\*\*\*

**परिशिष्ट-10.5**

**अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1979  
के अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं की श्रम कार्यालय-वार जानकारी  
(विभागीय पोर्टल पर दर्शित)  
(दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019 की स्थिति में)**

| जिले का नाम | पंजीकृत स्थापनाओं की संख्या | अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या | कार्यरत कर्मचारियों की संख्या |
|-------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 1           | 2                           | 3                                      | 4                             |
| आगर-मालवा   | 1                           | 0                                      | 100                           |
| अलीराजपुर   | 2                           | 0                                      | 500                           |
| अनुपपुर     | 14                          | 10                                     | 830                           |
| अशोकनगर     | 1                           | 0                                      | 20                            |
| बालाघाट     | 5                           | 3                                      | 237                           |
| बडवानी      | 3                           | 5                                      | 100                           |
| बैतुल       | 10                          | 8                                      | 468                           |
| भिण्ड       | 5                           | 4                                      | 77                            |
| भोपाल       | 2                           | 2                                      | 409                           |
| बुरहानपुर   | 1                           | 0                                      | 50                            |
| छतरपुर      | 2                           | 0                                      | 125                           |
| छिंदवाडा    | 1                           | 1                                      | 20                            |
| दमोह        | 1                           | 0                                      | 100                           |
| दतिया       | 1                           | 0                                      | 50                            |
| देवास       | 4                           | 3                                      | 795                           |
| धार         | 1                           | 0                                      | 50                            |
| डिंडोरी     | -                           | 0                                      | -                             |
| गुना        | 1                           | 0                                      | 30                            |
| ग्वालियर    | 4                           | 2                                      | 170                           |
| हरदा        | -                           | 0                                      | -                             |
| होशंगाबाद   | 6                           | 8                                      | 230                           |
| इंदौर       | 4                           | 1                                      | 800                           |
| जबलपुर      | 2                           | 4                                      | 300                           |
| झाबुआ       | 8                           | 4                                      | 260                           |
| कटनी        | 1                           | 0                                      | 40                            |
| खंडवा       | 5                           | 1                                      | 650                           |
| खरगोन       | -                           | 3                                      | -                             |
| मंडला       | 1                           | 0                                      | 30                            |
| मंदसौर      | -                           | 0                                      | -                             |
| मुरैना      | 2                           | 2                                      | 75                            |
| नरसिंहपुर   | -                           | 0                                      | -                             |
| नीमच        | 0                           | 0                                      | -                             |
| पन्ना       | -                           | 0                                      | -                             |
| रायसेन      | 30                          | 14                                     | 1152                          |

|            |            |            |              |
|------------|------------|------------|--------------|
| राजगढ      | 3          | 0          | 600          |
| रतलाम      | 1          | 0          | 10           |
| रीवा       | 2          | 2          | 80           |
| सागर       | -          | 1          | -            |
| सतना       | 11         | 8          | 745          |
| सीहोर      | 4          | 0          | 225          |
| सिवनी      | 1          | 0          | 150          |
| शहडोल      | -          | 0          | -            |
| शाजापुर    | 1          | 0          | 100          |
| श्योपुर    | -          | 0          | -            |
| शिवपुरी    | 1          | 0          | 20           |
| सीधी       | 1          | 0          | 25           |
| सिंगरौली   | 8          | 3          | 290          |
| टीकमगढ     | 5          | 0          | 1325         |
| उज्जैन     | 25         | 13         | 882          |
| उमरिया     | -          | 0          | -            |
| विदिशा     | -          | 0          | -            |
| <b>कुल</b> | <b>181</b> | <b>102</b> | <b>12120</b> |

\*\*\*

परिशिष्ट-11.

1

(देखें पद 11.4)

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों/औषधालयों में उपचारित मरीज

| क्र. | वर्ष                              | चिकित्सालय             |      |                |       |                           |      | औषधालय                   |                 |
|------|-----------------------------------|------------------------|------|----------------|-------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------|
|      |                                   | भर्ती मरीजों की संख्या |      | कुल भर्ती दिवस |       | भरे हुए पलंगों का प्रतिशत |      | उपचारित मरीजों की संख्या |                 |
|      |                                   | सामान्य                | क्षय | सामान्य        | क्षय  | सामान्य                   | क्षय | बीमित व्यक्ति            | परिवार के सदस्य |
| 1    | 2                                 | 3                      | 4    | 5              | 6     | 7                         | 8    | 9                        | 10              |
| 1    | 2017-2018                         | 11056                  | 440  | 43760          | 11469 | 32                        | 42   | 8,56,162                 | 9,86,570        |
| 2.   | 2018-2019                         | 13,363                 | 462  | 47,019         | 11182 | 37                        | 41   | 10,08,423                | 11,14,697       |
| 3.   | 2019-2020<br>(31 दिसम्बर 2019 तक) | 8903                   | 296  | 26801          | 6682  | 26                        | 32   | 7,43,426                 | 7,75,367        |

परिशिष्ट 11.2

(देखें पद 11.5)

परिवार कल्याण कार्यक्रम

| क. | विवरण                                  | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2018-19 | वर्ष 2019-20<br>(दिसम्बर 2019 तक) |
|----|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 1  | कुल नसबन्दी                            | 683          | 1062         | 1047                              |
|    | (क) पुरुष नसबन्दी                      | 4            | 219          | 122                               |
|    | (ख) महिला नसबन्दी                      | 679          | 843          | 925                               |
| 2  | कॉपर टी                                | 251          | 81           | 56                                |
| 3  | निरोध वितरण                            | 56911        | 28856        | 33671                             |
| 4  | गर्भ निरोधक गोलियों<br>(वितरण स्ट्रिप) | 4298         | 2877         | 7140                              |

\*\*\*



टीकाकरण

| क.          | विवरण                                  | वर्ष 2017–18 | वर्ष 2018–19 | वर्ष 2019–20<br>(दिसम्बर 2019 तक) |
|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 1           | बी०सी०जी०                              | 466          | 96           | 332                               |
| 2           | पोलियों                                | 574          | 467          | 484                               |
| 3           | डी०पी०टी०                              | 1255         | 332          | 471                               |
| 4           | खसरा                                   | 180          | 158          | 338                               |
| 5           | डी०टी०                                 | 2037         | 121          | 417                               |
| 6<br>7<br>8 | टिटनेस टाक्साईड                        |              |              |                                   |
|             | 1. एन्टीनेटल कैसेस                     | 1810         | 1320         | 528                               |
|             | 2. बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवार सदस्य | 4701         | 5949         | 7048                              |
|             | 3. अन्य                                | 1227         | 1167         | 755                               |
|             | हेपेटाईटिस-बी                          | 519          | 323          | 408                               |
|             | एम एम आर                               | ————         | 18           | 278                               |

कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें मध्य प्रदेश के विभिन्न केन्द्र/चिकित्सालयों में  
शैक्षणिक गतिविधियों तथा शिविरों का विवरण

| क. | विवरण                  | वर्ष 2017–18      |                                | वर्ष 2018–19      |                                | वर्ष 2019–20<br>(दिसम्बर 2019 तक) |                                |
|----|------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|    |                        | शिविरों की संख्या | लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | शिविरों की संख्या | लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या | शिविरों की संख्या                 | लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या |
| 1  | शैक्षणिक गतिविधियाँ    | 1396              | 45892                          | 1179              | 48941                          | 1043                              | 49390                          |
| 2  | स्वास्थ्य संबंधी शिविर | 230               | 15517                          | 606               | 27952                          | 524                               | 36441                          |

\*\*\*

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में किये गये ऑपरेशनों का विवरण  
(दिनांक 1.4.2019 से 31.12.2019 तक)

| क. | चिकि.<br>का नाम | स्त्री रोग |       | अस्थि रोग |       | नेत्र रोग |       | सर्जरी |       | कान,नाक,गला<br>रोग |       | डेंटल सर्जरी   |                |
|----|-----------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------------------|-------|----------------|----------------|
|    |                 | मेजर       | मायनर | मेजर      | मायनर | मेजर      | मायनर | मेजर   | मायनर | मेजर               | मायनर | एक्स<br>टेक्शन | फिलिंग<br>एण्ड |
|    |                 |            |       |           |       |           |       |        |       |                    |       | ऑफ<br>टुथ      | अदर<br>सर्जरी  |
| 1  | भोपाल           | 1          | 15    | —         | 64    | —         | 7     | 73     | 353   | —                  | —     | —              | —              |
| 2  | ग्वालियर        | —          | 19    | 5         | 88    | —         | 6     | 75     | 339   | —                  | 14    | —              | —              |
| 3  | देवास           | 1          | 5     | —         | 26    | —         | —     | 65     | 359   | —                  | 10    | —              | —              |
| 4  | उज्जैन          | —          | —     | —         | —     | —         | —     | —      | 10    | —                  | 2     | —              | —              |
| 5  | नागदा           | —          | —     | —         | —     | —         | —     | —      | —     | —                  | —     | —              | —              |

टीप  
मेजर ऑपरेशन से तात्पर्य ऐसी शल्य क्रिया जो प्रमुख रूप से ऑपरेशन थियेटर्स में जनरल/स्पाईनल एनेस्थेसिया दे कर शरीर के प्रमुख एवं संवेदनशील भागों पर सम्पन्न की जाती हो एवं जिनमें अधिक समय व जोखिम निहित हो यथा— हार्नियां, ऐपेन्डिक्स निष्कासन, उदरीय शल्य क्रियाएं, तंत्रिक तंत्र (न्यूरों सर्जरी) की शल्य क्रिया, थायरॉइड शल्य क्रिया गर्भाशय विच्छेदन,नेलिंग-प्लेटिंग अस्थि शल्य क्रिया आदि ।

मायनर ऑपरेशन कम जोखिम पूर्ण, कम समयावधि एवं स्थानिक/अल्पकालिक एनेस्थेसिया में सम्पन्न होने वाले ऑपरेशन है यथा — एम.टी.पी./एब्सेस,इनसिजन व ड्रेनेज/फेक्चर रिडक्शन एवं प्लास्टर लगाना आदि ।

\*\*\*

वर्ष 2019 में औद्योगिक न्यायालय द्वारा प्रकरणों का निराकरण

| अ. क्र | कार्यालय का नाम                           | वर्ष 2019 के प्रारंभ में लंबित प्रकरण | वर्ष में दायर प्रकरण | योग | वर्ष के दौरान निर्णित प्रकरण | वर्ष के अंत में शेष रहे प्रकरण |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----|------------------------------|--------------------------------|
| 1      | 2                                         | 3                                     | 4                    | 5   | 6                            | 7                              |
| 01.    | अध्यक्ष, औ.न्यायालय, म.प्र.इन्दौर         | 310                                   | 88                   | 398 | 150                          | 248                            |
| 02     | सदस्य न्यायाधीश औ. न्यायालय, म.प्र.इन्दौर | 72                                    | 78                   | 150 | 89                           | 61                             |
| 03     | सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ जबलपुर            | 32                                    | 52                   | 84  | 26                           | 58                             |
| 04     | सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ ग्वालियर          | 20                                    | 29                   | 49  | 40                           | 9                              |
| 05     | सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ भोपाल             | 37                                    | 57                   | 94  | 79                           | 15                             |
| 06     | सदस्य न्यायाधीश खण्डपीठ रीवा              | 81                                    | 103                  | 184 | 23                           | 161                            |
|        | योग:-                                     | 552                                   | 407                  | 959 | 407                          | 552                            |

\*\*\*

## परिशिष्ट 12.2

विभिन्न श्रम न्यायालयों में वर्ष 2019 के आरंभ में लंबित, वर्ष में दायर तथा वर्ष में निराकृत सिविल तथा फौजदारी प्रकरण

| क्रमांक/<br>संभाग | श्रम न्यायालय | वर्ष 2019 के प्रारंभ में लंबित प्रकरण |         | वर्ष में दायर प्रकरण |         | योग   |         | वर्ष में निराकृत प्रकरणों की संख्या |         | वर्ष 2019 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या |         |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------|----------------------|---------|-------|---------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|
|                   |               | सिविल                                 | फौजदारी | सिविल                | फौजदारी | सिविल | फौजदारी | सिविल                               | फौजदारी | सिविल                                         | फौजदारी |
| 1                 | 2             | 3                                     | 4       | 5                    | 6       | 7     | 8       | 9                                   | 10      | 11                                            | 12      |
| 1 इन्दौर          | 1 इन्दौर      | 3143                                  | 720     | 796                  | .       | 3939  | 720     | 322                                 | 1       | 3617                                          | 719     |
|                   | 2 धार         | 1097                                  | 103     | 283                  | 2       | 1380  | 105     | 430                                 | 1       | 950                                           | 104     |
| 2 उज्जैन          | 3 खंडवा       | 605                                   | —       | 379                  | —       | 984   | —       | 425                                 | —       | 559                                           | —       |
|                   | 1 उज्जैन      | 1528                                  | 33      | 636                  | 1       | 2164  | 34      | 484                                 | 1       | 1680                                          | 33      |
|                   | 2 देवास       | 600                                   | 86      | 340                  | 13      | 940   | 99      | 283                                 | 17      | 657                                           | 82      |
|                   | 3 रतलाम       | 197                                   | 28      | 59                   | —       | 256   | 28      | 57                                  | —       | 199                                           | 28      |
|                   | 4 मन्दसौर     | 135                                   | 39      | 125                  | —       | 260   | 39      | 83                                  | —       | 177                                           | 39      |
| 3 भोपाल           | 1 भोपाल क्र.1 | 1848                                  | 81      | 592                  | —       | 2440  | 81      | 588                                 | 75      | 1852                                          | 6       |
|                   | 2 भोपाल क्र.2 | 562                                   | 226     | 385                  | 2       | 947   | 228     | 348                                 | 4       | 599                                           | 224     |
|                   | 3 बैतुल       | 160                                   | 7       | 35                   | —       | 195   | 7       | 39                                  | —       | 156                                           | 7       |
| 4 सागर            | 1 सागर        | 774                                   | 5       | 207                  | —       | 981   | 5       | 289                                 | 2       | 692                                           | 3       |
| 5 जबलपुर          | 1 जबलपुर      | 1274                                  | 312     | 507                  | —       | 1781  | 312     | 484                                 | —       | 1297                                          | 312     |
|                   | 2 छिन्दवाड़ा  | 203                                   | 11      | 79                   | —       | 282   | 11      | 55                                  | —       | 227                                           | 11      |
|                   | 3 बालाघाट     | 111                                   | —       | 21                   | —       | 132   | —       | 33                                  | —       | 99                                            | —       |
|                   | 4 नरसिंहपुर   | 173                                   | 2       | 72                   | —       | 245   | 2       | 120                                 | 1       | 125                                           | 1       |
| 6 रीवा            | 1 रीवा        | 968                                   | 51      | 245                  | —       | 1213  | 51      | 237                                 | 39      | 976                                           | 12      |
|                   | 2 सतना        | 673                                   | 1       | 270                  | —       | 943   | 1       | 329                                 | —       | 614                                           | 1       |
|                   | 3 शहडोल       | 197                                   | 1       | 114                  | —       | 311   | 1       | 118                                 | —       | 193                                           | 1       |
|                   | 4 सीधी        | 166                                   | 28      | 287                  | —       | 453   | 28      | 167                                 | 21      | 286                                           | 7       |
| 7 ग्वालियर        | 1 क्र.1 ग्वा  | 362                                   | 6       | 245                  | 2       | 607   | 8       | 270                                 | 5       | 337                                           | 3       |
|                   | 2 क्र. 2 ग्वा | 409                                   | 1       | 317                  | —       | 726   | 1       | 261                                 | —       | 465                                           | 1       |
|                   | 3 क्र. 3 ग्वा | 103                                   | 4       | 18                   | —       | 121   | 4       | 50                                  | 2       | 71                                            | 2       |
| 8 होशंगाबाद       | 1 होशंगाबाद   | 275                                   | —       | 149                  | —       | 424   | —       | 185                                 | —       | 239                                           | —       |
|                   | योग           | 15563                                 | 1745    | 6161                 | 20      | 21724 | 1765    | 5657                                | 169     | 16067                                         | 1596    |

\*\*\*